खण्ड-355, अंक-7
सोमवार, 10 फाल्गुन, शक संवत् 1903
(1 मार्च, 1982 ई0)

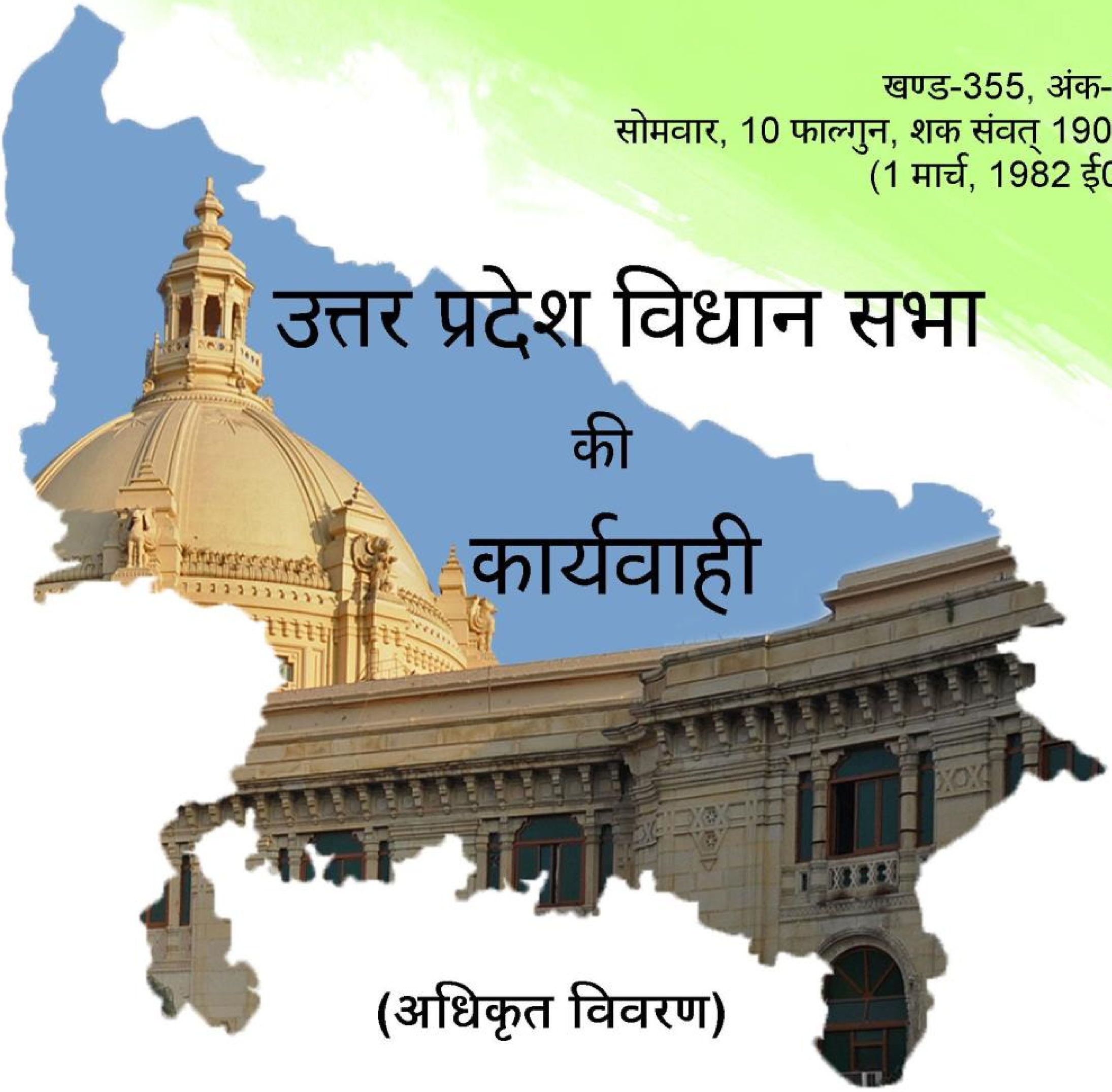

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 355 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	741–744
प्रश्नोत्तर	744–780
प्रश्नों के अद्यतन उत्तर न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	781–782
भूतपूर्व सदस्य स्वामी ब्रह्माश्रम के निधन पर शोकोद्गार	782–784
मनोकरण कन्या जूनियर हाई स्कूल की प्रबन्ध समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में आमरण अनशनकारी श्रीमती जयदेवी की गिरफ्तारी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	785
चिलुआताल, गोरखपुर में नहरों एवं ड्रेनों के पानी के जमाव के कारण फसलों की क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	785–786
सेन्ट एन्ड्रयूज डिग्री कालेज, गोरखपुर में छात्र संघ का चुनाव न कराये जाने से छात्र आन्दोलन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	786
रतनसेन डिग्री कालेज, बांसी (बस्ती) के प्रधानाचार्य के मनमानीपूर्ण रवैये के कारण छात्र आंदोलन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	786–787
प्रदेश के इंजीनियरों द्वारा प्रदेश व्यापी हड़ताल की धमकी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	787
पंचायत राज अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	788–789
दैनिक जागरण समाचार-पत्र के सम्पादक एवं प्रकाशक के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय ..	789
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	789–790
कतिपय मंत्रियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	790–792
1982–83 के आय-व्ययक में मांगों के लिये मतदान–अनुदान संख्या 31–परिवहन विभाग (स्वीकृत)	792–820
अनुदान संख्या 46––वन विभाग (स्वीकृत)	820–842
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	842
नत्थियां	843–853

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 1 मार्च, 1982 ई0

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 3 मिनट पर दिन में उपाध्यक्ष श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 287

अकबर अहमद, श्री	नैनीताल
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री	गोंडा
अजहर ईमाम, श्री	मिर्जापुर
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ
अनवार खां, श्री	अलीगढ़
अनवार मुहम्मद खां, श्री	फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री	आजमगढ़
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री	कानपुर
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिलसिंह)	फतेहपुर
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री	बरेली
इन्द्रप्रतापसिंह, श्री (लल्लू)	बहराइच
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा
ए0सी0 ग्राइस, श्री	कानपुर
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री	लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती	कानपुर
कमला देवी, श्रीमती	हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री	बरेली
कल्लू राम, श्री	मिर्जापुर
काशीनाथ मिश्र, श्री	बलिया
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती	हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह, श्री	बदायूं
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर	आगरा
केदारनाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
केशोराम, श्री	बदायूं
कैलाश टण्डन, श्री	वाराणसी
खरपत, श्री	वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
खुर्शेद अहमद, श्री	बहराइच
खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी
गया सिंह, श्री	उन्नाव
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री	नैनीताल
गुलाब नबी, श्री	आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती	बस्ती
गोपी नाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
गोपी नाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
गोवरधन तिवारी, श्री	अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री	बलिया
चन्दन सिंह, श्री	मथुरा
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चारु चन्द्र ओझा, श्री	पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
छत्तर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी
छेदी लाल, श्री	गोण्डा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री	फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद

जटा शंकर सिंह, श्री — बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री — गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री — खीरी
जमुना प्रसाद, श्री — बाराबंकी
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री — अल्मोड़ा
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री — फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री — मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री — सुल्तानपुर
झिलमिट राम, श्री — गाजीपुर
तपेश्वर, श्री — आजमगढ़
तेज बहादुर सिंह, श्री — जौनपुर
दलगंजन सिंह, श्री — जालौन
दलजीत सिंह, श्री — रामपुर
दामोदर शर्मा, श्री — मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — बस्ती
दीना नाथ, श्री — बस्ती
दीपक कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
दीप नारायन वन महन्थ, श्री — गोंडा
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री — आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री — बहराइच
देवेन्द्र पांडेय, श्री — सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री — कानपुर
धनी राम वर्मा, श्री — इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती — वाराणसी
धरमपाल, श्री — बहराइच
धर्म वीर सिंह त्यागी, श्री — मुजफ्फरनगर
ध्रुप राय, श्री — देवरिया
नकली सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री — हरदोई
नन्द कशोर सिंह, श्री — देवरिया
नन्द राम, श्री — बरेली
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री — पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री — पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
नाजिर अली, श्री — शाहजहांपुर
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) — बलिया
नेत्रपाल सिंह, श्री — एटा
पन्ने लाल, श्री — गोरखपुर
परमाई लाल, श्री — हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री — बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री — सीतापुर
पहलवान, श्री — जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती — बाराबंकी
पुष्पा चौहान, श्रीमती — अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री — अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री — हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री — बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री — प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री — जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रेमवती, श्रीमती — बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती — लखनऊ
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री — गोरखपुर
बंशीधर राज, श्री — खीरी
बच्चा पाठक, श्री — बलिया
बदन सिंह, श्री — आगरा
बनवारी राम, श्री — वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री — बलिया
बलराम सिंह यादव, श्री — इटावा
बलबीर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
बल्देव सिंह आर्य, श्री — उत्तर काशी
बाबू राम, श्री — पीलीभीत
बाबू लाल, श्री — गोंडा
बाबू लाल, श्री — हमीरपुर
बिहारी लाल, श्री — नैनीताल
बृज किशोर मिश्र, डा० — देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती — झांसी
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री — इलाहाबाद
भगवती सिंह विशारद, श्री — उन्नाव
भगवान दीन कुशवाहा, श्री — कानपुर
भागीरथ, श्री — झांसी
भीखा लाल, श्री — उन्नाव
भूपसिंह कन, श्री — गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री — गोरखपुर
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री — बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री — मेरठ
मलिक मो० जमीर अहमद, श्री — एटा
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) — गोंडा
महाराज सिंह, श्री — आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती — इटावा
महेश चन्द्र, श्री — मेरठ
महेश प्रसाद, श्री — देवरिया
माता प्रसाद पांडेय, श्री — बस्ती
माधव प्रसाद, श्री — फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री — एटा
मान बहादुर, श्री — गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री — गोरखपुर

मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री	बदायूं
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन लाल, श्री	हमीरपुर
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद नबी, श्री	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी	रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री	वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लनजी)	गोरखपुर
योगन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री	मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोंडा
रती राम, श्री	बिजनौर
रमा कान्त मिश्रा, श्री	इलाहाबाद
रमेशचन्द्र, श्री	रायबरेली
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजमंगल पाण्डेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसर वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा०	जौनपुर
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी
रामजी राम, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	जालौन
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम भजनलाल, श्री	खीरी
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सिंह, श्री	सहारनपुर
राम सिंह, श्री	सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामश्वर प्रसाद, श्री	बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
लटूरी सिंह, श्री	एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकपति, श्री	मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विद्या भूषण, श्री	मुजफ्फरनगर
विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह ढ़ाना, कुंवर	गाजियाबाद
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़
शिरोमणि, श्री	बांदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बांदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल
शिव बालक, श्री	रायबरेली
शिवमंगल सिंह, श्री	मैनपुरी

शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री	फैजाबाद
श्याम नरायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल बाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल श्री	बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री	सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
सन्त बक्स रावत, श्री	लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती	बदायूं
साहब सिंह, श्री	गाजीपुर
सिकन्दर अली खां, श्री	शाहजहांपुर
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुजान सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुमन लता दीक्षित, कुमारी	कानपुर
सुरेन्द्र कुमार (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा
हर गोविन्द वर्मा,	सीतापुर
हरदेव, श्री	बलिया
हरद्वार पांडेय, श्री	गोरखपुर
हरि प्रसाद, श्री	उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
हरीशंकर, श्री	हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद
हुकम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 1 मार्च, 1982 ई0

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तहसील टाण्डा, जनपद फैजाबाद में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत परिवारों का चयन

*1--श्री गोपीनाथ वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील टाण्डा, जनपद फैजाबाद में अन्त्योदय आई0 आर0 टी0 के अन्तर्गत कितने परिवारों का चयन किया गया तथा उन परिवारों को क्या सुविधाएं दी गयीं ? विस्तृत विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

तहसील टाण्डा जनपद फैजाबाद में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 3552 तथा आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत 23747 परिवारों का चयन किया गया ।

अन्त्योदय योजना में चयनित परिवारों को उनकी पसन्द के अनुसार बकरी, इक्का-घोड़ा, रिक्शा, सिलाई मशीन, डनलप, बैल, भैंस, इण्टरलाक मशीन, बिसाता, टोकरी, जनरल स्टोर हथकरघा, सुअरपालन, साइकिल पार्ट, गाय पालन, बढ़ईगीरी, लोहारगीरी, नरीनरा, फल-विक्रय, कालीन-उद्योग, चाय दुकान, नाई गीरी, सरईतांत, किराना, जूता बनाना, पंपसेट, लाउड स्पीकर, खराद मशीन, वेल्डिग मशीन, कम्प्रेशर मशीन, चर्म, उद्योग बरतन मरम्मत, बोरिंग मशीन, ओसाई मशीन, सब्जी, मुर्गी पालन, लकड़ी उद्योग, गदहा, दरी बुनाई, बेकरी, टाइप मशीन, स्टेशनरी, उर्वरक, बैटरी-चार्ज, ऊंट, बछड़ा, भेंड़, कपड़ा की दुकान, मत्स्य पालन व शामियाना, कार्यक्रमों हेतु रु0 19,01,335.51 का ऋण दिया गया । बैंकों से भी 159 परिवारों को ऋण दिलाया गया । इस प्रकार कुल 973 परिवारों को ऋण प्राप्त हुआ जिसके समक्ष 753 परिवारों को उनके द्वारा कार्य पूरा कर लेने पर रु0 8,36,676 का अनुदान स्वीकृत किया गया जिसमें 554 परिवारों के खातों में रु0 6,34,879 के अनुदान का समायोजन किया जा चुका है ।

आई0 आर0 डी0 योजना में चयनित परिवारों में से 20592 परिवारों को उनकी इच्छानुसार उर्वरक, बखारी, कृषि यन्त्र, सिलाई मशीन, चारा मशीन, डीजल, नलकूप, पम्पसेट विद्युत, नलकूप, बोरिंग, दुधारू पशु, बकरियां, बैल, डनलप गाड़ी, बैल सहित, रिक्शा, स्टेपुल क्रय, सूकर पालन, दुकान किराना, इक्का घोड़ा लोहारगीरी की दुकान फल की दुकान, साइकिल पार्ट्स, पान की दुकान, दुकान कपड़ा, मूंगफली की दुकान, बढ़ईगीरी तथा चर्म-शोधन कार्यक्रमों हेतु बैंकों से ऋण दिलाकर कुल रुपये 17,97,800.35 का अनुदान दिया गया ।

जनपद गोरखपुर के ब्लाक परतावल में खाद्यान्न योजना के अनाज की चोर बाजारी

*2--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक परतावल में माह दिसम्बर, 1980 में खाद्यान्न योजना का लाखों रुपये का अनाज परगनाधिकारी, महराजगंज व सी0ओ0 (पुलिस), फरेंदा के द्वारा पकड़ा गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

15 दिन के बाद यह लिया जायगा ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

यह प्रश्न 1।2 को आया था तो उत्तर आया था कि उस समय मैंने पूछा था कि ग्राम बसवार के उमेश तिवारी जो ब्लाक युवक कांग्रेस (आई),परतावल के चाचा हैं, के घर से खाद्यान्न चावल पकड़ा गया था, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? लेकिन मंत्री जी ने केवल ग्राम सेवक को सस्पेन्ड किया है। वह अपने दल के नेता हैं, इसलिये आप उनका बचाव कर रहे हैं।

श्री बलरामसिंह यादव--

उस दिन जो सूचना....

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपको बुलाया तो है नहीं। ऐसा है कि जितनी चीजों की जानकारी हो गई थी उसकी जानकारी करवा दी। आगे की क्या कार्यवाही हो रही है, उसके लिये सूचना वह एकत्र कर रहे होंगे। जब ऐसा प्रश्न आवे कि गवर्नमेन्ट सूचना एकत्र कर रही है, तो आपके अधिकारों की रक्षा के लिये मैं यहां बैठा हुआ हूं। मैं निर्देश देता हूं कि 15 दिन के बाद फिर से यह सवाल दोहरा दिया जाये।

गुरसहायगंज, जनपद फर्रुखाबाद में देशी शराब की दुकान से शराब पीने से मृत्यु

*3--श्री विमल प्रसाद तिवारी तथा श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या आबकारी मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सितम्बर, 1981 में गुरसहायगंज, जनपद फर्रुखाबाद नें देशी शराब के ठेके की दुकान से ली गयी शराब पीने से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी? यदि हां, तो इस घटना का क्या कारण था?

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री निर्मल खत्री)--

दिनांक 27 सितम्बर, 1981 को गुरुसहायगंज देशी शराब की दुकान से शराब पीने के कारण 4 व्यक्तियों की मृत्यु की जानकारी शासन को प्राप्त हुई है। घटना की मैजिस्ट्रीयल जांच हो रही है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि गुरसहायगंज की ठेके की दुकान से शराब पीने से 4 व्यक्तियों की मृत्यु की रिपोर्ट पुलिस को की गयी, किस दिन उस दुकान को सील किया गया और क्या उस ठेके की दुकान से कोई पाउडर भी सील किया गया? यदि हां, तो कब सील किया गया और कब उसको कैमिकल एक्जामिनेशन के लिये भेजा गया?

श्री निर्मल खत्री--

प्रश्नगत दुकान 27-9-81 को सील की गयी थी और यह बात भी सही है कि उसमें से पाउडर भी प्राप्त हुआ था।इस सील की हुयी दुकान का सैम्पिल भी 27-9-81 को लिया गया था और उसे 24-1-82 को रासायनिक परीक्षण के लिये भेजा गया।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, इनके उत्तर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा हो गया।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आपका पहला प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं था?

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

वह तो था ही, लेकिन मंत्री जी के उत्तर से और महत्वपूर्ण हो गया। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 27-9-81 को दुकान को सील किया गया और शराब का सैम्पिल लिया गया और वहां से पाउडर,जो निश्चित रूप से जहरीला था, उसको भी सील किया गया। मान्यवर, यह प्रश्न 15 अक्तूबर को किया गया था और जब यह प्रश्न दुबारा 18

जनवरी, 1982 को आया तब सैम्पिल्स को कैमिकल एक्जामिनेशन के लिये भेजा गया। इसमें पुलिस वालों ने पैसा ले लिया ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या सख्त कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री निर्मल खत्री—

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा इसमें कुछ विलम्ब हुआ है और उसके कुछ कारणों पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं और जो-जो कार्यवाही हुयी, उस पर भी प्रकाश डालना चाहता हूं। जिस एस0 आई0, श्री के0 एन0 सिंह ने इसका पहले सैम्पिल लिया था। उसके बाद गुरसहायगंज के एस0 ओ0 श्री पी0 एच0 सिंह को यह इंक्वायरी सुपुर्द की गयी और उसके बाद कमाल गंज के एस0 ओ0 श्री आलोक कुमार को इसकी एन्क्वायरी सौंपी गयी। तो चूंकि इसकी इन्क्वायरी के लिये समय-समय पर पुलिस कर्मियों को बदला जाता रहा इसलिये इसमें कुछ विलम्ब हुयी। इसके साथ ही चूंकि फर्रुखाबाद जनपद में डकैतों की समस्या रही और उनके बीच में एस0 ओ0 कमालगंज व्यस्त रहे, इसलिये इस मामले में कुछ विलम्ब का कारण रहा है। लेकिन चूंकि कुछ शिकायत स्थानीय पुलिस प्रशासन को प्राप्त हुई थीं यह करना पड़ा। यह जो प्र,शासनिक इन्क्वायरी अधिकारी श्री आलोक कुमार चतुर्वेदी हैं, इनके पहले जो अधिकारी थे उनको चेतावनी भी जारी कर दी गयी है और उनके खिलाफ जांच भी बिठा दी गयी।

श्री हुकम सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन 4 आदमियों की मृत्यु हो गयी उनका पोस्ट मार्टम अवश्य हुआ होगा और उनका विसरा भी लिया गया होगा जांच के लिये, तो ऐसे मामलों में जिन लोगों की दूकानों को सील कर दिया गया क्या उनको गिरफ्तार भी किया गया और उनके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री निर्मल खत्री—

मान्यवर, 18 आदमियों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हुई और उनमें से 9 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं, एक ने न्यायालय में समर्पण भी कर दिया है। यह जमानत पर हैं। 8 फरार हैं, उनके खिलाफ 82–83 की कार्यवाही की गयी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण अज्ञात बताया गया है, वह इस वजह से कि विसरा जांच के लिये भेजा गया है। एक मृतक यासीन की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें इथाइल अलकोहल और मिथाईल अलकोहल विसरे में पाया गया बताया गया है और इसमें मिथाइल अलकोहल विष है।

श्री रियासत हुसैन—

यह देखते हुए कि यह घटना गम्भीर है क्योंकि 4 व्यक्तियों की मृत्यु भी हो चुकी है, और घटना में विलम्ब भी हुआ है, तो उसमें जिन उच्चाधिकारियों का हाथ है क्या उनके खिलाफ भी जांच करायेंगे ?

श्री निर्मल खत्री—

फिलहाल ऐसी आवश्यकता नहीं है।

[सोमवार 1 मार्च, 1982 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

राहत कार्य योजनान्तर्गत ब्लाक चकिया, जिला वाराणसी में अलीपुर भगड़ा मार्ग के निर्माण में खाद्यान्न का ब्लैक तथा संबंधित कर्मचारियों का निलम्बन

*1—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री एवं पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राहत कार्य योजना में ब्लाक चकिया जिला वाराणसी में अलीपुर- भगड़ा मार्ग सन् 1979 एवं 1980 में बनाया गया था जिसका एक सौ क्विटल अनाज ए0डी0ओ0 एम0 आई, चकिया तथा ग्राम सेवक

हल्का, अलीपुर-भगड़ा ने ब्लैक कर दिया, जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना चकिया, वाराणसी में बी0 डी0 ओ0 चकिया ने किया था और दोनों कर्मचारी चालान किये गये थे ? यदि हां, तो क्या ए0 डी0 ओ0 एम0 आई0 को सस्पेण्ड किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव---

जी हां। अलीपुर-भगड़ा मार्ग सन् 79-80 में बनाया गया था। इस मार्ग का 100 बोरा खाद्यान्न ए0डी0ओ0 (एम0आई0) तथा पंचायत सेवक द्वारा ब्लैक किये जाने का मामला प्रकाश में आया था। इसकी रिपोर्ट पुलिस थाना चकिया, वाराणसी में की गई थी और दोनों कर्मचारी चालान किये गये थे। उक्त दोनों कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था। ए0 डी0 ओ0 (एम0आई0) ने माननीय उच्च न्यायालय से निलम्बन के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं। मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

भूतपूर्व प्रभारी राजकीय कृषि बीज भण्डार, सेमरियावां, जनपद बस्ती के विरुद्ध थाना दुधारी, जनपद बस्ती में दर्ज रिपोर्ट

*2---श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री कुबेर भण्डारी---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व प्रभारी राजकीय कृषि बीज भण्डार, सेमरियावां, जनपद बस्ती वर्तमान प्रभारी कृषि बीज भण्डार नौगढ़, जिला बस्ती के विरुद्ध सेमरियावां कृषि बीज भण्डार, जनपद बस्ती से संबंधित फर्जी तकावी वितरण का अपराधिक मामला थाना दुवारा, जनपद बस्ती में दर्ज है क्या यह भी सही है कि संबंधित प्रभारी के विरुद्ध फर्जी वितरण तकावी के मामले में कृषकों द्वारा सिविल जज, बस्ती की अदालत में वाद संख्या 18 सन् 1979 से प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां, तो क्या संबंधित प्रभारी को बीज भण्डार से तत्काल हटाने एवं उनके सेमरियावां बीज भण्डार के कार्यकाल का पूर्ण सम्प्रेक्षण कराके प्रकाश में आये अनियमितता के लिये कार्यवाही करेंगे ?

कृषि उपमंत्री (श्री दलजीत सिंह)---

जी हां। प्रश्नगत कर्मचारी श्री कोमल उपाध्याय के विरुद्ध धारा 409, 420, 467, 468 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना दुधारी, जनपद बस्ती में दर्ज है।

जी हां। सिविल जज, बस्ती के न्यायालय में वाद संख्या-18/79 विचाराधीन है जिसमें अन्य के अलावा प्रतिवादियों में श्री कोमल उपाध्याय का नाम भी है।

श्री कोमल उपाध्याय को भंडार के चार्ज से हटाने तथा इनके सेमरियावां बीज भंडार के कार्यकाल का सम्परीक्षण कराने के निर्देश परियोजना अधिकारी/जिला कृषि अधिकारी, बस्ती को भेज दिये गये हैं।

श्री कुबेर भंडारी---

मान्यवर, उस कर्मचारी के विरुद्ध 4 मुकदमे चल रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक वह निलंबित क्यों नहीं हुए ?

श्री दलजीत सिंह---

मान्यवर, धारायें तो अभी पढ़कर सुनाया आपको, इसकी जांच चल रही है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

मान्यवर, इसके माने यह हैं कि जितने अपराध थे, उनके खिलाफ उनमें चार्जशीट लग चुकी है तो क्या माननीय मंत्री जी उन्हें निलंबित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

शायद आप भूल गये, मुकदमें दो हैं और एक मुकदमे पर कार्यवाही चालू है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

मान्यवर, उसी से संबंधित बता दें।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब संबंधित कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमें दर्ज ह और मेरा ख्याल है कि उसने जमानत भी कराया होगा। जब प्राइमाफेसाई केस इस्टेब्लिश हो गया है, तो उन्हें निलंबित करने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह जो पाण्डेय जी ने प्रश्न उठाया, उसी को आपने दोहरा दिया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

मान्यवर, मैं और स्पष्ट कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष---

अब और स्पष्ट न कीजिए ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि जब मुकदमा उस कर्मचारी के खिलाफ दर्ज है और उसके खिलाफ प्राइमाफेसाई केस इस्टेब्लिश हो गया, तो उसे निलंबित करने में विलम्ब का क्या कारण है ? और उसे निलंबित क्यों नहीं किया गया ?

श्री दलजीत सिंह---

निर्देश दिये जा चुके हैं।

रामगंगा परियोजना के भूमि संरक्षण अधिकारी, अछनेरा के विरुद्ध काश्तकारों द्वारा प्रदर्शन

*3---श्री बदन सिंह---

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद आगरा के अछनेरा में राम गंगा परियोजना के अन्तर्गत भूमि संरक्षण अधिकारी, अछनेरा के विरुद्ध दिनांक 7-9-81 को क्षेत्र के काश्तकारों द्वारा उसके कार्यालय के सामने प्रदर्शन करके घेराव किया गया था ? यदि हां, तो प्रदर्शनकारियों की क्या मागें थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव---

रामगंगा परियोजना के भूमि संरक्षण अधिकारी, अछनेरा के विरुद्ध दिनांक 7 सितम्बर, 1981 को उनके कार्यालय के सामने क्षेत्र के काश्तकारों द्वारा प्रदर्शन एवं घिराव नहीं किया गया। अतः प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री बदन सिंह---

मान्यवर, मंत्री जी ने जो यह उत्तर यहां विधान सभा में दिया है, वह अधिकारियों की गलत सूचना के आधार पर दे दिया गया है। उस क्षेत्र के 4-5 हजार किसानों ने.....

श्री उपाध्यक्ष---

आप प्रश्न कीजिए ।

श्री बदन सिंह---

मान्यवर, मंत्री जी मुझे यह बता दें कि प्रशासक एवं चीफ इंजीनियर राम गंगा परियोजना ने 7 सितम्बर, 1981 के बाद माह अक्तूबर और नवम्बर में किये हुए कार्य की जांच क्यों कराई ? मैं यह जानना चाहता हूं मान्यवर, कि जो जांच कराई, उसका क्या कारण था ? जांच किसलिये की गयी ।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, माननीय सदस्य बदन सिंह ने एक पत्र 21 अगस्त, 1981 को जिलाधिकारी, आगरा को लिखा था और उसमें चूंकि आपने कुछ आरोप लगाये थे, इसलिए उन आरोपों की जांच कराना आवश्यक था, इसलिए मुख्य अभियन्ता वहां पर जांच करने के लिये गये थे।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि मैंने कोई पत्र वहां के जिलाधिकारी को लिखा था उस राम गंगा परियोजना के कार्य के संबंध में, तो माननीय मंत्री जी यह बता दें कि उसमें मैंने क्या आरोप लगाये थे ?

श्री उपाध्यक्ष--

जब आपने ही पत्र लिखा था, तो आप उसको क्यों पढ़ना चाहते हैं ? जो आपने आरोप लगाये थे, उन्हीं पर आधारित प्रश्न आप पूछ लीजिए ?

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, जो पत्र मैंने लिखा उसके आधार पर जांच की गई। वहां जो भूमि संरक्षण अधिकारी थे उनको डिप्टी डायरेक्टर राम गंगा परियोजना से एटैच कर दिया गया। और सब इंस्पेक्टर को हटा दिया गया लेकिन किसानों को उससे क्या राहत मिली। मैं यह जानना चाहता हूं कि गोपा नहर के कुलावा नम्बर 89, 10, 13-ए और एफ0 एस0 कैनाल फतेहपुर सीकरी के कुलाबा नम्बर 64, 67, 80, 81, 82 में तीन नम्बर की ईटों का इस्तेमाल किया गया जिसके कारण गूले गिर गये और पानी नहीं निकला। क्या इन कुलाबों को फिर से बनवायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिस वक्त जांच हुई थी माननीय सदस्य उपस्थित थे और माननीय सदस्य ने कहा था कि कुलाबा नम्बर 64, 67, 81 को देखा जाय और जांच की गई। माननीय सदस्य के समक्ष जांच हुई थी। इनमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई और इन त्रुटियों के आधार पर कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी अपने उत्तर के सदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि शिकायत सही पायी और अधिकारियों को दण्डित कर दिया गया लेकिन जो खराबी पायी गई और काश्तकारों का नुकसान हो रहा था उनको ठीक कराने का प्रयास किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ठीक कराने का प्रयास किया जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने प्रश्न किया था कि अधिकारियों को दंडित कर दिया गया लेकिन काश्तकारों का जो उत्पीड़न हुआ था, जो सिंचाई का नुकसान हो रहा था उसको ठीक न कराने का क्या कारण है ? मंत्री जी ने कहा ठीक करा दिया जायेगा मैं यह जानना चाहता हूं कि शिकायत सही पायी गयी कि काम खराब था तो तत्काल उस खराबी को ठीक न कराने लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

यह जांच होकर अभी थोड़ा समय हुआ है इसलिये इतनी जल्दी प्रश्न नहीं पैदा होता। जो काम खराब है उसको ठीक कराने पर विचार कर लेंगे और ठीक करा देंगे।

पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन महाविद्यालय, मथुरा में लेक्चरर तथा डिमांस्ट्रेटर पद के वेतनमान में दिये गये सुझाव

*4--श्री सरदार सिंह--(अनुपस्थित)

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा में प्रारम्भ से ही लेक्चरार पद का वर्तमान डिमांस्ट्रेटर के पद के वेतनमान से उच्च रहा है ? यदि हां, तो क्या डिमांस्ट्रेटर (पशु विकास अधिकारी प्रदर्शन) के पद का वर्तमान 1 जून, 1978 से लेक्चरार के वेतनमान से उच्च किया गया है और उक्त महाविद्यालय में कार्यरत लेक्चरार के पदधारी 15 अधिकारियों को पदावनति स्वीकार करन का सुझाव अधिष्ठाता न पत्र संख्या 7859/66 आई0ई0ए0-153-81, दिनांक 7 सितम्बर, 1981 के द्वारा दिया गया था तथा क्या इन अधिकारियों की 1978 से वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

पशुधन मन्त्री (श्री भानुप्रताप सिंह)--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठ न के अन्तर्गत कार्य प्रभारित अधिष्ठान में तृतीय श्रेणी कर्मचरियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से अधिक वेतन दिये जाने पर विचार

*5--श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री राम आसरे पासवान (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को एक ही वेतन दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या तृतीय श्रेणी वर्कचार्ज कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी वर्कचार्ज कर्मचारियों से अधिक वेतन देने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के अन्तर्गत कार्य प्रभारित अधिष्ठान के समस्त कर्मचारियों को, नियमित अधिष्ठान के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जा रहा है।

वर्कचार्ज कर्मचारियों का चतुर्थ श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी जैसा वर्गीकरण नहीं है। तथापि सिंचाई विभाग में जैसा निर्णय कार्य प्रभारित कर्मचारियों के बारे में लिया जायेगा, तदनुसार इस संगठन में भी उसे लागू करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

भू0 पू0 उपनिदेशक, डा0 एस0 एन0 राय के भ्रष्टाचार के संबंध में आरोप-पत्र की जांच

*6--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या पशुधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री सी0 एल0 दूबे, मण्डलीय लेखाकर, उपनिदेशक, पशुपालन, झांसी ने भू0पू0उपनिदेशक, डा0 एस0एन0राय के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दिनांक 14-1-80 को लिखित आरोप-पत्र पशुपालन निदेशक को दिया था? क्या शासन ने उपरोक्त आरोप-पत्र पर जांच कराई है यदि हां, तो शासन ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां। विभागीय जांच कराई गई थी कतिपय आरोपों के सम्बन्ध में सम्बन्धित उप-निदेशक का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

बस्ती विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक बस्ती, बनकटी एवं साऊघाट में हरिजन आवास तथा हरिजन कूप का टारजेट

*7—कु0 अलमेलु अम्माल —

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले ब्लाक बस्ती, बनकटी, साऊघाट में हरिजन आवास तथा हरिजन कूप का क्या टारजेट था तथा कितना बन चुका है ? और कितना इस वित्तीय वर्ष में पूरा कर दिया जायगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

बस्ती जिले के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले ब्लाक बस्ती, बनकटी एवं साऊघाट में निर्बल वर्ग एवं हरिजन आवास तथा हरिजन कूप से संबंधित टारजट, कार्यपूर्ति एवं इस वित्तीय वर्ष में निर्मित किये जाने वाले आवास एवं कूप का विवरण निम्न प्रकार है:—

निर्बल वर्ग एवं हरिजन आवास

विकास खण्ड का नाम	टारजेट संख्या	पूर्ण किये गये आवास (संख्या)	अवशेष जिन्हें इस वर्ष में पूरा कर लिया जायगा
1—बस्ती सदर ..	63	41	22
2—बनकटी ..	63	27	36
3—सांऊ घाट ..	55	27	28

हरिजन कूप

विकास खण्ड का नाम	टारजेट संख्या	पूर्ण किये गये कूपों की संख्या	अवशेष जिन्हें इस वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जायगा
1—बस्ती सदर ..	56	49	7
2—बनकटी ..	61	53	8
3—साऊघाट ..	62	41	21

कुमारी अलमेलु अम्माल—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बस्ती जिले के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पड़नेवाले ब्लाक बस्ती में हरिजन कालोनी कई बार गिरी और कई बार बनायी गयी जिसकी शिकायत किस सदस्य ने दिया है और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, जो प्रश्न पूछा गया था उससे इसका ताल्लुक नहीं है, इसलिये इस पर अलग से प्रश्न कर लें।

कुमारी अलमेलु अम्माल--

मान्यवर, भूतपूर्व बी0 डी0 ओ0 श्याम मनोहर वर्मा का ट्रांसफर कानपुर किया गया लेकिन उसके भाई जो डी0डी0ओ0 हैं, क्या उसको उसी जगह पर लाने के आदेश मंत्री जी ने दिये हैं ? यदि हां, तो भूतपूर्व बी0डी0ओ0 पर जो जांच चल रही है वह क्या प्रभावित नहीं होगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

कुमारी अलमेलु अम्माल--

मान्यवर, उस बी0डी0ओ0 के समय में हरिजन बस्ती कई बार गिरी और कई बार बनी, इसलिये जांच चल रही है लेकिन उसके भाई डी0डी0ओ0 के आदेश मंत्री जी ने किये हैं, इसलिये क्या मंत्री जी उस आदेश को आप वापस लेंगे ? चूंकि उसकी मैंने शिकायत किया था इसलिये मंडल मन्त्री ने उस बी0डी0ओ0 का उसी बस्ती ब्लाक से ट्रांसफर किया किन्तु आप उसके भाई को डी0डी0ओ0 वहां बना रहे हैं, इसलिये मंत्री जी आप उनको यहां न आने दें और अपना आदश क्या आप वापस लेने का कष्ट करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न मूल प्रश्न से पृथक है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मंत्री जी ने जो प्रोग्रेस रिपोर्ट बतायी है जिसमें हरिजन आवास बस्ती सदर में 63में से 41 बने,बनकटी में 63 में से 27 बने और साऊघाटमें 55 में से 27 बने और इसी तरह हरिजन कूप की स्थिति है। तो इनको न बनाये जाने का मुख्य कारण क्या है। क्या उन कारणों में से एक कारण यह भी है जो कि माननीय सदस्या ने बताया ? यदि हां, तो क्या उसमें जांच करायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, मेरे पास दिसम्बर, 1981 तक रिपोर्ट आयी है और उसके बाद प्रोग्रेस हुई होगी। तो जब निश्चित सूचना दे दिया है कि अवशेष कार्य इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा कर दिये जायेंगे तो सप्लीमेन्टरी प्रश्न पूछने की बात नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, अब तक यह काम पूरे हो जाने चाहिये थे तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, दिसम्बर, 81 तक यह सूचना है उसके बाद काम हुआ होगा और विलम्ब का कारण सीमेंट न मिलना तथा अन्य कारण ही हो सकते हैं लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत तक काम पूरा कर दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस प्रश्न की सूचना माननीय सदस्या ने 13-1-82 को दिया है और शासन को भेजने की तिथि 27-1-82 है। तो यह जानकारी संबंधित अधिकारियों के इसके एक दो दिन बाद पहुंची गयी होगी तो फिर सूचना केवल दिसम्बर तक ही आने का क्या कारण है। इसमें शंका पैदा होती है कि अधिकारियों ने जान-बूझ कर गलत सूचना देकर मन्त्रीजी के माध्यम से सदन को गुमराह करने की चेष्टा की है और तथ्य छिपाने की कोशिश की गयी है। दिसंम्बर तक ही आंकड़े भेजने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, इसमें शासन को या माननीय सदन को गुमराह करने की कोई बात नहीं है। सूचना और आंकड़े मंथली तैयार होते हैं और एक दो महीने पिछड़े आंकड़े ही आ पाते हैं। तो इसमें तथ्यों को छिपाने या सदन को गुमराह करने वाली कोई बात नहीं है।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में मैकेनिकल व सिविल के अधिकारियों का विनियमितीकरण

*8--श्री खैरुल बशर तथा श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में कुल तीन कैडर हैं, मैकेनिकल, सिविल व जियोलाजिकल ? दिनांक 22-12-81 को भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन हेतु एक चयन समिति की बैठक हुई थी जिसमें केवल एक ही कैडर अर्थात् जियोलाजिकल का एक वरिष्ठ जियोहाइओलाजिकल का विनियमितीकरण किया गया और दूसरे कैडर अर्थात् मैकेनिकल व सिविल के अधिकारियों का विनियमतिकरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में श्रेणी प्रथम में यांत्रिक, सिविल, इन्जीनियरिंग, ज्योलाजिकल एवं जियोफिजिकल अर्हता के कैडर हैं। दिनांक 22-12-81 को शासन द्वारा गठित चयन समिति की बैठक में केवल ऐसे अधिकारी का विनियमितीकरण किया गया था जिसके पद की अर्हता स्पष्ट थी, एवं जो श्रेणी-2 के पद पर स्थायी भी थे। समिति द्वारा अन्य ऐसे कैडर के अधिकारियों के बारे में निर्णय लेना उचित नहीं समझा जिनके पदों की अर्हता एवं पात्रता स्पष्ट नहीं थी।

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि चयन समिति में तीनों कैडर के किन-किन अधिकारियों के विनियमितीकरण पर विचार किया और केवल एक ही को पात्र क्यों समझा गया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, विचार तो सभी के बारे में किया गया। श्री प्रकाश सिंह को पात्र समझा गया और उनका विनियमितीकरण कर दिया गया।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विनियमितीकरण के क्या आधार था और किन-किन अधिकारियों नाम सहित, के मसले पर उस समिति ने विचार किया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, विनियमितीकरण के लिये जो आधार हैं, तो सब्जेक्ट जो हैं उसे क्वालीफाई होना चाहिये, पद भी उपलब्ध हो और वह अपने पूर्व जिस श्रेणी में रहा हो उसमें वह स्थाई होना चाहिये और उसकी चरित्र पंजिका में प्रवृष्टियां ठीक होनी चाहिये और कम से कम 7 वर्षों की सेवा करने का उस विभाग में कार्यकाल होना चाहिये ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मंत्री जी ने आधा जवाब दिया है । आधार उन्होंने बता दिया लेकिन समिति ने किन-किन अधिकारियों के विनियमितीकरण के मसले पर विचार-विमर्श किया और जिन अधिकारियों के नाम पर विनियमितीकरण के सिलसिले में विचार किया गया और पात्र नहीं पाये गये उनमें क्या कमी थी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, नाम तो मेरे पास इस समय नहीं है लेकिन सात अधिकारी थे जिनके मामले पर समिति में विचार किया गया और चूंकि श्री प्रकाश सिंह सारी अर्हतायें रखते थे इसलिये उनको किया गया और बाकी लोगों को नहीं किया गया ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जवाब हमारा नहीं आ पाया । जिन लोगों को पात्र नहीं समझा गया, उन के विषय में कुछ न कुछ कमियां निकाली गयी होंगी, जैसा मन्त्री जी ने बताया कि 18 पर विचार किया गया, 17 को पात्र नहीं पाया गया और एक को पात्र पाया गया, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उन 17 व्यक्तियों में कौन सी कमियां थीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने यह तो बताया कि वे उस पात्रता में नहीं आ रहे थे, उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास नहीं है, तो प्रश्न आपसे आप समाप्त हो गया ।

ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत प्राइमरी पाठशाला भवन हाजीपुर, मरुई के मरम्मत एवं अतिरिक्त कक्ष के निर्माण पर व्यय

*9--श्री प्रियदर्शी जैतली (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965 से अब तक ग्राम हाजीपुर मरूई, ब्लाक अकबरपुर, जिला फैजाबाद जनपद को ग्राम्य विकास योजना के अन्तगत वर्ष 1977-78 व 1978-79 में विकास कार्य के लिये धन मिला उसका इस्तेमाल उक्त गांव सभा में बने विद्यालय भवन में इस्तेमाल किया गया है ? यदि हां, तो इस वित्तीय अनियमितता के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी, हां ।

प्राइमरी पाठशाला भवन हाजीपुर, मरुई के मरम्मत एवं अतिरिक्त कक्ष के निर्माण पर नियमानुसार धन का उपयोग हुआ है । अतः अनियमितता संबंधी कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर, थाना महाराज गंज में यूरिया खाद नेपाल राज्य भेजे जाने के प्रयास में प्रभारी बीज भण्डार, गोरखपुर का निलम्बन

*10—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज थाना महराज गंज में दिनांक 31-12-80 को ट्रक नं0 यू0 आर0 पी0 5610 पर 280 बोरी यूरिया खाद नेपाल राज्य भेजे जाने के प्रयास में गोण्डा जनपद का कोई बीज भंडार का इंचार्ज बिना लाइसेन्सी रिवाल्वर के साथ लोकदल कार्यकर्ताओं द्वारा पकड़ कर पुलिस के हवाले किया गया ? यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री दलजीत सिंह—

जनपद गोरखपुर के थाना महाराजगंज में 280 बोरी यूरिया ट्रक नम्बर यू0आर0जी0 5610 सहित 31-12-80 को पकड़ा था। साथ में कृषि भण्डार प्रभारी बगदर गरैट गोण्डा भी पिस्टल के साथ पकड़े गये थे। मामले की विवेचना महाराजगंज पुलिस द्वारा की जा रही है।

प्रभारी बीच भण्डार को निलम्बित कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निलम्बन स्थगित कर दिया गया है व अब मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सम्बन्धित ट्रक जिस पर 280 बोरी खाद लदी थी, महाराजगंज से नेपाल जाते समय लोकदल कार्यकर्ताओं द्वारा पकड़ा गया, दो ट्रक स्थानीय कार्यालय में रखे गये थे। ये ट्रक मुट्ठीगंज से चले थे, गोण्डा आ रहे थे। गोण्डा के किसानों को जो छूट की खाद थी, वहां न जाकर पुनः गोरखपुर लायी गयी। गोरखपुर में संबंधित कर्मचारी श्री देवी पाण्डे, जो समरा, राजागंज का निवासी है, महाराजगंज में अपने घर के लोगों के नाम से खाद बांट रहा था.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप सूचना दे रहे हैं, या प्रश्न कर रहे हैं ?

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मैं सूचित तो पहले ही कर चुका हूं, अब तो प्रश्न कर रहा हूं। मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह खाद ट्रक पर कहां से लादी गयी और किन परिस्थितियों में गोरखपुर आयी ? क्या इस तथ्य को तोड़-मरोड़ कर दूसरे ढंग से प्रस्तुत करने जा रहे हैं ?

श्री दलजीत सिंह—

आदमी गलत रास्ते से महाराजगंज गया था, इसलिये उसको निलम्बित कर दिया गया था।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, प्रश्न जो किया गया है मा0 मन्त्री जी से कि खाद किस गोदाम से आयी थी ? मुख्य मुद्दा यह था। किन परिस्थितियों में वहां तक पहुंच गयी, इस बीच में कोई चैकिंग इत्यादि नहीं हुई ? इससे साफ जाहिर है कि हिन्दुस्तान के अधिकारी मिलकर खाद विदेशों में भेज रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि खाद किस गोदाम से लदी थी ? और उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री दलजीत सिंह--

मान्यवर, यह खाद गोंडा जनपद के लिये इलाहाबाद से 24-12-80 को लदी थी। 400 क्वि0 यूरिया इस सण्टर को एलाट हुआ था। इसमें एक ट्रक पहले सीधे पहुंच गया, दूसरा ट्रक जिसमें हमारा आदमी था, यह ट्रक लेकर महाराजगंज गया; किस वजह से गया यह पता नहीं। जांच में उसने यह बताया है कि मेरा भाई बीमार था, मेरा घर महाराजगंज में पड़ता था, इसलिये वहां से गया। जो स्टोर सील कर दिया गया था, उसके बाद उसके जमानत पर आने के बाद उसके सामने खोला गया तो सब ठीक पाया गया। उसके बाद जब यह रिलीज हुआ कोर्ट से तो हमारे स्टोर पर पहुंच गया।

उसमें कोई अनियमितता नहीं पायी गयी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सत्य है कि नैनो-मुट्ठीगंज से गोण्डा के इंचार्ज इसे लाये और गोरखपुर में महाराजगंज में ले गये। जसा कि मैंने अभी कहा कि उनके परिवार के नाम से खाद के लाइसेन्स हैं। दो ट्रकों में खाद रखा, उसमें स एक को नैपाल जाते हुए पकड़ा गया। क्या संबंधित डिप्टी डाइरेक्टर, गोरखपुर यहां पर मुख्यालय में पैसे के बल पर काफी बचाव कर रहे हैं। किन-किन को स्थगन आदेश अभी भी जारी हैं और क्या उन्हें स्थगित कर दिया गया है और इस समय निलम्बित हैं या नहीं ?

श्री दलजीत सिंह--

मान्यवर, इसकी जांच करा लेंगे।

प्रदेश के चावल मिल उद्योग के विकास हेतु प्रार्थना-पत्र

*11--श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चावल मिल उद्योग के विकास हेतु कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में चलाई जा रही चावल मिल योजना के सफलतापूर्वक चलाने हेतु श्री भूधर नारायण मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा कृषि मन्त्री एवं मुख्य मंत्री को 19-10-80, 2-7-1981 एवं 16-11-81 को भजे गये पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं, उन पर अब तक (24-12-81) क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

विषय से संबंधित पत्र, दिनांक 19-10-80 एवं 2-7-81 का प्राप्त हुए हैं।

उक्त पत्रों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:--

1--विश्वविद्यालय में एक सुसज्जित वर्कशाप होते हुए भी इसकी सुविधा परियोजना को अभी तक नहीं मिल सकी है।

2--केन्द्र सरकार के द्वारा दिये गये वित्तीय अनुदान का आडिट किया हुआ विवरण कई वर्षों से बार-बार स्मरण कराये जाने के बावजूद भी कन्द्र सरकार को नहीं भेजा गया है।

3--परियोजना के भूतपूर्व मानद निदेशक डा0 दौलत सिंह के द्वारा वित्तीय गोल-माल एवं अनेक अनियमिततायें आडिट के द्वारा प्रकाश में आयीं हैं लेकिन उनके निवारण के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया और न उन्हें इन अनियमितताओं के लिए प्रताड़ित एवं दंडित किया गया बल्कि उन अनियमितताओं को छिपाने के लिए परियोजना को यहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है।

4--परियोजना में संयुक्त निदेशक एवं अन्य पद योजना प्रारंभ होने से ही रिक्त पड़े हैं बल्कि इन पदों का शत प्रतिशत वित्तीय भार केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है जिससे योजना कार्य में बाधा पड़ रही है। परियोजना में कार्यरत उप निदेशक (राइस मिलिंग) को यू0जी0सी का वेतनमान केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहमति के बावजूद भी नहीं दिया गया है, जबकि इनके समक्ष अन्य शिक्षकों को यह वेतनमान दे दिया गया है।

5--केन्द्र को वित्तीय अनुदान की आडिट रिपोर्ट विश्वविद्यालय के द्वारा न भेजने के कारण योजना का अनुदान केन्द्र द्वारा बन्द कर दिया गया है और परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते का आहरण एवं वितरण एक विकट समस्या हो गयी है।

6--परियोजना में केन्द्र द्वारा इस कार्य के लिये दिया गया वाहन विश्वविद्यालय द्वारा परियोजना से हटाकर अन्य कार्यों में लगा दिया गया है और परियोजना कार्य के लिए वाहन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

इस संबंध में कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:--

1--चूंकि विश्वविद्यालय की वर्तमान वर्कशाप कृषियंत्रों के शोध एवं प्रशिक्षण कार्य में प्रयोग की जा रही है इसलिए चावल मिल योजना के लिये वर्कशाप की व्यवस्था के बजाय वर्तमान भवन को ही योजना के अनुरूप परिवर्तन करने हेतु आगणन तैयार कर दिये गये हैं और विश्वविद्यालय के प्रबन्ध परिषद् में प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव बन चुका है जिस पर स्वीकृति मिलते ही समुचित कार्यवाही की जायेगी।

2--वर्ष 1980-81 तक के आडिट प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं।

3--चावल मिल योजना के भूतपूर्व मानद निदेशक डा0 दौलत सिंह द्वारा मशीनों एवं अन्य स्टोरों के क्रय में आडिट द्वारा वित्तीय अनियमिततायें प्रकाश में लायी गयी हैं उनके संबंध में विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक की आख्या हाल ही में प्राप्त हुई ह, जिस पर उचित कार्यवाही की जायेगी। विश्वविद्यालय इस परियोजना को चलाने का प्रयास कर रही है और परियोजना को कानपुर से हटाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

4--इस योजना में मैकेनिक-कम-वाहन-चालक के पद को छोड़कर, संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक तथा प्राविधिक अधिकारी एवं मैकेनिक-कम-आपरेटर के रिक्त पदों का विज्ञापन करा दिया गया है और अग्रतर कार्यवाही की जा रही ह, जिसके बाद केन्द्रीय अनुदान का समुचित उपयोग किया जायगा। योजना के उक्त निदेशक को यू0जी0सी0 वेतन देने की भी कार्यवाही की जा रही ह।

5--आडिट प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं तथा केन्द्र सरकार से अनुदान मिलना शुरू हो गया है और कर्मचारियों के वेतन, भत्ता आदि का आहरण एवं वितरण किया जा रहा है।

6--प्रबन्ध मण्डल द्वारा 1979 से विश्वविद्यालय की सब गाड़ियां पूल कर दी गयी थी। इसके बावजूद भी योजना की आवश्यकताओं को देखते हुए गाड़ी तथा ड्राइवर दे दिया गया है

अनुसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में कार्यरत आई ए0 एस0 अधिकारियों की ज्येष्ठता के संबंध में निर्णय

**1--श्री हुकम सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश में कार्यरत आई0ए0एस0 अधिकारियों की वरिष्ठता को पुन: निर्धारित करते हुए कोई आदेश प्रदेश सरकार को भेजा है जिससे गृह सचिव सहित बीस वरिष्ठ अधिकारियो की वरिष्ठता प्रभावित होगी तथा स्थिति बनाये रखने के लिए क्या आयुक्त स्तर के नए पदों को सृजित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है?

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी) --

ज्येष्ठता के संबंध में भारत सरकार का निर्णय प्राप्त हुआ है जिससे आई0ए0 एस0 में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त आठ अधिकारी प्रभावित होते हैं। आयुक्त स्तर के नए पद सृजित करने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री हुकम सिंह- -

मान्यवर, उत्तर के साथ ही साथ एक शोधन वक्तव्य भी इसमें आ गया है कि 8 के बजाय 6 अधिकारी ही प्रभावित हो रहे हैं। तो जो 6 अधिकारी प्रभावित हैं यह कौन-कौन से 6 अधिकारी हैं और इनके क्या-क्या पद हैं?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

मान्यवर, इसमें दो अधिकारी ऐसे हैं जो रिट में हैं जिनके नाम हैं श्री अख्तर आलम तथा श्री महेन्द्र वीर सिंह ढेसी। इसके अतिरिक्त 4 अधिकारी हैं ।

(1) श्री फरहत अली, आयुक्त फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

(2) श्री पी0 सी0 श्रीवास्तव, सचिव, ग्राम्य विकास।

(3) श्री आर0 सी0 टकरू, गृह सचिव, लखनऊ।

(4) श्री आर0 के0 गुप्ता, प्रशासक, शारदा सहायक कमाण्ड एरिया, लखनऊ।

श्री हुकम सिंह---

दो अधिकारी जिनके मामले रिट में हैं, उनके संबंध में कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूं परन्तु जो 4 अधिकारी रिट में नहीं हैं तो उनके संबंध में क्या यह सही है कि सर्विस रेगुलेशन की धारा के विरुद्ध आपने इन 4 अधिकारियों को कमिश्नर के पद पर प्रोन्नत किया हुआ है। उनकी जो वरीयता आती है, जो डाइरेक्टर आई0ए0एस0 वर्ग के अधिकारी हैं उनसे नीचे आती है। जो डाइरेक्ट आई0ए0एस0 अधिकारी हैं आपने उनको प्रोन्नत न करके इनको कैसे प्रोन्नति दे दी है?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, प्रोन्नति तो उनको 1967 के पहिले की सीनियारिटी को मान कर दी गयी थी। भारत सरकार से जो सूचना आयी 23-12-81 को उनके जो आदेश हमें प्राप्त हुए हैं वह पहली प्रीजम्शन आफ सर्विस की पोजीशन पर दी गयी है। भारत सरकार ने इसकी वरीयता उन्हें दी है।

श्री रियासत हुसैन---

मंत्री जी ने जैसा कि अभी कहा कि 23-12-81 को भारत सरकार का डाइरेक्टिव आपके पास आया। इस डाइरेक्टिव के आधार पर अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं। इसके संबंध में कोई पत्र आपने केन्द्र सरकार को लिखा है?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी- -

मान्यवर, जो निदेश उनके प्राप्त हुए तदनुसार कार्यवाही हो रही है और हमने इसके विरोध में कोई पत्र भारत सरकार को नहीं लिखा है।

श्री हुकम सिंह- -

मान्यवर, सबसे बड़ी शंका यह है कि दो व्यक्तित्व ऐसे हैं, एक श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी का गृह मंत्री के रूप में और दूसरा श्री राम चन्द्र टकरू का गृह सचिव के पद पर दोनों ही सुपर इम्पोज्ड और.....

श्री उपाध्यक्ष--

हुकम सिंह जी, आप विषयांतर जा रहे हैं।

श्री हुकम सिंह--

मैं क्षमा चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि कार्यवाही क्या हो रही है और क्या शीघ्रातिशीघ्र जो विरोधाभास है उसको दूर करके इन चारों अधिकारियों की सीनियारिटी जिलाधिकारी और स्पेशल सेक्रेटरी के समकक्ष आती है, तुरन्त उनको वहां से हटा कर जो पात्र अधिकारी हैं उनको प्रोन्नति देंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

10 जगहें खाली हैं और उन पर सीनियारिटी से प्रोन्नति देने के लिए शासन न विचार कर लिया है और यथाशीघ्र निदेश जारी हो जायेंगे।

पशुधन विकास सहायक संघ की मांगें तथा विचार

**2--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या पशुधन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पशुधन विकास सहायक संघ द्वारा प्रस्ताविक संघर्ष के सिलसिले में संघीय अध्यक्ष, श्री महेश सिंह वर्मा द्वारा 7 फरवरी से आमरण अनशन तत्पश्चात आत्मदाह की सूचना शासन को भी है ? यदि हां, तो पशुधन विकास सहायकों की मांगें क्या हैं और शासन द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री दलजीत सिंह--

जी हां। संघ की तीन मांगें निम्नलिखित हैं:---

(1) समान योग्यता एवं समान कार्य के आधार पर पशुधन विकास सहायक (सहायक विकास अधिकारी पशुधन) तथा पशुधन प्रसार अधिकारी दोनों को एक ही वर्ग के कर्मचारी घोषित कर समान वतन निर्धारित किया जाय।

(2) पदनाम परिवर्तन--पशुधन विकास सहायकों का पदनाम परिवर्तित कर सहायक पशुधन विकास अधिकारी किया जाय।

(3) पशुधन विकास सहायकों के दो वर्षीय प्राविधिक पाठ्यक्रम को डिप्लोमा प्रदान किया जाय।

इन मांगों पर विचार किया जा रहा है।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पशुधन विकास सहायक संघ के अध्यक्ष ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है और शुरू करने के ठीक 15 दिन बाद आत्मदाह करने की सूचना दी है, क्या उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष---

एक बार में एक ही प्रश्न करें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मांगों पर विचार कब तक पूर्ण हो जायेगा और निर्णय कब तक घोषित कर दिया जायगा ?

श्री दलजीत सिंह---

अनशन शुरू किया, हम उन लोगों से मिले, सद्भावनापूर्ण बात हुई, कल अनशन छोड़ दिया है। मांगों पर विचार करके अवगत करा दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

नोट:---अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

खेती की सिंचाई में बोरिंग पर कर

1—श्री विजय सिंह राना—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि खेती की सिंचाई के लिये प्रयोग किए जाने वाले किसानों के बोरिंग पर कोई कर लगाया गया है ? क्या सरकार इस कर को समाप्त करने की घोषणा करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

फर्रुखाबाद जनपद में एम0 आई0 स्टोरों का निर्माण

2— श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में एम0 आई0 स्टोरों का निर्माण बिना एस्टीमेट स्वीकृत कराए ही आरम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस गम्भीर अनियमितता के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

फर्रुखाबाद जनपद में कुल 10 एम0 आई0 स्टोरों के निर्माणकार्य सहायक अभियन्ता (ल0सि0) द्वारा प्रारम्भ कराया गया था। इसमें से 5 स्टोरों के स्टीमेट स्वीकृत हुए हैं । शेष 5 स्टोरों में स्टीमेट मण्डल स्तर पर विचाराधीन हैं ।

2—5 स्टोरों के निर्माण का कार्य बिना स्टीमेट स्वीकृति के प्रारम्भ कर दिये जाने के सम्बन्ध में संबंधित सहायक अभियन्ता (ल0सि0) की कठोर चेतावनी दे दी गयी है ।

उदयगंज, लखनऊ में मुख्य कैन्ट रोड स्थित शराब और ताड़ी की दुकानें हटाने पर विचार

3—श्री राम आसरे वर्मा

क्या सरकार को ज्ञात है कि उदयगंज, लखनऊ स्थित इंफैन्ट्स स्कूल एवं मंदिर पार्श्व में ही मुख्य कैन्ट रोड पर शराब की दो दुकानें खोली गयी हैं ? उक्त शराब की दुकान के निकट ही लोकायुक्त एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय भी है ? क्या सरकार इन्फैण्ट्स स्कूल के बच्चों के जीवन एवं अन्य नागरिकों को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त दो शराब की दुकानों को अविलम्ब वहां से हटाने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी राज्यमंत्री (श्री गोवरधन तिवारी)—

उदयगंज, लखनऊ में मुख्य कैन्ट रोड पर स्थित शराब और ताड़ी की दुकानें मद्य निषेध अवधि को छोड़ कर विगत 46 वर्षों से इसी स्थान पर चली आ रही हैं। लोक आयुक्त और मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग के कार्यलय इन दुकानों से लगभग 1 फर्लांग की दूरी पर स्थित है। स्कूल के बच्चों के जीवन तथा नागरिकों को हो रही असुविधा की कोई शिकायत अभी तक शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।अतः अन्य उपयुक्त स्थान के अभाव में इन पुरानी दुकान को हटाना संभव नहीं प्रतीत होता है ।

जनपद उन्नाव, ग्राम सभा मवइया मजरा बलवन्त खेड़ा में हरिजनों को मकान बनवाने हेतु स्वीकृत अनुदान तथा हरिजनों द्वारा दिये गये शिकायती पत्र की जांच

4—श्री जमुना प्रसाद—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत विकास खण्ड बिछिया ग्राम सभा मवइया मजरा बलवन्त खेड़ा में पांच हरिजनों के मकान बनवाने हेतु

[श्री जमुना प्रसाद--]

अनुदान स्वीकृत हुआ था यदि हां, तो क्या उन हरिजनों के मकान बनवा दिए गये ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्राम सभा के हरिजनों द्वारा ग्राम प्रधान संस्तुति लेकर कोई शिकायती- पत्र दिनांक 17--8--81 को मा0 पंचायत राज मन्त्री उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी उन्नाव, अपर जिलाधिकारी, परियोजना उन्नाव को दिया था जिसकी जांच 5--9--81 अपर परियोजना निदेशक द्वारा की गयी यदि हां, तो वह जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत विकास खंड बिछिया के ग्राम सभा मवइया मजरा बलवन्त खेड़ा में पांच हरिजन श्री जुग्गा पुत्र श्री भिण्डा, श्री शिवरतन पुत्र श्री चिन्ता, श्री नन्हा पुत्र श्री चिन्ता, श्री छेदी पुत्र श्री नन्हकऊ, एवं श्री कल्लू पुत्र श्री मैकू में से प्रत्येक को हरिजन आवास योजना के अन्तर्गत अंकन रुपये--1,800 (रु0 एक हजार आठ सौ मात्र) अनुदान (सामग्री के रूप में) वित्तीय वर्ष 1980--81 में स्वीकृत किया गया था। उक्त ग्राम के श्री नन्हा पुत्र श्री चिन्ता, श्री जुग्गा पुत्र श्री भिण्डा एवं श्री शिवरतन पुत्र श्री चिन्ता ने अपने मकान बनाकर पूर्ण कर लिये हैं। अभी दो हरिजन लाभार्थी श्री छेदी पुत्र श्री नन्हकऊ एवं श्री कल्लू पुत्र श्री मैकू ने अपने मकान पूर्ण नहीं किये हैं।

उक्त ग्राम सभा के हरिजनों द्वारा ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर से शिकायती-प्रार्थना-पत्र (जिस पर हरिजनों क हस्ताक्षर नहीं हैं) माननीय पंचायत राज मंत्री उ0 प्र0, जिलाधिकारी, उन्नाव तथा जिलाधिकारी (परियोजना) उन्नाव को दिनांक 10--8--81 को दिया गया था जिसकी जांच अपर परियोजना निदेशक द्वारा की जा रही है शिकायती पत्र में उल्लिखित कुछ मुद्दों पर जांच पूर्ण नहीं हुई है। जांच शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। दिनांक 17--8--81 का कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

उपनिदेशक (पशुपालन) लखनऊ मण्डल द्वारा मशीन का क्रय

5 - श्री यदुनाथ सिंह---

क्या पशुधन मन्त्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1980--81 में उप निदेशक (पशुपालन), लखनऊ मण्डल द्वारा एक ऐसी मशीन की विदेश से खरीद की गयी ह जिसमें कीमत तथा सीमा शुल्क मिलाकर लगभग चालीस लाख की लागत लग गयी है जबकि उक्त अवधि में आवश्यक दवाओं की तथा साज-सज्जा की खरीद नगण्य है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

वित्तीय वर्ष 1980--81 में उप निदेशक (पशुपालन) लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा ऐसी किसी मशीन का क्रय विदेश से नहीं किया गया है। अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

एस0 डी0 एम0 बुलन्दशहर द्वारा मन्डी समिति स्याना का आकस्मिक निरीक्षण तथा पायी गयी अनियमिततायें

6--श्री छत्तर सिंह--

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि 24 दिसम्बर, 1981 को एस0डी0 एम0, बुलन्दशहर ने मण्डी समिति स्याना, जनपद बुलन्दशहर का आकस्मिक निरीक्षण किया था ? क्या निरीक्षण में समिति के कार्य में अनियमितता पाई गयी ? यदि हां, तो इस संबंध में मंत्री जी ने क्या कायवाही की ?

श्री भानुप्रताप सिंह--

जी हां।

श्री केहर सिंह, अमीन के आवक रजिस्टर पत्र 44-अ-में दिनांक 24-12-81 का कोई आवक दर्ज न था एवं श्री भरत सिंह, अमीन द्वारा आवक रजिस्टर 44-अ उस दिन कार्यालय में जमा नहीं किया गया था।

उपरोक्त दोनों अमीनों को निलंबित करके आरोप-पत्र दिये गये। उनके स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर श्री भरत सिंह को दिनांक 13-1-82 को तथा श्री केहर सिंह को दिनांक 21-1-82 को कड़ी चेतावनी देते हुए एवं निलम्बन काल को बिना वेतन मानते हुए बहाल किया गया।

आबकारी निरीक्षकों के स्थानान्तरण के संबंध में शिकायती-पत्र

7--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री माता प्रसाद पाण्डेय विधायक का आबकारी विभाग के संबंध में 14-7-81 का पत्र मुख्य मन्त्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र में वर्णित तथ्य क्या हैं और सरकार ने उस पर आज तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं की, तो क्यों?

श्री गोवरधन तिवारी--

जी हां, पत्र में आबकारी निरीक्षकों के स्थानान्तरण के संबंध में शिकायत की गयी है। इस पर आबकारी आयुक्त की आख्या मांगी गयी है।

श्री मनोहर लाल सैनी, संसद सदस्य का आबकारी विभाग के संबंध में पत्र

8--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री मनोहर लाल सैनी संसद सदस्य का आबकारी विभाग के संबंध में 21-9-81 का पत्र मुख्य मन्त्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र में वर्णित तथ्य क्या हैं? और सरकार ने उस पर आज तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोवरधन तिवारी--

जी हां। पत्र तो प्राप्त हुआ प्रतीत होता है लेकिन सतत प्रयास के बावजूद विभाग में फिलहाल यह पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस कारण इस समय तथ्यों को बताना संभव नहीं है। उक्त पत्र को विभिन्न स्तर पर खोजने के साथ ही माननीय संसद सदस्य से पत्र की प्रति प्राप्त की जायेगी।

आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं आबकारी निरीक्षकों के स्थानान्तरण में अनियमितता संबंधी शिकायती पत्र

9--श्री वीरेन्द्र सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री जयपाल सिंह कश्यप एम0पी0 का आबकारी विभाग के संबंध में दिनांक 8-8-81 का पत्र मुख्य मन्त्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र में वर्णित तथ्य क्या हैं और सरकार ने उस पर आज तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोवरधन तिवारी--

जी हां। इस पत्र में आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं आबकारी निरीक्षकों के स्थानान्तरण में अनियमितताओं की शिकायत की गयी है। इस विषय पर और भी शिकायतें आयी हैं जिन पर गोपनीय जांच हो रही है।

सर्वश्री मोतीलाल देहलवी, मोहन सिंह विधायक का आबकारी विभाग क संबंध में पत्र पर कृत कायवाही

10—श्री वीरेन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सर्वश्री मोती लाल दहलवी, मोहन सिंह विधायक का आबकारी विभाग के संबंध में 7-7-81 का पत्र मुख्य मन्त्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र में वर्णित तथ्य क्या हैं और सरकार ने उस पर आज तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं किया, तो क्यों?

श्री गोवरधन तिवारी—

जी नहीं।

मण्डी समिति स्याना, जनपद बुलन्दशहर में बुकलना से बसी वाया रेंठीवाला बाग तक निर्माण कार्य

11—श्री छत्तर सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 बजट में मण्डी समिति स्याना, जनपद बुलन्दशहर में बुकलना से बसी वाया रेंठीवाला बाग तक खड़ंजा के लिये डेढ़ लाख रुपया मन्जूर किया था परन्तु इस मार्ग पर आज तक कोई कार्य नहीं किया गया? इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री भानुप्रताप सिंह—

जी नहीं।

इस कार्य के लिये कोई धनराशि स्वीकृत नहीं है। अतः इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जानी है।

अनुसचित जाति के आबकारी निरीक्षकों के स्थायीकरण की मांग तथा पदोन्नति में आरक्षण पूरा करने हतु विचार

12—श्री मुन्शी लाल—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में अनुसूचित जाति के कौन-कौन से निरीक्षक ऐसे हैं जिन्होंने 3 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके हैं और उन्हें अभी तक स्थायी घोषित नहीं किया गया ह? क्या 5 वष से अधिक की सेवा पूर्ण करन वाले निरीक्षकों को 1982 में स्थायी कर दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोवरधन तिवारी—

आबकारी विभाग में अनुसूचित जाति के 25 आबकारी निरीक्षकों जिन्होंने 3 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्णकर ली है, को अभी तक स्थायी घोषित नहीं किया गया है। आबकारी निरीक्षकों की सूची संलग्न है। वर्ष 1982 में उपलब्ध स्थाई रिक्तियों के विपरीत यदि ज्येष्ठता-क्रम के आधार पर उन आबकारी निरीक्षकों क नाम आत हैं तो उनके स्थाईकरण पर विचार किया जायेगा।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 843 A पर।)

13—श्री मुन्शी लाल—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति के आबकारी निरीक्षकों का शासनादेश के अनुसार 18 प्रतिशत का आरक्षण पूर्ण है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या पदोन्नति हेतु 5 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष से कम सेवा के अनुसूचित जाति के निरीक्षकों को भी पदोन्नति में आरक्षण पूरा करने हेतु विचार किया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोवरधन तिवारी--

अनुसूचित जाति के आबकारी निरीक्षकों का शासनादेशों के अनुसार 18 प्रतिशत का आरक्षण पूर्ण नहीं है। आरक्षण पूर्ण न होने का कारण यह है कि अनुसूचित जाति के आबकारी निरीक्षक विभाग में पहले कम थे। इनका आरक्षण अब पूर्ण किया जा रहा है।

आबकारी निरीक्षकों का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है और नियमानुसार रिक्तियां (आरक्षित रिक्तियां) दर्शायी जाती हैं।

आबकारी निरीक्षक पद से आबकारी अधीक्षक के पद पर पदोन्नति की जाती है। पदोन्नति के लिये 10 वर्ष की सेवा और स्थायी होना आवश्यक है।

14--श्री प्रभू नारायण सिंह--

(15-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 19 द्वारा उत्तरित)।

आबकारी विभाग के संबंध में कतिपय पत्रों पर कृत कार्यवाही

15--श्री मोतीलाल देहलवी तथा श्री मोहन सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री जगपाल सिंह, संसद सदस्य का पत्र जुलाई, 81 से आज तक के बीच श्री रामेश्वर सिंह, एम0 पी0 का 21-8-81 का पत्र तथा श्री माता प्रसाद विधायक का 4-4-81 का पत्र आबकारी विभाग के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित तथ्य क्या हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही किया और यदि नहीं किया, तो क्यों ?

श्री गोवरधन तिवारी--

सर्वश्री जगपाल सिंह का दिनांक 1-7-81 का पत्र प्राप्त हुआ है। शेष दो पत्र दिनांक 21-8-81 एवं 4-4-81 प्राप्त नहीं हुए हैं। श्री जगपाल सिंह के पत्र में सहारनपुर में तलहेड़ी बस स्टैन्ड के पास शराब के ठेके खोले जाने की शिकायत की गयी थी। जिलाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत ठेके की दुकान बन्द है।

जिला परिषद्, गाजीपुर को प्राप्त अनुदान तथा निजी स्रोतों से प्राप्त आय एवं उपयोग की गई धनराशि

16--श्री राम नारायण सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिला परिषद् को वर्ष 1980 में सन् 1981 तक सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी गयी है तथा इस अवधि में परिषद् को कितनी आय किन-किन मदों से प्राप्त हुई है तथा परिषद् के सारे धन का उपयोग किन-किन मदों में किया तथा सरकार द्वारा इससे लेखा-जोखा की आडिट कब कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार विशेष आडिट अधिकारी द्वारा आडिट कराने की व्यवस्था कराने का कदम उठायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिला परिषद्, गाजीपुर को वर्ष 1980-81 में सरकार द्वारा रु0 37,93,076-00 के अनुदान दिये गये। इस अवधि में जिला परिषद् द्वारा निजी स्रोतों से प्राप्त आय एवं उपयोग की गई धनराशि का विवरण संलग्न है।

जिला परिषद् के लेखों का आडिट परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, द्वारा दिनांक 26-5-81 को एवं महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, द्वारा 1981 में किया गया है। विशेष आडिट कराने का कोई मामला शासन के विचाराधीन नहीं है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 844 पर।)

17—श्री प्रियदर्शी जेतली—

[1-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 68 द्वारा उत्तरित]

कार्यवाहक उप निदेशक श्री विशन कुमार गोयल के दो पदों का कार्यभार संभालने का औचित्य

18—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कार्यवाहक उप निदेशक (कृषि रक्षा) श्री विशन कुमार गोयल दो पदों कार्यवाहक उप निदेशक एवं कृषि रक्षा अधिकारी (लखनऊ) का कार्यभार सम्भाले हुए हैं ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री भानुप्रताप सिंह—

जी हां। सेवा नियमावली में प्रस्तावित कतिपय संशोधनों की पृष्ठभूमि में इस पद को नियमित रूप से भरना संभव नहीं हो सका और स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत श्री गोयल अपने पद के साथ-साथ उप निदेशक, कृषि रक्षा का कार्य भी देख रहे हैं। इस अतिरिक्त कार्य के लिये उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन या भत्ता नहीं दिया जा रहा है।

विधान सभा एवं विधान परिषद् के सदस्यों के पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच

19—श्री सन्तबक्स रावत—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा सदस्यों तथा विधान परिषद् सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त दिनांक 3-2-81 को आबकारी विभाग के संबंध में पत्र मुख्य मन्त्री जी को प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो पत्र में वर्णित तथ्य क्या हैं और सरकार ने उस पर आज तक क्या कार्यवाही किया, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोवरधन तिवारी—

जी हां। विधान सभा एवं विधान परिषद् के सदस्यों के हस्ताक्षरों से युक्त पत्र दिनांक 3 फरवरी, 81 प्राप्त हो गया है और उसमें लगाये गये आरोपों की गोपनीय जांच की जा रही है। इस समय आरोपों के संबंध में कोई सूचना दिया जाना उचित नहीं है।

आबकारी कर्मियों की भर्ती से संबंधित पत्र-पर जांच

20—श्री सन्त बक्स रावत—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा सदस्य श्री कुबेर भण्डारी और श्री चन्दन सिंह का आबकारी विभाग के संबंध में 21-9-81 का पत्र मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित तथ्य क्या हैं और सरकार ने उस पर आज तक क्या कार्यवाही की यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोवरधन तिवारी—

जी हां। श्री चन्दन सिंह तथा श्री कुबेर भण्डारी का दिनांक 21 सितम्बर, 1981 का पत्र प्राप्त हुआ है जो आबकारी कर्मियों की भर्ती से संबंधित है जिसके संबंध में आबकारी आयुक्त से आख्या मांगी गई है जो अभी प्रतीक्षित है।

21—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[18-1-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 134 द्वारा उत्तरित।]

आबकारी आयुक्त के पी0 ए0 श्री एम0 एम0 सिद्दीकी के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी से संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही

22--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि श्री राम स्वरूप निम और श्री भगवानदीन कुशवाहा आदि विधायकों का आबकारी विभाग के सम्बन्ध में दिनांक 22-9-81 का पत्र मुख्य मन्त्री जी को प्राप्त हुआ है यदि हां, तो उक्त वर्णित तथ्य क्या हैं और सरकार ने उस पर आज तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोवरधन तिवारी--

जी हां। प्रश्न में उल्लिखित 22-9-81 के पत्र में आबकारी आयुक्त के पी0 ए0 श्री एम0 एम0 सिद्दीकी के भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी संबंधित निम्न तथ्य वर्णित किये गये हैं :--

(1) श्री सिद्दीकी के पास अत्यधिक सोना तथा जमीनों के प्लाट हैं जिन्हें बेचने के लिए श्री सिद्दीकी ने उत्तर प्रदेश सरकार से 1979 में लिखित प्रार्थना पत्र देकर अनुमति मांगी थी किन्तु शासन ने श्री सिद्दीकी से यह जानकारी नहीं की कि इनके पास इतना सोना और जमीनों के खरीदने के लिये कहां स धन आया है।

श्री सिद्दीकी ने सोना और प्लाट बेचने के लिये प्रार्थना-पत्र देकर स्वयं सिद्ध कर दिया है कि उन्होंने अपने सेवाकाल में बड़े पैमाने पर रिश्वत लेकर धन जुटाया है। अभी निरीक्षकों के ट्रांसफर में जिस प्रकार इतना रिश्वत लिया गया है जिसकी सारी रचना श्री सिद्दीकी ने किया था और उन्हीं के माध्यम से पैसा लिया गया।

(2) श्री सिद्दीकी ने सरकार को गलत प्रमाण-पत्र पेश किया कि वे मुस्लिम कायस्थ हैं और उसी को दिखाकर उन्होंने प्रोमोशन ले लिया जबकि आबकारी विभाग में नियुक्ति के समय उन्होंने ऐसे कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया था यह सीधे-सीधे उनकी धोखेबाजी एवं जालसाजी है।

उपरोक्त शिकायती पत्र प्राप्त होने पर शासन ने आबकारी आयुक्त को निर्देश दिया हैं कि वे इन आरोपों की स्वयं जांच करके तथ्यात्मक आख्या से शासन को अवगत करें आबकारी आयुक्त से वांछित जांच आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुयी है उनको अनुस्मारित भी किया गया है।

ब्लाक रामनगर, जनपद फैजाबाद में पौष्टिक आहार योजना व लघु सीमान्त कृषकों में खाद वितरण के संबंध में भ्रष्टाचार की जांच

23--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक रामनगर जनपद फैजाबाद में पौष्टिक आहार योजना व लघु सीमान्त कृषकों में खाद वितरण के संबंध में व्यापक भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में आयुक्त फैजाबाद ने परगनाधिकारी टाण्डा, फैजाबाद से कोई जांच कराई है ? यदि हां,तो उक्त जांच की रिपोर्ट क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां। जांच रिपोर्ट में कतिपय अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये हैं जिनके विरुद्ध जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

24--श्री छत्तर सिंह--

[8वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद पौड़ी-गढ़वाल के अन्तर्गत बनेख-दिऊसी मोटर मार्ग का निर्माण

25—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बनख-दिऊसी मोटर मार्ग का निर्माण त्वरित योजना, खाद्यान्न योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत किया गया है ? यदि हां, तो अब तक उन योजनाओं के अन्तर्गत कब-कब और कितना-कितना व्यय किया गया है और इस मार्ग को कब तक दिऊसी ग्राम तक मिलाये जाने और क्षेत्रीय जनता को इस पर मोटर यातायात की योजना दिये जाने की संभावना है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

बनेख-दिऊसी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 1974 के पूर्व लिंक रोड योजना तथा वर्ष 1977 के बाद श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत किया गया है, जिसमें क्रमशः रुपये 97,000.00 तथा रुपये 88,228.30 व्यय किया गया है।

इस सड़क पर सोलिंग एवं पुलिया का कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा किया जा रहा है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात इस पर मोटर यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

ग्राम सभा वरियावन, जिला फैजाबाद में स्थित बाजार की नीलामी

26—श्री जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती' श्री शेरबहादुर तथा श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा वरियावन ब्लाक अकबरपुर, जिला फैजाबाद में सन् 1972 से अब तक उक्त गांव में स्थिति बाजार नीलामी कब-कब और कितने-कितने रुपये में हुई और उक्त नीलामी का धन ग्राम सभा द्वारा कब-कब उक्त ग्राम के खाते में जमा हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्नगत बाजार की वर्ष 1972 से 1981 तक की नीलामी और उसके धन के विवरण नीचे दिये जा रहे हैं।

वर्ष 1975, 1976 एवं 1977 में उक्त बाजार का प्रबन्ध जिला परिषद् फैजाबाद द्वारा किया गया था इसलिये उक्त वर्षों के नीलाम का धन गांव सभा कोष में जमा नहीं हुआ है।

नीलाम का वर्ष	नीलाम की धनराशि	गांव सभा कोष में धन जमा किये जाने की तिथि
1	2	3
1972 ..	1,700.00	1-4-1972
1973 ..	1,700.00	1-4-1973
1974 ..	1,985.00	29-3-1974
1975 ..	900.00	नीलामी जिला परिषद् द्वारा कराई गई।
1976 ..	2,700.00	
1977 ..	2,705.00	
1978 ..	5,800.00	18-3-78 को (800.00 रुपये) 26-3-78 को (5,000.00 रुपये)
1979 ..	2,950.00	2-6-1979 को 1,350.00 3-10-1979 को 1,600.00
1980 ..	4,110.00	30-3-1980
1981 ..	8,250.00	29-3-1981

"विप्लवी मजदूर" हिन्दी साप्ताहिक को विज्ञापन सूची में सम्मिलित न किये जाने का कारण

27—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सूचना मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई से प्रकाशित "विप्लवी मजदूर" हिन्दी साप्ताहिक को विज्ञापन सूची में सम्मिलित न किये जाने के क्या कारण है ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री काशीनाथ मिश्र)—

यह पत्र विज्ञापन मान्यता की निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करता है ।

जनपद झांसी, ग्राम कोछाभांवर में मरगठिया बन्धी के निर्माण हेतु स्वीकृत ठेका

28—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद ब्लाक बड़ा गांव ग्राम को कोछा भांवर में मरगठिया बन्धी के निर्माण हतु वर्ष 1979-80 में कोई ठेका स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो इस बन्धी पर कितना निर्माण हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषकों द्वारा पंपिंग सेट क्रय करने हेतु लिये गये तकावी ऋण के अवशेष की वसूली में विलम्ब

29—श्री कुंवर सिंह, नेगी—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 81 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित अतां0 प्र0 सं0 98 के उत्तर के सन्दर्भ में लघु सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कब तक कृषकों को माफ की गयी धनराशि लौटा दी जायेगी तथा विलम्ब के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

कृषकों को आवश्यक धनराशि का भुगतान करने के लिये तृतीय अनुपूरक मांग के माध्यम से धन का प्राविधान बजट में कर लिया गया है । विधायी स्वीकृति मिलने के उपरान्त शासनादेश जारी कर दिया जायेगा । धन की व्यवस्था करने की औपचारिकता पूर्ण करने में विलम्ब हुआ है जिसके लिये कोई दोषी नहीं है अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

वर्तमान सूचना निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

30—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सूचना मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान सूचना निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन अप्रैल, 1981 में श्री सुबोध मिश्र, पत्रकार, कुण्डरी रकाबगंज, लखनऊ द्वारा राज्यपाल को दिया गया ? यदि हां, तो आरोप क्या थे और कार्यवाही क्या हुई ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

आरोप संलग्न प्रार्थना पत्र की प्रति में दिये गये हैं ।

मामले में छानबीन की जा रही है और छानबीन पूर्ण हो जाने के पश्चात् निष्कर्षों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 845–846 पर।)

जनपद सीतापुर में नलकूप निगम को दिया गया नलकूप लगाने का कार्य

31---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नलकूप निगम, सीतापुर को कुल कितने नलकूप लगाने का काम वर्ष 1977 या 1978 में दिया गया है ? उनमें से कितने सिंचाई हेतु पानी देना प्रारम्भ किया है ? जिस-जिस नलकूप में अभी तक पानी नहीं दिया है, तो उसका क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव---

जनपद सीतापुर में नलकूप निगम को वर्ष 1977–78 में कोई नलकूप लगाने का काम नहीं दिया गया। परन्तु वर्ष 1979–80 में उक्त निगम को 50 नलकूप लगाने का कार्य आवंटित किया गया था जिनमें से 9 नलकूपों ने पानी देना प्रारम्भ किया है। शेष नलकूप निर्माण के विभिन्न चरणों में है जिसके कारण उन नलकूपों ने अभी पानी देना प्रारम्भ नहीं किया है।

जनपद गोरखपुर के कतिपय विकास खण्डों में पुष्टाहार योजना में चावल, सूखा दूध, सोयाबीन का तेल का वितरण

32---श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद---

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड, सरदार नगर, महाराजगंज, मिठौरा व परतावल में वर्ष 1980–81 में पुष्टाहार या स्वल्पाहार योजना में चावल, सूखा दूध एवं सोयाबीन का तेल कब-कब व कितनी मात्रा में दिया गया ? ग्राम स्तर पर इसके प्रयोग से सम्बन्धित पुष्टिकरण के साथ बनी सूची क्या है ? क्या इन सब मामलों को लेकर कोई आडिट रिपोर्ट अनियमितताओं के संबंध में है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव---

सूचना एकत्र की जा रही है।

भदौली माइनर पर ग्राम बरौली से नेवकबीरपुर के मध्य कच्ची गूल का निर्माण कार्य तथा मजदूरी का भुगतान

33---श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रार्थीगण ग्राम रजपलिया ने कबीरपुर, सुदामापुर, बाकीपुर, टडेला व खारिका भारी विकास खण्ड माया बाजार, जिला फैजाबाद नहर विभाग के भदौली माइनर पर ग्राम करौली से नकबीरपुर के मध्य गूल खोदने की मजदूरी का कार्य 1979 सूखाग्रस्त में किया था उसका आज तक भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव---

भदौली माइनर पर ग्राम बरौली से नेवकबीरपुर के मध्य गूल खोदने का कोई कार्य सूखाग्रस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं कराया गया, परन्तु भदौली माइनर पर वर्ष 1979 में शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना द्वारा प्रक्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दैनिक श्रमिक चिट्ठे पर कच्ची गूल का निर्माण कार्य कराया गया था। श्रमिकों को पूरी मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है और श्रमिक का कोई भुगतान अवशेष नहीं है।

आजमगढ़ जनपद के घोसीपकौड़ी मार्ग पर निर्मित पुलियों में खराब ईटों के प्रयोग के संबंध में जांच

34—श्री राजकुमार राय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जनपद अन्तर्गत घोसी कोपागंज विकास क्षेत्रों में ग्रामीण अभियन्त्रण योजना के अन्तर्गत जो पुलिया का निर्माण हुआ उसमें प्रथम श्रेणी के ईटों के स्थान पर तृतीय श्रेणी के ईटों का प्रयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों विकास खंडों में निर्मित कार्य की जांच करायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

आजमगढ़ जनपद के घोसी पकौड़ी मार्ग पर निर्मित पुलियों में खराब ईटों के प्रयोग के संबंध में जिलाधिकारी,आजमगढ़ ने प्रारम्भिक जांच कराई है । इस जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन ने मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को विस्तृत जांच हेतु निर्देश दिये हैं । जांच ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के टेक्निकल आडिट सेल द्वारा की जा रही है ।

युवा सेवा संस्थान, लखनऊ को ऋण एवं अनुदान

35—श्री ऊदल—

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि युवा सेवा संस्थान, लखनऊ को सन् 65 से लेकर जून, 81 तक कितने रुपये का ऋण एवं अनुदान दिया गया है ? क्या सरकार इस संस्था के पदाधिकारियों के नाम व पते बतायेगी तथा यह संस्था क्या कार्य करती थी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं । प्रादेशिक विकास दल अथवा युवा कल्याण अनुभाग द्वारा प्रश्नगत संस्था को कोई ऋण एवम् अनुदान नहीं दिया गया है । युवा सेवा संस्थान, लखनऊ नामक किसी संस्था की जानकारी इस विभाग को नहीं है ।

श्री श्याम सिंह रावत, सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक, नैनीताल के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के भुगतान में विलम्ब

36—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्याम सिंह रावत, पुत्र श्री भीमसिंह रावत, सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक (कृषि विभाग) भूमि संरक्षण इकाई, नैनीताल के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि (जी0 पी0एफ0) एकाउन्ट नं0 ए0 जी0 यू0 /19097 की धनराशि इनके राजकीय सेवाओं से त्याग-पत्र की स्वीकृति वर्ष 1980 से अभी तक उन्हें इस धनराशि की वापसी नहीं हुई है ? शासन को श्री रावत द्वारा एवं प्रश्नकर्ता द्वारा बार-बार धनराशि वापस करने हेतु लिखे जाने पर भी उक्त धनराशि का भुगतान न करने का क्या कारण है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां । प्राधिकार पत्र महालेखाकार, उ0 प्र0 द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया है ।

बरेली जनपद में शाही शेरगढ़ मार्ग से ग्राम बैरमनगर मार्ग का निर्माण

37—श्री जयदीप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली जनपद में शाही शेरगढ़ मार्ग से ग्राम बैरमनगर मार्ग को पक्का करने की प्रक्रिया कब प्रारम्भ हुई और इस समय उस पर क्या कार्य हो रहा है । कार्य पूरा न होने के क्या कारण है और शासन कब तक इसे पूरा करा देगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

प्रश्नगत मार्ग को पक्का कराने का प्रस्ताव नहीं था। प्रश्नगत मार्ग के 2.5 कि0 मी0 भाग पर खड़ंजा लगाने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग, अस्थायी खण्ड, बरेली द्वारा दि0 20-6-80 को प्रारम्भ करके दि0 18-10-80 को पूर्ण किया गया। कुल मार्ग पौने तीन कि0 मी0 का है।

38--श्री रामआसरे वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर हटाया गया।]

श्री बमई, ग्राम मौलनापुर गोडारी का भवन निर्माणार्थ अनुदान से संबंधित प्रार्थना पत्र

39--श्री पंचानन राय--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बमई, पुत्र श्री मुल्लू, ग्राम मौलनापुर गोडारी का भवन निर्माणार्थ अनुदान से संबंधित प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 7-7-81 के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

स्व0 श्री केशव सिंह की पत्नी को पारिवारिक पेंशन का भुगतान

40--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री केशव सिंह, प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी श्रेणी (2) की पत्नी को पारिवारिक पेंशन का भुगतान करा दिया गया है? यदि नहीं, तो यह कब तक कर दिया जायेगा?

श्री बलराम सिंह यादव--

अभी पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। स्व0 श्री केशव सिंह द्वारा लिये गये भवन निर्माण अग्रिम की धनराशि के समायोजन हेतु ग्रेच्युटी के अतिरिक्त पारिवारिक पेन्शन से भी वसूली के लिये उनकी पत्नी को सहमति देने हेतु लिखा गया है, उत्तर प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही संभव हो सकेगी।

पंतनगर विश्वविद्यालय में निर्धारित अंक से कम अंक पाने पर स्नातक स्तर के छात्रों को ड्राप किये जाने का प्राविधान तथा पुनः प्रवेश देने पर विचार

41--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार बतायेगी कि पंतनगर विश्वविद्यालय में निर्धारित अंक से कम अंक पाने पर छात्रों को निकालने का प्राविधान है? यदि हां, तो यह किस नियम के अन्तर्गत किया जाता है तथा विगत 15 जुलाई, 1981 को प्रथम वर्ष के कितने छात्रों को उक्त नियम के अन्तर्गत निकाला गया? क्या विश्वविद्यालय में एसे भी छात्र हैं, जिन्हें निर्धारित अंक से कम अंक पाने पर भी वर्ष 1981-82 में निष्कासित नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां। यह प्राविधान स्नातक स्तर क छात्रों के लिये नियम 43 (ए) तथा स्नातकोत्तर छात्रों के लिये नियम 26 (1, 2 एवं 3) में है। उक्त नियम के अन्तर्गत जुलाई, 81 में प्रथम वर्ष में 39 छात्रों को ड्राप किया गया। विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रथम वर्ष का कोई ऐसा छात्र नहीं है जिसे निर्धारित अंक से कम अंक पाने पर भी ड्राप न किया गया हो।

42--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार यह बतायेगी कि निर्धारित अंक से कम पाने पर वर्ष 1981-82 में जिन छात्रों को ड्राप किया गया है उन छात्रों को पुन: प्रवेश देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

नियम 44 में यह प्राविधान है कि इस प्रकार ड्राप किये गये छात्रों द्वारा पुन: प्रवेश के लिये दिये गये पिटीशन पर कुलपति द्वारा नियुक्त पिटीशन कमेटी द्वारा विचार किया जायगा उक्त कमेटी प्रत्येक पिटीशन के संबंध में विचार करके कुलपति को परामर्श देगी कि इसे स्वीकार किया जाय अथवा निरस्त किया जाय। ऐसे मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा। सरकार द्वारा विचार किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

कृषि विभाग के अन्तर्गत शुष्क कृषि परियोजना में कार्यरत अधिकारी तथा सम्प्रेक्षण अनुभाग द्वारा वास्तविक हानि व अनियमित भुगतान की दी गयी सूचना

43--श्री राम नारायण सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 8/72 से 3/74 तथा 1971-72 में कृषि विभाग के अन्तर्गत मिर्जापुर में शुष्क कृषि परियोजना में कौन अधिकारी (उप निदेशक) तैनात थे और कृषि विभाग की आन्तरिक सम्प्रेक्षण सेल ने पत्रांक 6780, दिनांक 19-12-77 व 4475 दिनांक 30-9-72 के द्वारा कितनी हानि एवं अनियमित भुगतान की सूचना विभाग को दी और विभाग ने सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

कृषि विभाग के अन्तर्गत शुष्क कृषि परियोजना राबर्ट्सगंज (मिर्जापुर) में उप निदेशक के पद पर उक्त अवधि में श्री ब्रह्मानन्द शर्मा कार्यरत रहे।

सम्प्रेक्षण अनुभाग के पत्रांक 6780, दिनांक 19-12-77 द्वारा वर्ष 8/72 से 3/74 तक की अवधि में रु0 1,44,639.16 की सम्भावित वास्तविक हानि एवं रु0 151,498.50 के अनियमित भुगतान की सूचना दी। सम्प्रेक्षण अनुभाग के पत्रांक 4475, दिनांक 30-9-72 द्वारा रु0 4,790.00 की संभावित वास्तविक हानि तथा रु0 5,27,904.84 के अनियमित भुगतान की सूचना दी।

उप निदेशक भूमि संरक्षण व राबर्ट्सगंज से प्राप्त परिपालन आख्या तथा संस्तुति के उपरान्त रु0 1,44,639.16 की संभावित वास्तविक हानि के विरुद्ध रु0 61,327.40 एवं रु0 1,51,498.50 पैसे के अनियमित भुगतान के विरुद्ध रु0 2,268 15 पैसे के प्रस्तर निस्तारित किये जा चुके हैं। अवशेष संभावित वास्तविक हानि रु0 83,311.76 तथा अनियमित भुगतान रुपया 1,49,230.35 पैसे के प्रस्तावों के निस्तारण की कार्यवाही क्रमिक है।

संभावित वास्तविक हानि रु0 4,790.00 के सभी प्रस्तर उप निदेशक, भूमि संरक्षण, राबर्ट्सगंज की परिपालन आख्या एवं संस्तुति के उपरान्त निरस्त किये जा चुके हैं तथा अनियमित 1,08,358.81 पैसे के प्रस्तर निरस्त किये जा चुके हैं। अवशेष अनियमित भुगतान रु0 4,19,546.00 पैसे के प्रस्तरों के निस्तारण की कार्यवाही क्रमिक है।

44—श्री मोहन सिंह—

[23-2-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 60 द्वारा उत्तरित।]

वर्तमान उप निदेशक कृषि मेरठ मण्डल के विरुद्ध जांच

45—श्री मोहन सिंह—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि वर्तमान उप निदेशक, कृषि, मेरठ मण्डल के विरुद्ध कोई जांच कृषि विभाग के तत्कालीन संयुक्त निदेशक, श्री ईश्वर चन्द अग्रवाल द्वारा की गयी थी। जिसकी रिपोर्ट उन्होंने पत्र सं0 539/जांच (10)/81, दिनांक 23-7-80 द्वारा कृषि निदेशक को भेज दी थी उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां। संबंधित अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर में कृषि विभाग के राजकीय कृषि फार्म का रकबा तथा कार्यरत कर्मचारी

46—श्री राम नारायण सिंह—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में कृषि विभाग के कितने राजकीय कृषि फार्म हैं तथा उनका कितना रकबा कहां-कहां है तथा दिसम्बर, 1981 को इन पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा इन कृषि फार्मों की आय एवं व्यय उक्त अवधि में कितना था?

श्री भानुप्रताप सिंह—

गाजीपुर जनपद में कृषि विभाग के 3 प्रक्षेत्र हैं। इनका रकबा 6,98,13.20 और 17.10 हेक्टर क्रमानुसार बड़ाबाग, आंकुसपुर और टिसौरा पर हैं। इन प्रक्षेत्रों पर दिसम्बर, 81 में 11 कर्मचारी कार्यरत रहे हैं। तीनों प्रक्षेत्रों पर दिसम्बर, 81 में रु0 रु0 15,150.15 व्यय हुआ है। उक्त अवधि में तीनों प्रक्षेत्रों में रबी की फसल खड़ी होने के कारण आय का आंकलन सम्भव नहीं है।

जिला परिषद्, देवरिया में आवासीय भवनों का बकाया किराया एव वसूली हेतु कार्यवाही

47—श्री छत्तर सिंह—

क्या ग्राम विकास मंत्री बतायेंगे कि जिला परिषद्, देवरिया में कितने आवासीय भवन हैं तथा 30-12-81 को कितना किराया किसके ऊपर बकाया है तथा उसकी वसूली हेतु कौन-सी कार्यवाही की जा रही है?

श्री बलराम सिंह यादव—

कुल 57 आवासीय भवन हैं 30-12-81 तक निम्नलिखित व्यक्तियों के ऊपर उनके नाम के सम्मुख अंकित किराया बकाया है :—

1—श्री राम रक्षा तिवारी, देवरिया	..	160.00
2—श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, देवरिया	..	260.00
3—श्री व्यास मुनि तिवारी, देवरिया	...	795.00
4—श्री डी0पी0 सिंह, देवरिया	..	1,997.45
5—श्री शिव प्रताप सिंह, देवरिया	..	283.85

6—श्री शंकर प्रसाद तिवारी, देवरिया	..	2,216.50
7—श्री शम्भू नाथ मिश्र, देवरिया	..	1,271.00
8—श्री ओंकार नाथ सिंह, देवरिया	...	2,355.05
9—श्री त्रिभुवन लाल वर्मा	..	4,683.20
10—श्री राजेश सिंह, देवरिया	..	2,450.00
11—श्री राजमंगल तिवारी, देवरिया	..	3'565.80
12—श्री तेजनारायण उपाध्याय, देवरिया	..	5,562.00
13—श्री महेन्द्र सिंह यादव, देवरिया	..	3,925.00
14—श्री रंग लाल यादव, देवरिया	...	18,842.00
15—श्री बंश गोपल तिवारी, देवरिया	..	462.00
16—श्री दयाशंकर शुक्ल, देवरिया	..	1,328.00
17—श्री कामेश्वर उपाध्याय, देवरिया	..	1,477.60
18—श्री परियोजना अधिकारी प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, देवरिया	..	16,000.00

उपर्युक्त क्रम सं0 1 से 7 पर अंकित किरायेदारों से वसूली करने हेतु नोटिस जारी की गई है तथा क्रम सं0 8 से 18 पर अंकित किरयेदारों से वसूली एवं आवास खाली कराने हेतु न्यायालय में बाद विचाराधीन है।

जिला उद्यान अधिकारी, देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही तथा बकाये के भुगतान हेतु भुगतान हेतु उप निदेशक, उद्यान, बस्ती को भेजा गया पत्र

48—श्री हरिवंश सहाय—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि जिला उद्यान अधिकारी देवरिया के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 6-1-82 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायते क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां। शिकायती-पत्र की प्रति संलग्न है। उप निदेशक उद्यान-कम-प्रभारी अधिकारी प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती की आख्या मांगी गई है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 847-848 पर।)

49—श्री हरिवंश सहाय—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि जिला उद्यान अधिकारी, देवरिया ने माह अप्रैल, 81 में श्री गया प्रसाद, देवरिया खास देवरिया से कितने रुपये की गोबर की खाद क्रय किया ? उसका भुगतान कब किय गया। यदि भुगतान नहीं किया गया तो उसका कारण क्या है ? क्या श्री गया प्रसाद ने बकाये के भुगतान हेतु उप निदेशक, उद्यान, बस्ती को शिकायती-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

श्री गया प्रसाद से 710 रुपये की गोबर खाद क्रय की गई है। बैंकर्स चेक संख्या ए-694458, दिनांक 5-2-82 द्वारा दिनांक 8-2-82 को भुगतान किया गया। प्रश्न नहीं उठता। एक शिकायती-पत्र श्री गया प्रसाद के नाम से प्राप्त हुआ था। श्री गया प्रसाद द्वारा अपने पत्र दिनांक 22-11-81 में इसका खण्डन किया गया है वह सुनिश्चित किया

है कि उनके द्वारा कोई शिकायती-पत्र नहीं भेजा गया है और न उनके हस्ताक्षर है। श्री गया प्रसाद के नाम से 1-1-82 को फिर एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है जिसके संबंध में छानबीन की जा रही है।

पौष्टिक आहार योजनान्तर्गत विकास खण्ड सलेमपुर व बैतालपुर में पुरस्कार वितरण

50--श्री हरिवंश सहाय--

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि जिला उद्यान अधिकारी को 1600 रु0 विकास खण्ड, सलेमपुर व बैतालपुर के लिये पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत पुरस्कार के रूप में वितरण हेतु वर्ष 80-81 में शासन से प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उसका वितरण कब तथा किसे किया गया? यदि नहीं, तो वितरण न करने का कारण क्या है?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां। पुरस्कार वितरण 3,4,8 तथा 9 अप्रैल, 1981 को किया गया। विजेताओं की सूची संलग्न है। प्रश्न नहीं उठता।

[देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 849 पर।]

जनपद देवरिया में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना पर विकास खण्डवार व्यय

51--श्री हरिवंश सहाय--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में एकीकृत ग्राम विकास योजना पर विकास खण्ड वार 31-12-81 तक कुल कितना धन व्यय किया गया?

श्री बलराम सिंह यादव--

जनपद देवरिया में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना पर दिनांक 31-12-81 तक विकास खण्डवार व्यय विवरण संलग्न है।

[देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 850 पर।]

जनपद देवरिया के सलेमपुर तहसील में खाद्यान्न योजनान्तर्गत बांध तथा सड़कों का निर्माण कार्य

52--श्री हरिवंश सहाय--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देवरिया के सलेमपुर तहसील में वर्ष 1979-80 में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कितने बांध एवं सड़कें बनाई गई? तथा प्रत्येक पर कितना धन व्यय हुआ? कितने बांध व सड़क अधूरी है? क्या इन अधूरे कार्यों को पूरा कराने की कोई योजना है?

श्री बलराम सिंह यादव--

जनपद देवरिया के सलेमपुर तहसील में वर्ष 1979-80 में खाद्यान्न योजनान्तर्गत 2 बांध तथा 145 सड़कें बनाई गई। बांध पर क्रमशः 69,319.80 रुपये तथा 10,80,00.00 रु0 व्यय हुआ। इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 145 सड़कों में से 32 सड़कों का निर्माण कार्य खाद्यान्न योजना समाप्त हो जाने के कारण पूर्ण नहीं हुआ है। प्रत्येक सड़क पर व्यय का अलग-अलग विवरण विस्तृत है जिसे माननीय सदस्य मेरे कक्ष में देखने का अनुग्रह करना चाहें। इन अधूरे मार्गों को पूर्ण कराने हेतु वर्तमान समय में कोई योजना नहीं है।

53--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

(8 वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

जनपद जौनपुर के पशुधन विकास अधिकारी डा0 एम0 एम0 इस्लाम का स्थानान्तरण

54—श्री विश्राम दास—

क्या पशुधन मंत्री कृपा बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के पशुधन विकास अधिकारी डा0 एम0 एम0इस्लाम जनपद में गत 4 वर्षो से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? उनके स्थानान्तरण के लिये उप निदेशक, पशुपालन, वाराणसी तथा जिला पशुधन अधिकारी, जौनपुर तथा जिला विकास अधिकारी, जौनपुर, जिलाधिकारी, जौनपुर ने कार्य से असंतोष व जनता के विभिन्न शिकायतों के आधार पर अविलम्ब स्थानान्तरण के आदेश के बावजूद भी उनका स्थानान्तरण नहीं हुआ ? यदि हां, तो स्थानान्तरण रोकने के क्या कारण है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां। उनके स्थानान्तरण के लिये इन अधिकारियों से अपनी संस्तुतियां की थीं। उनके विरुद्ध शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं। निदेशक, पशु पालन ने स्थानान्तरण करने के बजाय शिकायतों की जांच कराकर अनुशासनिक कार्यवाही कराना अधिक उचित समझा। इन परिस्थितियों में स्थानान्तरण करने का प्रश्न नहीं उठता है।

मदुई मोहम्मदपुर माईनर के निर्माण में हुई शिकायतों की अतिरिक्त जिला अधिकारी परियोजना (आजमगढ़) द्वारा जांच

55—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 152 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जांच कार्यवाही कब प्रारम्भ हुई थी उसे कितना समय हो गया और कब तक जांच पूरी हो जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उक्त मामले में तत्कालीन जिलाधिकारी आजमगढ़ के दिनांक 17 फरवरी, 1980 को दिये गये आदेशानुसार अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना) की जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी। जांच कार्यवाही के मार्च, 1982 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

श्री ओम प्रकाश शर्मा, सेवा निवृत्त अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी की प्रोवीजनल पेंशन जीवन बीमा धनराशि का भुगतान

56—श्री लोकमणि शर्मा—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओम प्रकाश शर्मा, अति0 जिला कृषि अधिकारी जो परियोजनाधिकारी (कृषि), जनपद रायबरेली के कार्यालय से 31-7-75 को सेवामुक्त हुए थे उनका अविशेष धन का भुगतान अब तक नहीं किया गया है, क्यों ? प्रोवीजनल पेंशन दिनांक 1-4-76 से 31-7-76 तक 656.00 रुपये, जीवन बीमा पालिसी नं0 86496358 इस पालिसी का सन् 1972 में ही महालेखाकर, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को बीमा कम्पनी ने भुगतान कर दिया था जिसकी धनराशि 2505.12 पै0 व बोनस 77.44 पै0, 2582.56 पै0 का भुगतान कर दिया तथा अवशेष वेतन वृद्धि दिनांक 1-6-70 से 31-1-73 तक 750.00 तथा एरियर वेतन 280.00 का खण्ड विकास अधिकारी, सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर ने अभी तक भुगतान क्यों नहीं किया ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

श्री ओम प्रकाश शर्मा, सेवा निवृत्त, अति जिला कृषि अधिकारी को दिनांक 1-4-76 से 31-7-76 तक की अवधि के लिये प्रावीजनल पेंशन रु0 164.00 प्रति माह की दर से भुगतान करने हेतु महालेखाकार, उ0 प्र0 ने अधिकार-पत्र जारी कर दिया है। जीवन बीमा की धनराशि के भुगतान के मामले पर कार्यवाही महालेखाकार, उ0 प्र0 के यहां अपेक्षित है। श्री शर्मा का 750 रु0 तथा 280 रु0 का कोई देय भुगतान हेतु अवशेष नहीं है।

कृषि बीज गोदाम चील्ह, मिर्जापुर के प्रभारी का निलम्बन सील करने विषयक कार्यवाही

57—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि बीज गोदाम चील्ह, मिर्जापुर के प्रभारी को सन् 80 में जिला कृषि अधिकारी ने निलम्बित कर दिया था ? यदि हां, तो उक्त गोदाम की सुरक्षा हेतु तथा वहां के स्टाक को नये प्रभारी को ट्रांसफर करने की क्या प्रक्रिया अपनायी गयी ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां। भण्डार प्रभारी, जिन्हें निलम्बित किया गया है, गोदाम के अभिलेख एवं समस्त स्टाक की बिक्री के धन के साथ फरार हो गये हैं। फरार प्रभारी के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। चूंकि गोदाम पर कोई स्टाक, धन या अभिलेख नहीं बचे थे, अतः उसकी सुरक्षा की व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

58—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि गोदाम चील्ह, मिर्जापुर को 14-11-80 को खण्ड विकास अधिकारी, चील्ह तथा अन्य कर्मचारियों के सामने जिला कृषि अधिकारी; मिर्जापुर ने सील किया है ? यदि हां, तो तथ्य क्या हैं ?

श्री भानू प्रताप सिंह—

जी नहीं।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज के अन्तर्गत जमुआरी के नाले पर पुल का निर्माण कार्य

59—श्री प्रभुनारायण सिंह—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज के अन्तर्गत जमुआरी के नाले पर पुल कब और किस योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन था ? क्या यह सत्य है कि क्षेत्रीय अधिकारियों की लापरवाही और गोलमाल के कारण इस पुल का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया ? क्या जनहित में सरकार इस पुल का शीघ्र निर्माण करायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज के अन्तर्गत ग्राम जमुआरी के नाले पर पुल का निर्माण करने हेतु भूमि विकास कर मद से क्षेत्र समिति, मुफ्तीगंज ने अपने प्रस्ताव संख्या 15 दिनांक 1-7-76 द्वारा 15,535 रुपये की स्वीकृति प्रदान की थी। पुल का निर्माण-कार्य दिनांक 27-1-77 से प्रारम्भ किया गया तथा दिनांक 31-3-78 तक चला।

जी नहीं, अधिकारियों की लापरवाही व गोल-माल के कारण नहीं अपितु धनाभाव के कारण पुल का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। ग्राम सभा के पास धन उपलब्ध होने पर ही पुल का निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा।

जनपद बरेली में काम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मार्गों पर रख रखाव हेतु आवंटित धन

60—श्री जयदीप सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद में जो खड़ंजे ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा काम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बने मार्गों पर मार्च, 1980 से 1 दिसम्बर, 1981 तक लगाये हैं, उनकी मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु कोई धन शासन द्वारा आंवटित किया गया है, यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं। इस कार्य हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 1981-82 के आय व्ययक में कोई प्राविधान नहीं है।

श्रम हेतु खाद्यान्न योजनान्तर्गत फैजाबाद जनपद के ब्लाक जलालपुर तथा नियांव में निर्मित सड़कें

61--श्री शेरबहादुर--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के ब्लाक जलालपूर तथा भियांव में सन् 1977-78, 1978-79, 1979-80 में खाद्यान्न योजना में कौन-कौन सी सड़के बनीं उनकी लम्बाई क्या है तथा उन पर अलग-अलग कितना धन लगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

श्रम हेतु खाद्यान्न योजनान्तगत फैजाबाद जनपद के ब्लाक जलालपुर तथा नियांव में उक्त वर्षों में निर्मित सड़कों के संबंध में अपेक्षित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 851 पर।)

श्री अमीन अहमद, कोंच, जिला जालौन का गोवध गोमांस का लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र

62--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोंच, जिला जालौन से गोवध गोमांस का निर्यात करने के लिये हाल में ही एक लाइसेन्स दिया गया है? क्या लाइसेन्स का समर्थन करते हुए किसी विधायक ने जिलाधिकारी, उरई से सिफारिश की है ? यदि हां, तो लाइसेंस किसने मांगा, सिफारिश किसने की तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

श्री अमीन अहमद, मु0 आराजी लाइन्स, कोंच, जालौन ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 29-9-81 तथा 4-10-81 द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी, जालौन से निवेदन किया था। इन प्रार्थना-पत्रों पर किसी भी विधायक की सिफारिश नहीं थी। जिलाधिकारी ने लाइसेंस देना अस्वीकर कर दिया जिसकी सूचना आवेदन कर्ता को दिनांक 10-11-81 को दे दी गई थी।

उत्तर प्रदेश में गोमांस के निर्यात करने के लिये लाइसेन्स

63--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में गोमांस के निर्यात करने के लिये लाइसेन्स किस-किस व्यक्ति अथवा संस्था के पास हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

उत्तर प्रदेश में गोमांस के निर्यात करने के लिये लाइसेन्स किसी व्यक्ति अथवा संस्था को नहीं दिया गया है।

प्रदेश के ग्राम्य विकास के अन्तर्गत नई सड़कों का निर्माण

64--श्री बलवीर सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास के अन्तर्गत जिले अनुसार कुल कितनी नई सड़कों का निर्माण वर्ष 1980-81 में किया गया और कितनी सड़कों के निर्माण शासन के विचाराधीन है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

उपलब्ध सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विकास के अन्तर्गत जिले अनुसार कुल 2951-58 कि0मी0 सड़कों का निर्माण वर्ष 1980-81 में किया गया है। सूची संलग्न है। तथा कुल 1159 कि0मी0 सड़क पर मिट्टी एवं सीलिंग तथा 629-384 कि0 मी0 सड़क पर मिट्टी का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 852-853 पर।)

पशु चिकित्सा विज्ञापन एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा के दो अनुत्तीर्ण छात्रों को उत्तीर्ण घोषित करना

65--श्री सरदार सिंह--

क्या कृषि मंत्री को विदित है कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, मथुरा प्रांगण के तृतीय वर्ष बी0वी0एस0सी0 ऐण्ड ए0एच0 के छात्र को एम0 शिटरी रोल नं0 एस 25, वीरेश्वर शर्मा, रोल नं0एस0 55 जो कि वर्ष 1980-81 की पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुये थे, बाद में नियम विरुद्ध विश्वविद्यालय ने उत्तीर्ण घोषित कर दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने तत्संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां। पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा के अधिष्ठाता की अध्यक्षता में हुई समस्त प्रध्यापकों की बैठक में निर्णय के अनुसार दोनों छात्रों की अनुपूरक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का पुर्नमूल्यांकन कराया गया जिसमें यह छात्र उत्तीर्ण पाये गये। इन छात्रों को उत्तीर्ण घोषित करने में किसी प्रकार की अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है।

प्रश्नों के अद्यतन उत्तर न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, चूंकि प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न उठाया नहीं जा सकता इसलिए आज जो बात मेरे सामने आयी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी मैंने पूरक प्रश्न किया था, माननीय सदस्या बस्ती का प्रश्न था शासन को 27-1-को गया। मंत्री जी ने उत्तर में स्पष्ट कर दिया है कि जो आंकड़े दिये गये हैं वह दिसम्बर तक के हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप शनैः शनैः बोलें, ताकि हम सुन सकें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

हम प्रश्नों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं और जो प्रश्न करते हैं उसका संगत उत्तर मिलना चाहिए। प्रश्न किया गया था कि बस्ती विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक बस्ती, बनकटी, साऊघाट हरिजन आवास तथा हरिजन कूप का टारजेट क्या था और कितना बन चुका है, 15-1 को प्रश्न किया गया और 17-1 को सूचना भेजी गयी और हम अपेक्षा करते थे कि जिस दिन सरकार को सूचना मिले, उस दिन तक की सूचना दी जाय इसलिए नियमों में है कि 20 दिन पहले सूचना देते हैं तारांकित प्रश्न के लिये ताकि पूरी जानकारी आ जाये। शायद ज्यादा प्रश्न पूछते हैं हम लोग इसलिए 2 महीने पहले तो

उत्तर आता नहीं और डेढ़ महीने तो सामान्य प्रक्रिया है। चूंकि सदन के सामने यह बात आ गयी है इसलिए मैं व्यवस्था चाहता हूं कि जो उत्तर शासन द्वारा दिये जाते हैं वह भेजे जाने से बहुत पहले के दिये जायें तो क्या यह ठीक है और अगर ठीक नहीं है तो शासन को निर्देश देने का कष्ट करें कि उस प्रश्न का उत्तर फिर से आना चाहिए और भविष्य में इस तरह की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने मन्थली प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर सूचना दी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, आप प्रश्न देख लें, बहुत गम्भीर मामला है। प्रश्न यह है कि क्या टार्जेट था और कितना बन चुका है और कितना इस वित्तीय वर्ष में बन जायगा। मंथली रिपोर्ट अगर कोई भेजी होती तो आ सकती थी। वह इस तारीख को जानना चाहती हैं कि प्रोग्रेस क्या है और वित्तीय वर्ष का टार्जेट क्या है, इसलिए मेरी जो आपत्ति है वह यह कि जिस दिन शासन को सूचना मिले, उस दिन तक की लेटेस्ट सूचना हमको मिलनी चाहिये।

श्री राम सिंह खन्ना---

उत्तर में साफ तौर से लिखा है कि 31 दिसम्बर तक यहां तक काम हो चुका है और बाकी काम इस वित्तीय वर्ष में पूरा कर दिया जायगा।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

मेरा निवेदन यह है कि मंत्री तो आप भी रह चुके हैं और हम लोग भी। जब कोई प्रश्न किया जाता है तो उसकी सूचना अद्यतन प्राप्त होनी चाहिए। इतने पुराने मैटर को लेकर हम क्या करेंगे और दस दिन तक की सूचना आनी चाहिए जिस दिन प्रश्न पहुंचता है?

तो यह आज तय हो जाना चाहिए कि उसी दिन तक की रिपोर्ट आना चाहिए। पुरानी रिपोर्ट भेजी जाती है। अतः इस संबंध में आपकी व्यवस्था होनी चाहिये कि आधुनिकतम रिपोर्ट दें।

श्री उपाध्यक्ष---

इस सूचना का ताल्लुक तो पूरे जिले से था।

कुमारी अलमेलु अम्माल---

जिले से नहीं है वह क्षेत्र की बात है। तीन ब्लाकों की बात है बस्ती, सऊघाट और बनकटी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

यदि सूचना जिलें की होती या प्रदेश भर की थी तो भी यह उत्तर मिलना चाहिए कि सूचना एकत्र की जा रही है। अगर सवाल बहुत व्यापक होता तो आप उसको खारिज भी कर सकते थे। इस तरह से पुरानी सूची जो प्राप्त होगी उसका लाभ नहीं होगा। इसको आपने खारिज नहीं किया, हमारे अनुपूरक प्रश्नों को भी आपने इजाजत दे दिया। यदि शासन के पास पूरी सूचना नहीं थी तो वह 15 दिन की अवधि मांग सकता था कि सूचना

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

एकत्र की जा रही है लेकिन वह भी नहीं किया गया और यह उत्तर एक महीने के पहले का दे दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

मा0 गुप्त जी, आपने प्रश्न तो पढ़ा होगा उसमें स्पेसीफाइड पीरियड नहीं दिया हुआ था ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अगर स्पेसिफिक पीरियड नहीं है तो वह एक साल पहले के आंकड़े दे सकते थे। प्रश्न तो यह है कि जिस दिन हम सूचना शासन को देते हैं उस दिन के आंकड़े चाहिए यह मेरा मत है। इस संबंध में आपकी व्यवस्था चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

चूंकि यह मामला बहुत व्यापक है लेकिन आप सबकी जिज्ञासा को देखते हुए हम शासन से यह अपेक्षा करेंगे कि शासन जितना अधिक और जितनी शीघ्र सूचना दे सके, दें।

शीघ्र से मेरा मतलब यह नहीं है क्योंकि वह तो नियमों में 15 दिन का प्राविधान है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, इसमें इतना और जोड़ दें कि सूचना सही दें।

श्री उपाध्यक्ष--

शासन अद्यतन सूचना दे।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

औचित्य का प्रश्न तो निधन के निर्देश के बाद आयेगा।

भूतपूर्व सदस्य, स्वामी ब्रह्माश्रम के निधन पर शोकोद्गार

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मुझे बहुत ही दुःख के साथ सम्मानित सदन को यह सूचित करना पड़ता है कि स्वामी ब्रह्माश्रम जी, जो इस माननीय सदन के सदस्य रह चुके हैं, उनका स्वर्गवास 19 फरवरी को सर सुन्दरलाल चिकित्सालय, वाराणसी में हो गया। स्वामीजी का जन्म 1912 में जनपद इलाहाबाद में हुआ था। शुरू में ही उनके माता-पिता का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद उन्होंने संस्कृत और भारतीय दर्शन की शिक्षा प्राप्त की और 16 साल की आयु में वे घर से बाहर चले गये थे और सारा समय उन्होंने अपनी शिक्षा में लगाया। सन् 1967 में जनरल एलेक्शन के समय स्वामी जी भारतीय जनसंघ के टिकट पर इस माननीय सदन के सदस्य निर्वाचित होकर आये। उनका घर का नाम नन्द किशोर पाठक था। उन्होंने अपना सारा जीवन जैसा कि मैंने निवेदन किया अध्ययन में लगाया और बाद में ब्रह्माश्रम नाम स्वीकार कर लिया। धार्मिक प्रवृत्तियों के साथ-साथ शैक्षिक गतिविधियों में भी उनकी बड़ी रुचि थी। उन्होंने मिर्जापुर की चुनार तहसील में शंकरानन्द इंटर कालेज ग्राम खीरनहू में श्रीमहाशक्ति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा ग्राम खीरनहू, तहसील चुनार में एक विष्णु भगवान का मंदिर भी बनवाया। उन्होंने कई किताबें भी लिखीं। जिनमें "दिव्य जीवन" "भारतीय

अध्यात्म दर्शन" तथा "योग कौशल" उल्लेखनीय है। धार्मिक व्यक्ति के साथ-साथ वे समाज सेवी थे और बाद में राजनीति में भी उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उनके आज यहां न रहने से बड़ी कमी महसूस हो रही है। आज हम लोग एक बहुत ही धार्मिक और समाज सेवी व्यक्ति से महरूम हो गये हैं। उपाध्यक्ष जी मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि उनके शोक-संतप्त परिवार तक हमारी समवेदना भिजवाने की कृपा करें।

श्री मोतीलाल देहलवी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने स्वर्गीय श्री ब्रह्माश्रम जी के निधन पर अपने जो दुःखी अल्फाज प्रकट किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, स्वर्गीय स्वामी ब्रह्माश्रम जी अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष करने वाले लोगों में एक सदाचारी व्यक्ति थे। मान्यवर, उनमें अनेक प्रतिभाय थीं। वह इसी से जाहिर है कि कम आयु में ही उन्होंने साधना की थी और कम आयु में ही घर से बाहर निकल गये थे। साधना के साथ-साथ उन्होंने काफी अध्ययन किया और संस्कृत तथा हिन्दी में कई रचनायें भी कीं। तो इससे जाहिर है कि उनका एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व था। वे जनसंघ के टिकट पर चुनकर आये थे। मान्यवर, जब वे इस माननीय सदन में आये, मैं भी उस सदन में आ चुका था। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का इस दुनिया से उठ जाना बहुत ही दुखद है और उससे जनपद मिर्जापुर की बहुत ही क्षति हुई है। मैं उनकी आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे दल की तरफ से शोक श्रद्धांजलि और दुःखी स्वर उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री मुख्तार अनीस--

माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय उपनेता सदन व उपनेता लोकदल ने स्वामी ब्रह्माश्रमजी के दुखद निधन पर जो शोक सम्वेदना व्यक्त की है मैं अपने दल और अपने को उससे संबद्ध करता हूं। स्वामी ब्रह्माश्रम जी, 1967 में मिर्जापुर से चुनाव जीत कर आये थे। वे समाजसेवक थे और पठन-पाठन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने मिर्जापुर जनपद में विकास संबंधी और वहां की गरीबी को दूर करने के लिए अनेकों संस्थायें खोली। शिक्षा में उनकी रुचि थी। उनके निधन से उत्तर प्रदेश को ही नहीं, विशेष रूप से मिर्जापुर और वाराणसी के लोगों की बहुत ही क्षति हुई है। मैं अपने दल की ओर से उनके शोक-संतप्त परिवार को आपके माध्यम से अपनी शोक समवेदना पहुंचाता हूं।

श्री केदार नाथ सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने, उपनेता लोकदल ने और अन्य विरोधी दल के नेताओं ने जो स्वर्गीय ब्रह्माश्रम जी के प्रति शोकोद्गार प्रकट किये हैं, उनके साथ मैं अपने दल को तथा अपने को सम्बद्ध करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे दल की तरफ से भी शोक समवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी स्वर्गीय स्वामी ब्रह्माश्रम जी के प्रति जो उद्गार माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री, उप नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने प्रकट किये हैं मैं स्वयं अपने को और अपने दल को उनकी भावना के साथ संबद्ध करता हूं।

स्वामी ब्रह्माश्रम जी के साथ बहुत निकट सम्पर्क का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था, वह एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। साहित्यिक क्षेत्र में, समाज सेवा में, रचनात्मक क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र में, सब क्षेत्र में उनका एक विशेष योगदान रहा। मूल रूप से वह समाज सेवी थे

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

उन्होंने अपना सारा जीवन चाहे साहित्य के माध्यम से हो, चाहे रचनाओं के माध्यम से हो, चाहे रचनात्मक कार्य-कलापों के माध्यम से रहा हो, गरीब और समाज पिछड़े के वर्ग के लोगों के लिए लगाया। मैंने स्वयं उनका आश्रम देखा है आश्रम में बड़ी संख्या में दीन:दुखी, गरीब लोग, आश्रय पाया करते थे। सब के कल्याण में उनका योगदान रहा है। मुझे स्मरण है कि जिस समय चुनाव लड़ने के लिय उन से प्रार्थना की गई उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि क्षेत्र के हजारों लोगों ने आश्रम में जाकर उनसे अनुरोध किया कि आप राजनीतिक क्षेत्र में हमारा नेतृत्व करें। इसलिये उन्होंने फिर राजनीतिक क्षेत्र में थोड़े समय के लिये पदार्पण किया। उनके न रहने से प्रदेश की प्रतिभा में एक बहुत बड़ी रिक्तिता आई है जिसका बहुत जल्दी पूरा होना मुश्किल है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना तथा अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे सन्यासी रहे, उनका परिवार है नहीं, लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि उनक जो विचार, जो उनके कृत्य, जो उनके क्रिया-कलाप रहे हैं, उनसे हमें सामाजिक कार्यकर्त्ता प्रेरित होते रहे।

इन शब्दों के साथ मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि हमारी समवेदना उनके जिले, उनमें आस्था रखने वालों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

श्रीमन्, स्वर्गीय श्री नन्द किशोर पाठक, जिन्हें स्वामी ब्रह्माश्रम के नाम से जानते थे, के प्रति अपनी तथा अपने दल की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए निवेदन करता हूं कि स्वामी ब्रह्माश्रम ने केवल आश्रम नहीं खोला बल्कि वह स्वयं एक आश्रम थे। उनका नाम इस पूरे प्रदेश के अन्दर जाना जाता था। आज उनके हमारे बीच से चले जाने से बहुत बड़ी रिक्तिता आई है, जिसका निकट भविष्य में पूरा होना असंभव सा लगता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी दल की ओर से मेरी शोक समवेदना उनके भक्तगण तथा उनके जनपद के प्रमुख लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, स्वामी ब्रह्माश्रम के संबंध में जो सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने और उपनेता लोक दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने अपने विचार प्रकट किये मैं अपने तथा अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी और मेरे दल की तरफ से, उनका परिवार तो है नहीं, जो भी उनके निकट संबंधी हो उनको शोक समवेदना भेजने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी स्वर्गीय स्वामी जी के विषय में हर जिले के नेता गणों ने अपनी-अपनी भावनायें व्यक्त की और उनके निधन से हुई क्षति के सिलसिले में अपने दल की भावनाओं को सम्बद्ध किया और अपनी श्रद्धांजलियां अर्पित की। सन् 1967 में मुझे भी उनके साथ इस सदन में मेम्बर रहने का अवसर मिला था। वे हमारे पूर्वांचल के एक अच्छे और विद्वान समाजसेवी संत थे। उनके दिवंगत होने से समाज को निश्चित रूप से एक धक्का लगा है और ऐसे कार्यकर्त्ताओं की श्रृंखला में एक टूट पैदा हुई है। आप सब की समवेदना से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि आपकी भावनायें उनके जनपद, उनके प्रदेश और उनके देश के लोगों तक, क्योंकि वे सबके थे, पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अब आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट के लिये खड़े हो जाये।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

मनोकरण कन्या जूनियर हाई स्कूल की प्रबन्ध समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में आमरण अनशनकारी श्रीमती जयदेवी की गिरफ्तारी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(समय 12 बजकर 12 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 301 की आठ सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 5 स्वीकार हुई हैं। जिनकी सूचनायें स्वीकार हुई हैं, उनको मैं बारी-बारी से बुलवाऊंगा।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि शाहजहांपुर स्थित मनोकरण कन्या जूनियर हाई स्कूल की एक सेविका श्रीमती जय देवी द्वारा विद्यालय द्वार पर गत 10 फरवरी, 1982 से आमरण अनशन जारी रखने से उत्पन्न परिस्थिति की ओर लाना चाहता हूं। मान्यवर, अब उन्हें जेल भेज दिया गया है और वहां भी वह अनशन कर रही हैं। हालत मरणासन्न है।

जयदेवी ने विद्यालय के प्रबन्ध में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनेक बार शासन का ध्यान आकृष्ट किया। परन्तु कोई हल नहीं निकला तब मजबूर होकर उन्हें यह रास्ता पकड़ना पड़ा है। जयदेवी की शिकायत है कि उन्हें नियम विरुद्ध सेवा से निवृत्त कर दिया गया 1100 रु0 अवशेष वेतन नहीं दिया गया। इसी प्रकार एक दूसरी अध्यापिका श्रीमती कृष्णा देवी तथा सरस्वती देवी जिन्हें भी नियम विरुद्ध सेवा से निवृत्त किया गया है, सेवा में लिया जाय। अन्य शिकायतें हैं कि प्रबन्धक द्वारा अपनी पुत्री की गलत बल्दियत दिखाकर नौकरी में रखा लेना, अध्यापिकाओं के वेतन से जबरन कटौती, बी0एस0ए0 महिला को विद्यालय में घुसने देना, स्थायी पदों पर नियुक्त अध्यापिकाओं को बिना नोटिस तथा विभाग की पूर्वानुमति के बिना सेवा-निवृत्ति करना आदि।

मान्यवर, यदि तत्काल हस्तक्षेप न किया गया तो श्रीमती जय देवी जो न्याय की मांग कर रही हैं, मर जायेंगी। मांग है कि जयदेवी को तुरन्त रिहा किया जाय। विद्यालय की प्रबन्ध कमेटी भंग की जाय तथा आरोपों की जांच करके योग्य राहत दी जाय।

चिलुआ ताल, गोरखपुर में नहरों एवं ड्रेनों के पानी के जमाव के कारण फसलों की क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, जनपद गोरखपुर की सदर तहसील के चिलुवा ताल में लगभग बीसों नहरें एवं ड्रेन लाकर मिला दी गई हैं जिसमें काफ़ी मात्रा में पानी आकर इकट्ठा हो जा रहा है। पानी के भारी जमाव को चिलुवा ताल से निकाले जाने की कोई व्यवस्था शासन द्वारा नहीं की गई, जबकि गत वर्ष मैंने इस संबंध में माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए एक पत्र भी दिया था और संभवतः उसी तारतम्य में माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा "व्यवस्था करें" आदेश भी दिया गया था। उक्त आदेश का भी अनुपालन नहीं किया गया।

ज्ञातव्य है कि चिलुवा ताल के किनारे ग्राम जंगल डुमरी नं0 1, जंगल मुगरी नं0 2, खुटहन, जंगल अयोध्या प्रसाद, परमेश्वरपुर, महराजगंज, व सिकटौर आदि के गांवों में कृषकों की हजारों एकड़ कृषि भूमि उक्त ताल के किनारे स्थित है, जिसमें बोरों (धान) की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केदारनाथ सिंह--]

फसल पैदा करके गरीब कृषक अपनी क्षुधा शांत करते रहे आये हैं। अब उक्त ताल में पानी के भारी जमाव के कारण संबंधित कृषकों की हजारों एकड़ भूमि में पानी भर गया है जिससे बोरों की फसल को भारी क्षति गत वर्षों से होती आ रही है। बोरों की रोपाई हो गयी है, परन्तु पानी के भारी जमाव के कारण उनकी फसलें इस समय भी डूब गई हैं। अतः अविलम्बनीय लोक महत्व की इस सूचना की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ताकि शासन चिलुवा ताल में भारी जल जमाव को समाप्त करने की व्यवस्था करें।

सेन्ट एन्ड्रूज डिग्री कालेज, गोरखपुर में छात्र संघ का चुनाव न कराये जाने से छात्र आन्दोलन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, गोरखपुर जिले का सेन्ट एन्ड्रयूज डिग्री कालेज 15 फरवरी से बन्द है। प्रधानाचार्य द्वारा छात्र संघ का चुनाव कराने की घोषणा करके अब मुकर जाने के कारण छात्र आन्दोलन कर रहे हैं। और छात्र संघ का चुनाव शीघ्र कराने की मांग कर रहे हैं। विद्यालय में आगजनी और गम्भीर तोड़-फोड़ हुई है। पुलिस अनशन-कारी छात्रों को मारा पीटा तथा छात्र संघ के महामंत्री श्री दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव, हरीजी पांडे, अतुलकुमार सिंह सहित 15 छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

उपरोक्त घटना से विश्वविद्यालय से सम्बन्धित महाविद्यालय में जहां छात्र संघ के चुनाव नहीं हैं आन्दोलन होने की संभावना है। छात्रों में व्यापक क्षोभ एवं असन्तोष है। अनेक छात्र संगठनों ने आन्दोलन करने की धमकी दिया है। प्रदेश में छात्र अशांति हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सेन्ट एन्ड्रयूज कालेज खोलने एवं जहां छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं वहां शीघ्र चुनाव कराने के लिये सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग करती हूं।

रतनसेन डिग्री कालेज, बांसी (बस्ती) के प्रधानाचार्य के मनमानी पूर्ण रवैये के कारण छात्र आंदोलन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

रतन सेन डिग्री कालेज बांसी (बस्ती) के प्रधानाचार्य के मनमानी पूर्ण रवैये के कारण छात्रों द्वारा दिनांक 20-2-82 से आंदोलन। यह सूचना श्री अकबर हुसैन, राम गोविन्द चौधरी एव गौरीशंकर भैय्या ने दी है।

*श्री अकबर हुसैन--

श्रीमन्, दिनांक 9.12.81 को रतन सेन डिग्री कालेज बांसी, जिला बस्ती के छात्रगण विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक मेमोरेंडम देना चाहते थे, परन्तु जिस समय वे मेमोरैंडम देने गये तो प्रधानाचार्य ने असामाजिक तत्वों द्वारा उन लड़कों को पिटवाया तथा अपनी बन्दूक का भी इस्तेमाल किया इस घटना के संबंध में थाना बस्ती में एफ0 आई0 आर0 307 के अन्तर्गत प्रधानाचार्य एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध करायी जा चुकी है। प्रधानाचार्य का विरोध करने के लिये दिनांक 10 दिसम्बर, को एक नागरिक समिति की स्थापना हुई और 11 दिसम्बर को बांसी बंद भी हुआ। दिनांक 14 दिसम्बर को एम0 डी0 एम0 बांसी के कार्यालय पर क्रमिक अनशन भी हुआ। दिनांक 10 दिसम्बर, से 4 जनवरी तक प्रधानाचार्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

द्वारा कालेज बंद कर दिया गया। जिसके नतीजे में 5 जनवरी से डी0एम0 के कार्यालय में अनशन प्रारंभ किया गया। इन सब कार्यवाहियों के फलस्वरूप 7 जनवरी की रात में लिखित समझौता हुआ परन्तु समझौते का पालन प्रधानाचार्य और सरकारी अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है जिससे फिर 20 फरवरी से जिलाधिकारी के कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठ गये, जिनको 23 फरवरी की रात में धारा 309 के अन्तर्गत जेल भेज दिया गया। अनशनकारियों को जेल भेजने के कारण व्यापक रूप से आंदोलन आरंभ हो गया है तथा कालेज सुचारु रूप से नहीं चल पा रहा है। बंद के ही समान है यह भी पता चला कि प्रधानाचार्य ने 81-82 के पढ़ाई समय में कोई भी पैसा किसी बैंक में जमा नहीं किया है।

इन सब कांडों से 1000 छात्रों का भविष्य अंधकार में है जिससे उस क्षेत्र की जनता में घोर असंतोष एवं अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर नियम 301 के अंतर्गत माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

प्रदेश के इंजीनियरों द्वारा प्रदेश व्यापी हड़ताल की धमकी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

प्रदेश के इंजीनियरों में वेतन आयोग की रिपोर्ट से असंतोष के फलस्वरूप दिनांक 5-3-82 से विरोध दिवस मनाने की घोषणा के संबंध में श्री रियासत हुसैन श्री राम गोविन्द चौधरी एवं गौरी शंकर भैय्या ने सूचना दी है।

***श्री रियासत हुसैन**--

श्रीमन्, प्रदेश के पे-कमीशनकी रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश भर के इंजीनियरिंग विभाग में घोर असंतोष उत्पन्न हो गया है। इस संबंध में इंजीनियर्स यह महसूस करते हैं कि उनको आई0ए0एस0 कैडर के मुकाबले में दबाया जा रहा है। इस संबंध में में इंजीनियरिंग एसोसियेशन उत्तर प्रदेश और डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ उ0 प्र0 और उत्तर प्रदेश तकनीकी सेवा महासंघ के प्रतिनिधि मुख्य मंत्री जी से मिले थे और मुख्य मंत्री ने दिनांक 2-12-81 को उनको आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर उन लोगों का प्रस्ताव पुनरीक्षित कराकर उन पर विचार करेंगे। परन्तु तीन महीने बीत चुके हैं और अभी तक इस संबंध में सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है।

इंजीनियरिंग से संबंधित संगठनों का यह निर्णय है कि दिनांक 5 मार्च, 1982 से प्रदेश के जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक विरोध दिवस के रूप में मनायेंगे और काम स्थगित कर देंगे तथा प्रदेश व्यापी हड़ताल करेंगे।

इस तरह से प्रदेश के 25 हजार इंजीनियर्स इस हड़ताल में सम्मिलित होंगे जिससे सारे प्रदेश का सारा विकास कार्य ठप हो जायेगा। इन संगठनों के इस निर्णय तथा विशेष रूप से मुख्य मंत्री की उनके प्रति उदासीनता के कारण व्यापक रूप से असंतोष, अविश्वास उत्पन्न हो गया है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर नियम 301 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान सदन के माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पंचायत राज अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या 5 में विशेषाधिकार की अवहेलना की दो सूचनाओं पर मैं अपना निर्णय आपको दे रहा हूं।

डा० शिवानन्द नौटियाल तथा श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, सदस्यगण विधान सभा, ने दिनांक 3 फरवरी, 1982 को जिला पंचायत राज अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 21 फरवरी, 1979 को मुख्य सचिव के सभी मण्डलायुक्तों, विभागाध्यक्षों एवं जिलाधिकारियों को इस प्रकार के स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद कि विभिन्न समितियों की बैठकें, जिनमें विधान मण्डल के सदस्य भी सदस्य हों, सदनों के सत्र के दौरान उन दिनों न रखी जायं जब विधान मण्डल के सदनों की बैठकें चल रही हों, जिला पंचायत राज अधिकारी, पौड़ी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टेयरिंग समिति की दो बैठकें क्रमशः 15 जनवरी, एवं 3 फरवरी, 1982 को बहुत ही अल्प सूचनाओं पर विधान सभा के सत्र के दौरान बुलायी, जिससे विधान सभा के क्षेत्रीय सदस्य उनबैठकों में भाग ले सकें और उक्त महत्वपूर्णसमिति में बगैर उनके विचार-विमर्श के जिला पंचायत राज अधिकारी निर्णय ले लें। शिकायतकर्त्ता सदस्यों के अनुसार उक्त अधिकारी ने इस प्रकार उनकी पूर्ण तया उपेक्षा की है तथा उन्हें उनके कर्तव्यों से वंचित करने का प्रयास किया है।

मैंने इस संबंध में माननीय ग्राम्य विकास मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी। माननीय मंत्री ने अपने पत्र, दिनांक 10 फरवरी, 1982 के माध्यम से मुझे अवगत कराया है कि जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल से प्राप्त सूचना के अनुसार 16 जनवरी, तथा 3 फरवरी, 1982 को संदर्भित दो बैठकों का आयोजन इसलिए आवश्यक समझा गया था कि क्योंकि संबंधित योजना के अन्तर्गत आबंटित धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 1982 तक सुनिश्चित किया जाना था तथा कार्यक्रम की प्राथमिकता को देखते हुए ही उपरोक्त दो बैठकें निर्धारित की गयी थीं। माननीय मंत्री ने अपने उक्त पत्र में कहा है कि जिलाधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि 16-1-1982 को बैठक किया जाने का निर्णय विधान सभा का सत्र आरम्भ होने के पूर्व ही 18 दिसम्बर, 1981 की बैठक में ले लिया गया था और बैठक के दिनांक के पूर्व इस बात का ध्यान नहीं रहा कि सत्र आरम्भ होने के कारण माननीय विधायकगण बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेंगें। माननीय मंत्री के पत्र में आगे कहा गया है कि 3 फरवरी, 1982 को बैठक किये जाने का निर्णय भी 16 जनवरी, 1982 की बैठक में ले लिया गया था और यद्यपि औपचारिक नोटिस 28 जनवरी को निर्धारित हो सका" परन्तु बैठक के पूर्व माननीय विधायक के अनुरोध पर इस बैठक को स्थगित कर दिया गया। अन्त में सूचित किया गया है कि जिलाधिकारी ने माननीय सदस्यों को हुई असुविधा के लिये खेद प्रकट किया है और यह भी स्पष्ट किया है कि बैठकें आयोजित करने का उद्देश्य कदापि माननीय विधायकों को निर्णय में सम्मिलित न करने का नहीं था।

यह उल्लखनीय है कि माननीय सदस्य की शिकायत यह नहीं है कि उनके विधान सभा या उसकी किसी समिति संबंधी कार्य में रुकावट डाली गयी, वरन् यह शिकायत है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टेयरिंग समिति की बैठकें एसे दिनांकों को रखी गयी, जिससे माननीय सदस्य, जो उस समिति के सदस्य हैं, उसमें भाग नहीं ले सके। उक्त समिति शासकीय समिति है और जहां तक विधान सभा के अधिवेशन के दौरान उक्त समिति की बैठक बुलाने का प्रश्न है, उन परिस्थितियों को शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है, जिसमें प्रश्नगत बैठक बुलानी पड़ी तथा माननीय सदस्यों को हुई असुविधा के लिए संबंधित अधिकारी ने खेद भी प्रकट किया है। विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न सदन या उसकी समिति के

किसी कार्य में किसी सदस्य द्वारा भाग लेने में बाधा या रुकावट डालने पर ही उत्पन्न हो सकता है। अतएव, उपर्युक्त परिस्थिति में मैं इस विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं दता हूं।

दनिक जागरण समाचार-पत्र के सम्पादक एवं प्रकाशक के विरुद्ध उठाय गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

सर्वश्री मुईद अहमद व प्रभाकर नाथ द्विवदी, सदस्यगण, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 22 जनवरी, 1982 को "दैनिक जागरण" के प्रकाशक तथा सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग की एक सूचना दी है जिसमें उनका कहना है लखनऊ में प्रकाशित दिनांक 22 जनवरी, 1982 के उक्त समाचार पत्र में "विधान सभा में हंगामा व करारी झड़प" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार प्रकाशित हुआ है कि जब श्री मोहन सिंह ने 21 जनवरी, 1982 को विधान सभा में एक अल्पसूचित प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न द्वारा यह जानना चाहा कि इस भूमि अर्थात् जीवन मार्ग शिक्षा केन्द्र को दी गई भूमि को किस किराये पर आवंटित किया गया है नगर विकास मंत्री जी गोयल इसका उत्तर नहीं दे सके। माननीय सदस्यगण का कहना है कि उक्त समाचार जानबूझ कर, गलत, भ्रामक तथा आधार हीन छापा गया है।

मैंने इस संबंध में "दैनिक जागरण" के प्रकाशक एवं सम्पादक का स्पष्टीकरण मांगा था। उक्त समाचार के मुख्य उप सम्पादक ने मुझे अपने पत्र दिनांक 22 फरवरी, 1982 द्वारा सूचित किया है कि "विधान सभा में हंगामा व करारी झड़प" शीर्षक समाचार में मुद्रा राक्षस की भूल कुछ गलत व भ्रामक तथ्य प्रकाशित हो गये हैं जिसके लिये उन्हें खेद है। उन्होंने उक्त समाचार का खण्डन भी दिनांक 23 फरवरी के अंक में प्रकाशित कर दिया है और उसकी एक प्रति मुझे भजी है।

उक्त स्थिति में तथा मुख्य उप सम्पादक द्वारा किये गये खेद प्रकाश को देखते हुए मैं समझता हूं कि इस मामल में आग किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है, और मैं इस समाप्त करता हूं।

श्री संत बक्स रावत—

मान्यवर, मैंने भी 15 फरवरी को एक सूचना दी थी विशेषाधिकार हनन के संबंध में, उस पर क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब निर्णय हो जायगा, तब आ जायेगी।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

(समय 12 बजकर 30 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष—

आज कार्य-स्थगन प्रस्ताव की 4 सूचनायें प्राप्त हुई थीं, उनमें से एक श्री राजेन्द्रकुमार गुप्त, दूसरी श्री कुबेर भंडारी की, तीसरी श्री शंकर सिंह और चौथी सर्वश्री मोतीलाल देहलवी और हुकुम सिंह जी की है। इन चारों के विषय एक हैं और वह प्रदेश में ग्राम सभाओ के चुनाव रोके जाने के निर्देश से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में है। दूसरी सूचना माननीय कुबेर भंडारी की प्रदेश सरकार द्वारा माल कर में की गयी 50 प्रतिशत वृद्धि से ट्रक चालकों में उत्पन्न असंतोष के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री शंकर सिंह की जनपद इलाहाबाद में पुलिस द्वारा श्री जीतेन्द्र यादव नामक छात्र की हत्या किये जाने के संबंध में है और चौथी सूचना सर्वश्री मोतीलाल देहलवी व हुकुम सिंह की माननीय मुख्य मंत्री, माननीय सूचना मंत्री तथा माननीय सामान्य प्रशासन एवं मंडलीय मंत्री द्वारा पदों के दुरुपयोग किए जाने के संबंध में है।

[श्री उपाध्यक्ष–]

जहां तक सूचना नं0 2 का प्रश्न है, यह आज नियम 51 में भी आयी है और परिवहन विभाग के बजट पर बहस भी है। तो मैं समझता हूं कि माननीय परिवहन मंत्री जी इस विषय पर विशेषरूप से प्रकाश डालेंगे, इसको आधार मानकर। इन चारों को अस्वीकृत किया है।

कतिपय मंत्रियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री मोतीलाल देहलवी––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल आपने मेरे एक कामरोको प्रस्ताव के संबंध में एक कमी की ओर मेरा ध्यान इंगित किया था कि अगर कोई प्रस्ताव आरोप-प्रत्यारोप का हो तो जिनके विरुद्ध वह आरोप लगाया गया है, उनको एक-एक प्रति देना आवश्यक है। इसलिए मैंने आज 5 प्रतियां आपकी सेवा में भेजी हैं। तो कल जिस कमी के कारण मुझे बिठाल दिया गया, मुझे तो बैठ ही जाना था.....

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने आपको बैठाया नहीं था, आपसे निवेदन किया था।

श्री मोती लाल देहलवी–

आपने नियमो के अन्तर्गत आदेशित किया था तो मैं बैठ गया था। यह मामला बहुत गम्भीर है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कहां पर किसका लड़का एडमिशन लेता है, कहां वह पढ़ता है लेकिन अगर सरकार के मंत्री लोग स्वच्छन्द और निरंकुश हो जायेंगे, कायदे-कानून का उल्लंघन करने लगेंगे तो उचित न होगा। मान्यवर, यह सदन एक पवित्र मंदिर है और यहां पर जनता के अधिकारो की रक्षा होती है। यहा पर सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगता है इसके अलावा और कोई ऐसा स्थान नहीं है। आप देखें कि माननीय मुख्य मंत्री के सचिव ने प्राविधिक शिक्षा सचिव को एक गोपनीय पत्र लिखा और उस पत्र द्वारा उन्होंने आदेश किया कि राज्य मंत्री माननीय काशीनाथ मिश्र के पुत्र को एच0बी0टी0आई0 कानपुर में प्रवेश दिला दिया जाये..... (व्यवधान) माननीय काशीनाथ मिश्र जी का पुत्र पात्र नहीं है और उनका रेजल्ट विद्हेल्ड है, वह नियमानुसार नहीं लिया जा सकता है, पर इनके आदेश पर उसको एडमिशन मिल गया। दूसरे एक मंडलीय मंत्री श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी का पुत्र है, उसका भी इसी तरह से एडमीशन हो गया। इस प्रकार माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने आदेश से दो अपात्र लोगों के एच0बी0टी0 आई0 कानपुर में भर्ती कराकर दो पात्र लड़कों के, जिनका कि इन दोनो लड़कों की जगह एडमीशन हो सकता था, अधिकारो का हनन हुआ है.....

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय मोतीलाल जी, आपने जो कहा उसके अनुसार किसी की पात्रता या अपात्रता का होना यह एक विषय है, किसी अधिकार का प्रयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ, या सदुपयोग हुआ, यह दूसरा विषय है, लेकिन यह कामरोकों का विषय कैसे बनता है? मैंने इसको कामरोकों के रूप में अस्वीकार किया है। (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा––

फिर यह विषय मान्यवर, किसमें बनता है?

श्री उपाध्यक्ष––

वर्मा जी, आप स्वयं विज्ञ हैं, मैं आपके सामने इस विषय के बारे में अपने कुछ विचार नहीं रख सकता।

(व्यवधान) (हंसी)

श्री मोतीलाल देहलवी--

मैंने एक अखबार भी आपके पास अभी भेजा है इसमें भी खबर छपी है, आप मान्यवर देख लें। यह गम्भीर मामला है... (व्यवधान)

(श्री दलगंजन सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय दलगंजन सिंह जी, आपके उप नेता बोल रहे हैं, आप उनका तो ख्याल करें।

इसी पीठ से यह निर्णय हो चुका है कि अखबारों के आधार पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। आपने जो कुछ कहा उसे अखबारों का आधार आप मान रहे हैं.....

श्री मोतीलाल देहलवी--

नहीं मान्यवर, मैंने तो इसे केवल आपको देखने के लिये ही भेजा है, अपने पत्र में कहीं भी मैंने उसका हवाला नहीं दिया है (व्यवधान)।

श्री शंकरसिंह--

[* * * *]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बिना मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं, यह कुछ लिखा नहीं जायेगा।

श्री शंकर सिंह--

[* * * *]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप मेरी बिना आज्ञा के बोल रहें हैं। आप विराजें।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, जो कुछ भी शासन चल रहा है, वह गोली, बन्दूक से चल रहा है कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप चिन्ता न करें। अभी जब जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन और होम का बजट आवेगा, तो आपको वह बन्दूक वगैरह कहने का मौका मिलेगा।

(व्यवधान के मध्य)

सूचना राज्य मंत्री (श्री काशीनाथ मिश्र)--

मान्यवर, अभी माननीय मोती लाल देहलवी और अन्य विपक्ष के लोगों ने हमारे लड़के के संबंध में आरोप लगाया उस स्थिति को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मान्यवर। यह एच0बी0टी0आई0 कानपुर जो है, वहां पर हड़ताल चल रही है.....

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी--

हड़ताल मान्यवर, आपके लड़के ने कराई है।

(व्यवधान)

नोट:--(****) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री काशीनाथ मिश्र---

सुनिये। आप पहले सुनिये। मान्यवर, मेरा लड़का प्रथम श्रेणी में हाईस्कुल पास है और प्रथम श्रेणी में ही आई0एस0सी0 पास है। उसका मार्क्स 75 परसेंट है भरती की परीक्षा के समय सारे उत्तर प्रदेश में विधान सभा का चुनाव हो रहा था। उस चुनाव में मैं उम्मीदवार था और लड़का होने के नाते मेरा लड़का उस इम्तहान में नहीं बैठ सका। मान्यवर, मेरा लड़का उसमें प्रविष्टि पाने का मुश्तहक था किन्तु वह परीक्षा में नहीं बैठ सका। शासन का अधिकार है कि ऐसे फर्स्ट डिवीजन के लड़कों को अगर प्रवेश नहीं मिला, तो उसका दाखिला परिपत्र जारी करके करा सकता है।

(व्यवधान)

कालोचरन का लड़का जो थर्ड डिवीजन था, तो उसको भरती कराया था।

(व्यवधान)

अनेक सदस्य---

नकल में आपका लड़का पकड़ा गया।

श्री मसरुर जाफरी---

मान्यवर, हमारा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप विराजें।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न है।

श्री शंकर सिंह---

[* * * *]

श्री उपाध्यक्ष---

आप तमाम लोग एक साथ बोल रहे हैं।

आप जो कुछ बोल रहे हैं बिना मेरी इजाजत के बोल रहे हैं, इसलिये वह लिखा नहीं जायगा।

(परिवहन मंत्री के पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न तो पहले ले लीजिए, अभी माननीय परिवहन मंत्री जी को बैठाल दीजिए।

(समय 12 बजकर 43 मिनट)

1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 31-परिवहन विभाग

सिंचाई तथा परिवहन मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31--परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,05,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

नोट :---(* * * *) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय परिवहन मंत्री जी, जरा सा आप बैठ जायं। आपने औचित्य के प्रश्न को उठाया और आपने (श्री शंकर सिंह ने) एक औचित्य का प्रश्न उठाया और एक माननीय राम आसरे वर्मा जी ने प्रश्न उठाया। यह दोनों हमारे सामने आये। इसको मैंने देखा, विचारा, इस पर लेकिन यह औचित्य का प्रश्न बनता ही नहीं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, विषय तो कम से कम बता ही दीजिए कि किस विषय से संबंधित प्रश्न था। इसको तो मान्यवर कम से कम बता ही दीजिए।

*श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर उत्तर प्रदेश में इस वक्त 1,10,013 किलोमीटर पक्की सड़के हैं, 62,000 कच्ची सड़कें हैं। इनमें 21,867 किलोमीटर पर परिवहन निगम की बसें चलाई जाती हैं, बाकी में प्राइवेट बसें चलती हैं। मान्यवर, यह परिवहन में एक तो रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता है, जिसमें परिवहन कार्यालय तथा आर0टी0 ओ0 काम करते हैं। इसका जो रेवेन्यू का कलेक्शन है इस साल का रेकार्ड देखें और पिछले वर्षों का देखें मान्यवर, इस साल हमारा रेवेन्यू 30 प्रतिशत बढ़ा है। इतना आज तक कभी नहीं हुआ है। यदि पिछले कई वर्षों का आप देखें तो उसमें 76-77 में वह माइनस 4 प्रतिशत, 77-78 में 7 प्रतिशत, 78-79 में 13 प्रतिशत, और 79-80 में 15 प्रतिशत था। इस वर्ष 30 प्रतिशत का कलेक्शन हुआ है। जो रिकार्ड कायम किया है। इसमें विभाग ने काफी चुस्ती से काम किया है जो चेकिंग दस्ता है, उसको चुस्त किया गया है। जहां जहां लीकेज था उसको दूर करन के लिये विभाग ने कदम उठाये हैं। यही कारण है कि जो हम कलेक्शन नहीं कर पाते थे वह कर रहे हैं।

अब हम यह करने जा रहे हैं कि मजिस्ट्रेट चेकिंग जैसे रेलवे विभाग में होता है वही करने जा रहे हैं। मजिस्ट्रेट चेकिंग करने और जो पैसेंजर डब्लू0टी0 पकड़ा जायेगा उस पर 5 सौ रुपया जुर्माना होगा। जो हमारे कर्मचारी कन्डक्टर व ड्राइवर पकड़े जायेगें उनको तुरन्त निलम्बित किया जायेगा और डिसमिसल तक की कार्यवाही की जायगी। ताकि जो कमियां हैं जो आये दिन शिकायत आती है, रेवेन्यू में कमी होती है आये दिन शिकायत आती है कि निगम में रेवेन्यू की कमी हो रही है, उसको दूर करने के लिये कठोर कदम उठाये गये हैं। जो स्टेट के अन्दर अनएथाराइज आपरेशन होता है उसको दूर किया जा रहा है। आर0टी0 ओ0 के आपरेशन को चुस्त किया जा रहा है ताकि जो चेक पोस्ट है जो वहां पर लीकेज रहता है उसको सही ढंग से ठीक किया जा सके।

आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में निगम के पास 6 हजार से ज्यादा बसे हैं और उनको 21 हजार 8 सौ 67 किलोमीटर पर चलाया जा रहा है। अभी 2 हजार किलोमीटर नेशनलाइजेशन की तरफ हम बढ़े हैं सेक्शन 68 सी के अन्तर्गत कर रहे हैं, यह हो जायगा तो हमारे रोड की संख्या बढ़ जायेगी। लेकिन हमारे पास जो बसें हैं 6 हजार से कुछ ज्यादा उनमें से एक हजार बसें बिल्कुल खराब हैं जिसमें इनका रिप्लेसमेंट तुरन्त होना चाहिये। 8 सौ ऐसी है जो चल रही है कुछ दिन में उनको भी रिप्लेए करना चाहिये। 18 सौ बसें ऐसी है जिनकी शिकायत आती है कि बसें खराब है, यह बात सही है इन्हीं के कारण निगम को घाटा है। खराब बसों पर खर्च ज्यादा बैठता है, और आमदनी कम रहती है जो आमदनी अच्छी बसों की होती है वह भी घट जाती है और आमदनी कम हो जाती है। शहरी क्षेत्रों में प्राईवेट बस वाले बस चलाने के लिये तैयार नहीं होते। हम बार बार चाहते हैं कि प्राईवेट वाले बस चलाये लेकिन वह तैयार नहीं होते है। दूसरे हिल में भी प्राईवेट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री वीर बहादुर सिंह- -)

वाले बस चलाने को तैयार नहीं होते कुछ हिल में एसी जगह भी है जहां प्राईवेट वालों का आपरेशन ठीक नहीं रहता है और न ही वह ठीक प्रकार से चलाते हैं। बहुत से जगहों पर तो परमिट ले लेते हैं लेकिन बस नहीं चलाते है और शिकायत आती है कि बस नहीं चल रही है। तो ऐसी जगहों पर जहां बस पर खर्च अधिक आता है और पहाड़े पर उतने यात्री नहीं मिल पाते हैं जितने से बस आमदनी में चले। हिल में हमारे यहां रेल नहीं है। केवल रोड की सुविधा है रोड पर बसें रहती हैं। टैक्सी आदि वह के आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं इसलिये शहर और हिल में हमको आपरेशन करना पड़ता है और इसी कारण घाटा होता है। हिल में हमारे निगम को 45 लाख का घाटा हुआ है और अरबन में 2 करोड़ 49 लाख का घाटा हुआ है। लेकिन हमें देहाती क्षेत्रों में जो बस चलाते हैं उससे ढाई करोड़ लाभ हुआ किन्तु 249,00,000 रुपये अरबन से घाटा हुआ, 45 लाख रुपये हाल में घाटा हुआ। इस तरह कुल 59 लाख रुपये का घाटा हुआ है। लेकिन दूसरे जो कारपोरेशंस हैं उनकी भी हालत खराब है और इसलिये उनसे बहुत सी चीजों में हमारी हालत बहुत अच्छी है। मान्यवर, दूसरे प्रदेशों में घाटे के आंकड़े देखाते हैं जैसे तमिलनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आन्ध्र, गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल, बिहार तो यहां कारपोरेशंस काफी समय से घाटे में हैं और हम उनसे अच्छे हैं। यह घाटा इसलिये बढ़ रहे हैं चूंकि डीजल स्पेयर पार्टस चेसिस आदि की कीमतें बढ़ रही हैं और इसलिये जो आय बसों से आनी चाहिये वह नहीं आ रही है। यही कारण है कि तरह-तरह की शिकायतें आती हैं कारपोरेशन में जिस तरह की चुस्ती आनी चाहिये वह नहीं आ रही है। कारपोरेशन में 48 हजार कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं। एक बस पर साढ़े आठ आदमी पड़ता है और प्राईवेट में 2-3 आदमी प्रति बस पड़ता है। इसलिये जाहिर है कि इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेन्ट पड़ता है। इसके अलावा महंगाई भत्ता और बोनस हमको देना पड़ता है जबकि प्राइवेट नही देते हैं। इसलिये जो चीजें यह देना पड़ता है उसके मुकाबलें जो आय होनी चाहिये वह नहीं हो रही है।

मान्यवर, अभी टाटा चेसिस की 48 प्रतिशत कीमतें बढ़ गयी हैं, ले लैंड का 52 प्रतिशत, स्टील में 66 प्रतिशत, डीजल में 110 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हो गयी है। इसके अलावा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता एवं अन्य सुविधायें बढ़ायी गयी हैं, ड्राइवर और कंडक्टर को, छोटे कर्मचारियों को बहुत सी सुविधायें देते हैं ताकि उनकी कार्य क्षमता बढ़े। हम यह भी करने जा रहे हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लेबर पार्टीसिपेशन के लिये कई स्तर पर काम करने जा रहे हैं। निगम स्तर पर, जोनल स्तर पर और डिपो स्तर पर लेबर पार्टीसिपेशन दे रहे हैं ताकि, प्रबन्ध समिति के लोग मिलकर काम करें जिससे कारपोरेशन ठीक ढंग से काम कर सके और शिकायतें न हों।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ रिलीजस सेन्टरों और टूरिस्ट सेन्टरों को डीलक्स बस से हम जोड़ने जा रहे हैं जैसे काशी विश्वनाथ से पशुपतिनाथ और गोरखपुर से काठमांडू तक जिसमें भारत सरकार से एग्रीमेन्ट हो गया है और साइन होने को हैं। इसके साथ ही साथ प्रत्येक स्टेट के कैपिटल को बस से जोड़ेंगे ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कतें न हों।

मान्यवर, साथ ही साथ लखनऊ, कानपुर आदि जो बड़े नगर हैं जहां सिटी बसें चलाते हैं वहां अच्छी बस चलाने की व्यवस्था किया है और डबल डेकर की व्यवस्था किया है जिससे पहले से शिकायत कम हुई हैं।

मान्यवर, एक्सीडेन्ट की जो शिकायतें होती थीं, पहाड़ों में काफी एक्सीडेन्ट होते थे तो गतवर्ष के मुकाबले इस वर्ष अच्छी व्यवस्था करने से कम एक्सीडेन्ट हुये हैं। मान्यवर, यह भी व्यवस्था किया है कि जो ड्राइवर और कंडक्टर डबल ड्यूटी करते हैं ऐसा न किया जाय

ऐसी व्यवस्था किया है जैसे कोई बस नाइट मे चलती है तो ड्राइवरों के लिये 8 घंटे काम करने के बाद रेस्ट करने के लिये जगह बनायी जायगी ताकि वह वहां रुक सके और रेस्ट कर सके। रेस्ट करने के बाद जब वह बस चलायेगा तो एक्सीडेन्ट नहीं होंगे। कभी-कभी यह भी शिकायत आती है कि ड्राइवर शराब पीकर बस चलाते हैं। तो यह किया जा रहा है कि ड्राइवर जब बस लेकर चलें तो चेक कर लिया जाय कि वह शराब तो नहीं पिये हैं। अगर वह शराब पिये पाये जायेंगे तो जो अधिकारी इसकी जिम्मेदारी देखता है उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। मैं यह चाहूंगा कि जो बस स्टेशनों के पास शराब की दुकानें हैं उनको दूर रखा जाय ताकि उनको मौका न मिले कि वह शराब पी सकें। तो बहुत सी बातें की गयीं हैं जिससे निगम में सुधार हो। परचेज सिस्टम जो है उसका विकेन्द्रीकरण किया गया अभी प्रबंधक लेविल पर किया जा रहा है और जोनल लेविल तथा डिपो स्तर पर कमेटी बना दी गयी है ताकि परचेज में जो शिकायतें आती हैं वह न हों। प्रदेश स्तर पर जनरल मैनेजर के लेविल पर शिकायतें नहीं आ रही हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपके जो सुझाव आयेंगे उन पर मैं विचार करुंगा और आगे आने वाले समय में हम जो व्यवस्था है उसमे और भी सुधार कर सकेंगे।

श्री कुंवर सिंह नेगी––

मान्यवर,

श्री उपाध्यक्ष––

इस बात का ध्यान रखें कि दो ही घटे इसके लिये हैं और अधिक से अधिक लोगों को बुलवा सकूं इसलिये कम समय लें और टु द प्वाइंट बोलें।

श्री कुंवर सिंह नेगी––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31, परिवहन विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, सरकार का यह पुनीत कर्तव्य है और नैतिक दायित्व है कि वह सस्ती, सुरक्षित, सुलभ व आराम दायक परिवहन सेवा आम जनता के लिये उपलब्ध कराये। परन्तु खेद की बात है कि हमारे यहां की परिवहन सेवा महंगी है। हमारे प्रदेश में भाड़े की दरें और अन्य चीजें यात्रियों से अधिक ली जाती है जिससे यहां की जनता पर आर्थिक बोझ पड़ता है और यात्रियों को असुविधा होती है और परेशानी होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी परिवहन व्यवस्था में अकुशलता है औरभ्रष्टाचार व्याप्त है। माननीय मंत्री जी ने अन्य राज्यों से तुलना की है। मान्यवर, बुराइयों और कमजोरियों की तुलना नहीं होती है। आपने यह चीजें अन्य प्रदेश में नहीं देखीं कि वहां पर कितनी सुविधायें यात्रियों को दी जाती है। वहां पर उत्तर प्रदेश की तुलना में यात्रियों से भाड़ा कम लिया जाता है। बसे भी आरामदेह हैं। आपके यहां भ्रष्टाचर, जो आपकी शिकायत कार्यशालायें हैं वहां पर आपकी बसों के गाड़ियों के नए-नए पुर्जे तक बिक जाते हैं और आज यही कारण है कि 1,800 बसें ऐसी हैं जो बेकार पड़ी हुई हैं। बाकी बसें जो कमी रही हैं, उनका लाभ यह 1800 बसें खा रही हैं। जितना भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिये आपने कोई भी काम नहीं किया है।

मैंने एक सवाल किया था कि 81 में जो किसान रैली हुई थी, उसमें कोटद्वार से कितनी बसे दिल्ली किसान रैली में गयीं और कितना रुपया यात्रा कर और सड़क कर का जमा हुआ। वह सभी जानते हैं कि खाली अकेले कोटद्वार से 25 से भी अधिक बसें गयी हैं। एक राज्य मंत्री की ड्यूटी लगी हुई थी कि बसों का इन्तजाम करें। अधिकारियों को आदेश दिये गये थे कि बसों की व्यवस्था करें। जवाब में यह कहा जाता है कि कोटद्वार से किसान रैली के लिये कोई भी बस नहीं गयी और यात्रा कर और सड़क कर के जमा होने का सवाल ही नहीं

[श्री कुंवर सिंह नेगी]

उठता है। यह भ्रष्टाचार शासन के द्वारा हो रहा है, तो कर्मचारी क्या करेंगे ? आप आर0 टी0 ओ0 को भ्रष्टाचार करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं, मुफ्त म चुनाव लड़ने के लिये आप सरकारी वाहनों का दुरुपयोग कर रहे ह, चुनाव के लिये खर्चा ट्रांसपोर्ट से से लेते हैं और जब भी कोई नेता आता है या रैली होती है, सारी व्यवस्था गाड़ियों की मुफ्त में करते हैं। हमारे मन्त्री जी इस कला में दक्ष हैं और सिद्धहस्त हैं, इस चीज पर रोक लगानी चाहिये। यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। इसमें लाखों करोड़ों रु0 आम जनता का नुकसान होता है और आम जनता बोझ से दब जाती है।

सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध करने के लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इसके लिये यह है कि आप प्रशासनिक मितव्ययता करें और आपके विभाग म अनावश्यक जो बड़े-बड़े पद हैं, उन पदों को हटा दीजिये या उनकी कमी कर दीजिए। सड़क परिवहन निगम में कितने ही अतिरिक्त मुख्य प्रबन्धकों के पद है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आपने 6 क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्तों की नियुक्तियां की हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जब कि आपके पास आर0 टी0 ओ0, ए0 आर0 टी0 ओ0 होते हैं, कमिशनर्स होत हैं, सारा प्रशासन तन्त्र है। यह धन का दुरुपयोग है। आपकी ओर से एक कमी यह है कि आर0 टी0 ओ0 वगैरह सरकारी गाड़ियों की चैकिंग नहीं करते हैं, प्राइवेट गाड़ियों की चैकिंग तो होती है, लेकिन सरकारी गाड़ियों की नहीं होती है जिससे कि मुफ्त में कितनी ही यात्रा की जाती है और बिना टिकट के यात्रा भी होती है, इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा सका है। सुरक्षा की बात है कि गाड़ियों में यात्रा सुरक्षित होनी चाहिये, लकिन आज तक यह हो रहा है कि प्रतिदिन अखबारों में आ रहा है कि यात्रियों में डाके पड़ रहे हैं, यात्री लूटे जा रहे हैं। उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। रात्रि की जो लम्बी यात्रा सर्विस हैं उनमें ठीक प्रकार से यात्रियों के सुरक्षा की व्यवस्था की जानी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आपकी गाड़ियों में यांत्रिक खराबियां अक्सर आ जाती हैं और गाड़ी रास्ते में कहीं भी रुक जाती है। लम्बे-लम्बे पहाड़ों के रास्तों में जहां पर 250–300 किलो मीटर की यात्रा बस से ही करनी पड़ती है और रास्ते में आपका कोई डिपो भी नहीं है जहां पर गाड़ियों का सुधार हो सके, इसके लिये मैंने सुझाव दिया था कि कुछ टूल्स गाड़ी में ही रखे जाया करें ताकि मामूली डिफेक्ट को वहीं पर ठीक किया जा सके। एक गाड़ी रास्ते में खराब हो गयी तो आपकी जो दूसरी गाड़ी उसी रास्त से जाती है वह पैसेन्जर को नहीं उठाती है और पैसेन्जर गाड़ी खराब हो जाने के कारण वहां वैसे का वैसा खड़ा रह जाता है। प्राइवेट आपरेटर्स यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखत हैं और पैसा वापस कर देते हैं परन्तु आपका विभाग पैसा भी नहीं वापस करता है।

अभी मंत्री जी ने जो सन्तोष व्यक्त किया कि पिछले साल के मुकाबिले में इस वर्ष कम दुर्घटनायें हुई हैं। मेरा ख्याल है कि मंत्री जी को शायद अभी बरेली के पास वाली दुर्घटना की सूचना नहीं है जिसमें कि 8 आदमी मर गये हैं और 150 से अधिक घायल हुए हैं। जो दुर्घटनायें होती हैं उसके लिये जो आर्थिक सहायता दी जाती है, उसके लिय पहिले तो यह था कि 20,000 तक एक मृत व्यक्ति के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती थी और जो अन्य लोगों को दुर्घटना में चोटें आती थीं उनको 5,000 रु0 की दर से मुआवजा दिया जाता था। अब आपने इस पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया है और एक सीमा निर्धारित कर दी है कि प्रत्येक दुर्घटना की अधिकतम सीमा आपने 7 लाख 20 हजार रु0 कर दी है मैदानी क्षेत्रों के लिये और 4 लाख रुपया कर दिया है पर्वतीय क्षेत्रों के लिये। यदि ज्यादा लोग उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो उनको भी इसी प्रकार से 20 हजार रु0 तक मुआवजा नहीं मिल सकता है। इस प्रकार से यह सीमा का निर्धारण ठीक नहीं है। फिर जो क्लेम बनता है 1 नवम्बर, 76 से 31 जनवरी, 81 तक कुल क्लेम में 43 लाख 43 हजार रुपये वितरित किये गये जो कि मेरे ख्याल में 450 क्लेमों के केवल भुगतान हुए। कोई क्लेम ऐसा नहीं है

की अभी तक ठीक ढंग से पूरा किया गया हो, सब वैसे ही पड़े हुए हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था को सरल किया जाय और यात्रियों की जो दुर्घटनायें होती हैं गम्भीर रूप से, उनको उचित मुआवजा दिया जाय।

पर्वतीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में मैंने पहिले ही निवेदन किया कि वहां की यात्रायें काफी लम्बी होती हैं। पिछली सरकार ने 1979 में घोषणा की थी कि श्रीनगर में एक डिपो बनेगा। यह जरूरी भी है कि श्रीनगर (गढ़वाल) में एक डिपो बनाया जाय। कोट्द्वार में एक रीजन की मांग थी, उसकी व्यवस्था हो जानी चाहिये। बसों में यात्रा करना असुविधाजनक है। बसें दिन का डब्बा है, बरसाती, शीशे नहीं हैं, बसों में गन्दगी रहती है, छत जरा सी बरसात में चूने लगती है, बैठने के लिये ठीक स्थान नहीं है। बस स्टेशनों पर शौचालयों का अभाव, पीने का पानी, पेशाबघर की कोई व्यवस्था नहीं है, इन चीजों को ठीक किया जाना चाहिये।

बहुत खुशी की बात है कि पर्यटन स्थानों को डीलक्स बसें चलायी जा रही हैं परन्तु उत्तरांचल में धार्मिक यात्री जाते हैं क्योंकि वहां धार्मिक स्थान हैं इसलिये वहां भी डीलक्स बसें चलायी जायें।

पिछले वर्ष हरिद्वार में प्रत्येक यात्री से, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाने वालों से, वहां के सामान्य लोगों से 30 रुपया ज्यादा लिया गया। यह कैसा न्याय है। यह रुपया किस के आदेश से लिया गया, क्यों लिया गया, यह लाखों रुपया कहां गया। गरीब यात्री मद्रास से, केरल से पैसे का हिसाब लगा कर आता है, कि इतना रुपया किराये का और इतने दिन यहां रहना है लेकिन यह अधिक रुपया लिया गया, इसकी जांच होनी चाहिए।

यह जरूरी है कि दिल्ली और प्रदेश की राजधानी लखनऊ से प्रदेश के हर जनपदों को जोड़ा जाय। सुविधाजनक यात्रा के लिये यह बहुत जरूरी है।

बसों की बहुत कमी है। लोगों को बैठने का स्थान नहीं मिलता। इसके लिए जरुरी है कि मिनी बस, मेटाडोर के परमिट देने बन्द कर दिये गये हैं, उनको टैक्सी के रूप में चलाने के लिये फिर से परमिट दिये जायें ताकि लोग उनमें भी यात्रा कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप समय कम में, बहुत सारे लोगों को बोलना है।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

समय कम है, और लोगों को भी बोलना है। मैं दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बहुमूल्य सुझाव दें। धन्यवाद।

श्री प्रभु नारायण सिंह—

मैं आपका माननीय उपाध्यक्ष जी, आभारी हूं कि आपने मुझे बजट के पक्ष में बोलने का अवसर दिया। अपने साथी, जो कटौती का प्रस्ताव रख रहे थे, उन्हें बड़े गौर से सुन रहा था और सोच रहा था कि कोई मूल्यवान सुझाव देंगे जिसका लाभ हम लोग ले सकेंगे लेकिन वैसी

---

*अध्यक्ष ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रभूनारायण सिंह---]

कोई चीज नजर नहीं आयी । एक तरफ कहते हैं कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ कहते हैं कि भ्रष्टाचार को दूर करें, तो अगर उसे दूर करना है तो निश्चय ही कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी । इसलिये केवल निगेटिव डिसीजन नहीं होना चाहिये, पाजिटिव भी होना चाहिये ।

(इस समय 1 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती सुनीता चौहान पीठासीन हुईं ।)

1972 से परिवहन निगम स्वायत्तशासी संस्था कर दी गयी, अलग कर दी गई और बसों के चलाने के लिए उसे स्वायत्ता प्रदान कर दी गई लेकिन परिवहन विभाग का जो उत्तर-दायित्व है, उसका निर्वाह वह अलग करता रहा और अगर देखा जाये तो सचमुच में अपने उत्तर-दायित्व का निर्वाह किया है । 1982 के जनवरी तक साढ़े तिहत्तर करोड़ की आय हो चुकी है और आशा है कि जिस अनुपात में आय बढ़ी है उससे इस मार्च 82 तक 98 करोड़ हो जायेगी जब कि व्यय मात्र डेढ़ करोड़ हुआ और 80-81 का अगर देख लें तो यात्रा कर, पथकर, के अन्तर्गत कुल 70 करोड़ 60 लाख, 29 हजार 709 रुपये हुई थी । इस प्रकार से इसकी आय दिन-दूनी-रात-चौगुनी बढ़ती जा रही है । यह निगम प्राफिट और लास के आधार पर चलता है । पूरे देश में 40 निगमों का सर्वेक्षण किया गया था और उसमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, साथियों को जान कर प्रसन्नता होगी, लाभ का पाया गया देश के पांच निगमों में से । यह प्लानिंग में योगदान करता है, इसके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं ।

करप्शन की बात करते हैं । उसको ठीक करने के लिए मंत्री जी ने काफी उपाय किये और काम भी उसमें हुआ । जो आइटम परचेज किये जाते थे उसमें भ्रष्टाचार होता था इस लिए यह निश्चय किया गया है कि उस को डिसेन्ट्रलाइज किया जाये, विकेन्द्रीकरण कर दिया और लोकल परचेज को कम से कम करने के निर्देश दे दिये गये हैं । यह भी किया गया है कि ओरिजिनल पार्टस ही क्रय किये जायें ताकि उन में भ्रष्टाचार की शिकायत न हो सके । एक ताजा उदाहरण ले लें श्रीमन्, जो अभी अर्ध-कुम्भ का मेला लगा था उसमें परिवहन निगम की 90 प्रतिशत गाड़ियां सड़कों पर पायी गयीं और जितनी अपेक्षा की जाती थी उससे अधिक इन्होंने इस देश और प्रदेश की जनता की सेवा की, जो लोग धर्म के कार्य में आये थे, उसकी इस विभाग ने बहुत ज्यादा सेवा की ।

एयर-कूल बस, जिसकी बाडी हमारे यहां बनती है, आल इण्डिया इंजीनियर्स एसोसियेशन ने इसको प्रथम पुरस्कार दिया है । यह गौरव केवल उत्तर प्रदेश को प्राप्त है इसलिये हमें इस विभाग को बधाई देना चाहिये । वैसे तो कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसेहु जन जाय, काजल की एक बूंद तो लगहु जाय । अर्थात् काजल की कोठरी में जाने से काजल का तो दाग लग ही जाता है लेकिन श्रीमन् यह विभाग उससे भी बेदाग निकलता जा रहा है ।

चूंकि समय कम है इसलिये अब मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा । परिवहन विभाग और परिवहन निगम दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाय और परिवहन विभाग का भी नियंत्रण इस पर होना चाहिये । तभी इसकी कार्य प्रणाली में सुचारुता आयेगी । इसके साथ ही साथ इसकी लीगल शाखा को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और इसके साथ ही साथ जो प्राइवेट लीगल सेक्टर्स हैं उनसे भी सहायता ली जाय, उनका भी सहयोग लिया जाय

तो अच्छा होगा । इसके अतिरिक्त मण्डल और जिला स्तर पर इस विभाग का नियंत्रण करने के लिए, इसकी देख-रेख करने के लिये, सुझाव देने के लिये मण्डल और जिला स्तर पर सलाहकार समितियां बनाई जायं तो अधिक उपयोगी होगा और इससे स्वच्छंदता और भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण हो सकेगा और जो प्राइवेट बसें बहुत तीव्र गति के साथ बढ़ती जा रही हैं, जब कि हमारी बसें काफी लम्बे-लम्बे रूटों को कवर किये हुए हैं लेकिन फिर भी प्राइवेट बसें बहुत चलती हैं जब कि उनके पास न तो कोई परमिट है और न ही उनका कोई टैक्स जमा हुआ है इसलिये निश्चय ही इस पर तीव्र कन्ट्रोल करना होगा । इससे सरकार की आय भी कम होती है और करप्शन को भी बढ़ावा मिलता है । इसके लिये मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि चाहे इसके लिए कितना ही कठोर नियम क्यों न बनाना पड़े निश्चय ही एक भय का वातावरण वहां बनाना पड़ेगा तभी यह दूर हो सकता है। अभी तो प्राइवेट बसों वाले यह सोचते हैं कि यदि पकड़े गए तो कुछ जुर्माना देकर छूट जाते हैं इसलिए इस दिशा में कठोर से कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये ।

अभी जैसा कि मंत्री जी ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में जिक्र कर रहे थे उस विषय में कहना चाहूंगा कि कन्डक्टर और ड्राइवर के डाक्टरी मुआयने पर अनिवार्यता होनी चाहिये और जब तक स्वस्थता प्रमाण-पत्र उन्हें न दिया जाय तब तक उन्हें रोड पर चलने की परमिशन न दी जाय ताकि वह शराब के नशे में गाड़ी न चलायें । इसके बाद चेकिंग की व्यवस्था और उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है और परिवहन के दोनों विभागों में कोआर्डिनेशन होना चाहिये । मैंने देखा है कि अभी विशेष अभियान चलाकर चेकिंग में काफी नियंत्रण पाया गया है लेकिन अभी जैसा कि कहा गया रेलवे की तरह से यहां भी मजेस्टीरियल चेकिंग की व्यवस्था होनी चाहिये और यह देखना होगा कि केवल यात्री ही दण्ड के भागी न हो, कन्डक्टर ने अगर टिकट नहीं दिया है तो वह भी दण्ड का भागी बने । जौनपुर से गाजीपुर तक जाने वाली सड़क के प्रमुख मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया गया था और हमें जानकारी है कि निश्चय ही उसको ले लिया गया है ।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि अपने विधायक साथियों की सुविधा के लिए एक एयरकूल बस विधान सभा से रेलवे स्टेशन तक चलाई जाय जो दिन में 10–20 ट्रिप विधान सभा से रेलवे स्टेशन तक लिया करें । इससे माननीय विधायकों को जो आने जाने में असुविधा होती है, वह नहीं होगी और रिक्शे वालों से झगड़ा झंझट भी नहीं करना पड़ेगा । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्री हरिवंश सहाय—

अधिष्ठाता जी, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, परिवहन निगम 1972 में बना और उसके बनने के बाद जो कर्मचारी उस विभाग में काम करते हैं उनका कोई सेवा नियमावली आज तक नहीं है । जो वहां काम करते हैं उनके लिय कायदा कानून ठीक से नहीं है जिससे वहां ठीक से काम नहीं हो सकता । इससे कर्मचारियों में बराबर असन्तोष रहता है । परिवहन निगम ज्यादा पैमाने पर घाटे में चल रहा है । दो करोड़ रुपये का घाटा अर्द्ध कुम्भ मेले में परिवहन निगम को उसके कर्मचारियों की वजह से हुआ । जो प्राइवेट बसें चलती थीं और सरकारी बसें चलती थी, दोनों के किराये में 5 रुपये का अन्तर था जिसकी वजह से इतना घाटा हुआ । परिवहन निगम में दो तरह के कर्मचारी हैं, एक आई0ए0एस0, व पी0सी0एस0 और दूसरे नीचे से प्रमोटेड अधिकारी । दोनों में सामंजस्य नहीं है जिससे उस विभाग का काम ठीक से चल सके । जो कर्मचारी आमतौर से परिवहन निगम से आये

[श्री हरिवंश सहाय–]

हैं, उनकी वजह से भारी भ्रष्टाचार है । उनके ऊपर करोड़ों रुपये की विजिलेंस जांच चल रही है । मैंने आपको एक आवेदन पत्र दिया था जिसकी जांच आपने विजिलेंस से कराने को लिखा । मालूम हुआ कि उनकी वजह से जानबूझ कर करोड़ों रुपये का घाटा कराये हैं । जो बाहर से आई0 ए0 एस0 व पी0 सी0 एस0 आये हैं उनसे बात करने से पता चला है कि नीचे के जो कर्मचारी हैं वे उनसे बिलकुल असहयोग करते हैं । नीचे की फाइल ठीक से नहीं भेजते हैं जिससे वे उनके चंगुल में फंसे हुए हैं । आज यात्री परिवहन निगम के बजाय अन्डर-टेकिंग की बसों से यात्रा करना ज्यादा पसन्द करते हैं क्योंकि अन्डरटेकिंग की बसें उनको कम समय में नियत स्थान पर पहुंचा देती हैं । इसलिये हर आदमी यही चाहता है कि अन्डर-टेकिंग की बसों से ही चलें । उससे विभाग को आय भी अच्छी हुई है । मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें कि क्या कारण है कि परिवहन निगम की बसों पर लोग नहीं चलना चाहते हैं । इससे घाटा हो रहा है आपसे मेरा निवेदन है कि इस पर आप विचार करें कि अन्डरटेकिंग की बसों से फायदा है और उससे यात्री भी चलना पसन्द क्यों करते हैं कहीं न कहीं परिवहन निगम के काम करने के ढंग में कमी जरूर है ।

देवरिया जिले में 200 बसें खड़ी हैं जिनमें 60 प्रतिशत बसें ऐसी हैं जिनका एक पुर्जा खराब है या दो पुर्जा खराब है और उसी के कारण तमाम बसें बेकार पड़ी हुई हैं । अगर बस का एक भी नट बोल्ट खराब हुआ या ढीला रहा तो कंडक्टर बस को खड़ी कर देता है और जब लोकल बाजार से नट बोल्ट खरीद कर लगाने के बजाय तबतक बस खड़ी रहती है जब तक कि वर्कशाप से बन कर वह टूल्स नहीं आ जाते । माननीय मंत्री जी के इलाके गोरखपुर से सुनौली नेपाल बोर्डर तक बसें चलती हैं और सुनौली से गोरखपुर चलती हैं । जहां पहले उससे होने वाली आमदनी 20 हजार रुपये से 50 हजार रुपये रोज थी वह आमदनी धीरे-धीरे घटती गयी और अब 3 हजार रुपये प्रति दिन रह गयी है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें कि ऐसी बात क्यों हो रही है । माननीय मंत्री जी जानते हैं कि देवरिया और बिहार के बोर्डर पर बनकटा स्टेशन है लेकिन वहां तक कोई बस नहीं चलती है और माननीय मंत्री जी के आदेश का पालन भी इस सम्बन्ध में नहीं किया जा रहा है । मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी बनकटा तक बस चलवाने का प्रबन्ध करें । इसी तरह से देवरिया से हाटा 30 किलोमीटर दूर है और कंकरीट रोड भी है लेकिन उस पर भी आपकी बसें नहीं चलती हैं ।

मैं दो बातें और कहना चाहता हूं, अधिष्ठाता महोदय । आप के विभाग के सन् 62 में दो कर्मचारियों ने विधान सभा का चुनाव लड़ा । एक कन्डक्टर लड़ा और एक जे0एस0आई0 । चुनाव में हारने के बाद कन्डक्टर को तो बरखा-स्तगी का नोटिस थमा दिया गया लेकिन जे0एस0आई0 को सात वर्ष के बाद सात इन्क्रीमेंट दे कर उस का प्रमोशन कर दिया गया । मैं यह कहना चाहता हूं कि कन्डक्टर को भी पुनः रिइन्सटेट करने के लिए उसकी सेवा शर्तों पर विचार किया जाय । दोनों पर एक तरह का कानून लागू होना चाहिए ।

एक बात और कह कर मैं बंद करूंगा । सन् 80 में आपने कन्डक्टरों के लिए सेलेक्शन कराया । 356 अभ्यर्थी चयन किये गये । उनकी ट्रेनिंग हुई । उन्होंने एक हजार रुपये की जमानत दाखिल की । साठ कन्डक्टर बच गये हैं । मैं आप से निवेदन करूंगा कि 60 बचे हुये ट्रेनिंग किये और एक हजार रुपये की धनराशि जमा किये, कन्डक्टरों को भी आप बहाल करें ।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे इस परिवहन के बजट पर बोलने और उस का समर्थन करने का अवसर दिया है।

मान्यवर, इन बीस महीनों में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा जो कार्यवाहियां की गई है उससे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम तरक्की की ओर बढ़ाने की चेष्टा कर रहा है। साथ ही साथ उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए जो तरीके प्रशासन की ओर उठाये जा रहे हैं वे बड़े सराहनीय है। अभी माननीय मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा कि अपने रेवेन्यू में 30 परसेन्ट आमदनी की बढ़ोत्तरी की है। मैं उनकी इस बढ़ोत्तरी के लिए बधाई देता हूं और साथ ही साथ उन्होंने जो मैजिस्ट्रेट चेकिंग का इन्तजाम किया है या दो हजार किलोमीटर और नई सड़कों पर बसें चलाने का इन्तजाम किया है उसके लिएमैं उनको बधाई देना चाहता हूं। पहाड़ी इलाकों में जो हमारे प्रदेश का सब से महत्वपूर्ण इलाका है जहां पर दूसरे ओर कोई साधन जैसे रेल आदि नहीं है वहां पर भी शासन ने बसों का और अच्छा इन्तजाम करने की जो नीति अपनाई है उसके लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। बीस प्वाइन्ट प्रोग्राम के तहत मजदूरों की साझेदारी की जो बात माननीय मंत्री जी ने की है उसके लिए मैं उन को काबिले मुबारकबाद ठहराता हूं। इस सिलसिले में जल्दी से जल्दी बेहतरीन कदम उठाने की कोशिश की जा रही है।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी का कानपुर जैसी महानगरी की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी गोरखपुर और वाराणसी से नेपाल जाने के लिए बस का इन्तजाम किया है यह एक ऐसा कारनामा है। जिसके लिए उत्तर प्रदेश की आवाम हमेशा आप को याद रखेंगी लेकिन साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर यह सुविधा कानपुर, लखनऊ होते हुये नेपाल तक जाने के लिएमुहैया कर दें तो इसके लिए मैं आप का आभार प्रकट करूंगा और साथ ही कानपुर की जनता और कानपुर महानगर की ओर भी आप का ध्यान पड़ जायगा। कानपुर नगर की जनता को सहुलियत मुहैय्या हो जायगी। मान्यवर, कानपुर के सिलसिले में आप को बताना चाहता हूं कि हमारे कानपुर कारपोरेशन की सीमा 176 किलोमीटर है। कानपुर महापालिका की सड़कों की लम्बाई 1440 किलोमीटर है लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां बसों की जो तादाद है वह केवल 325 हीहै और उसमें भी तकरीबन 25 फीसदी बसें हमेशा वर्कशाप में खराब पड़ी रहती है। इस तरह से हमारे इतने बड़े कानपुर जैसे शहर के लिये केवल दो सवा दो सौ बसें नाकाफी हैं। इन्हीं बसों से कानपुर देहात की भी सेवायें ली जा रही है जब कि केवल कानपुर नगर के लिये 500 बसों की जरूरत है। श्रीमन्, कानपुर औद्योगिक शहर होने के नाते मजदूरों का नगर है जहां पर कि बसों के अलावा वे रिक्शे टैम्पो व टैक्सी में किराये पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिये कठिनाई महसूस कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा शहर है जो कि देहात तक मिल गया है इसलिये उनके पास बसोंके अलावा और कोई जरिया नहीं रह गया है। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी कानपुर की जरूरत को देखते हुये कानपुर की चौड़ी सड़कों पर डबल डेकर की बसों को चलाने की व्यवस्था करें और वहां की संकरी सड़कों पर मिनी बसों को चलानें का प्रबन्ध करें।

इसके अलावा मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि कानपुर से इटावा जाने वाली सड़क पर अनधिकृत रूप से प्राइवेट बसें चल रही हैं। जिसको कि अभी तक नहीं रोका जा सका है। इसलिये मंत्री जी इस तरफ भी ध्यान दें। मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं। अगर आपके पास बसों को कमी है तो वहां पर यदि आप प्राइवेट बसों को भी इस बात का लाइसेन्स दे दें तो कानपुर की इस जटिल समस्या को हल करने में अपना सहयोग दे सकेंगे। और वहां के लोगों को राहत मिल सकेगी। इस शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, मैं आपकी बड़ी आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, मैं एक शेर मंत्री जी को सुनाना चाहती हूं :--

उस गुलशन के मुकद्दर का खुदा ही मालिक है,
बांगवा हो जिसका कलियों को मसलने वाला।

मान्यवर, परिवहन विभाग के मंत्री जी मेरे जिले के हैं और उनको जो शोहरत भ्रष्टाचार करने और कराने की है वही शोहरत परिवहन विभाग की जनता को सुविधा देने व उसमें सुधार लाने की है। प्रदेश की 40 प्रतिशत बसें कार्यशालाओं में खड़ी हैं। परिवहन निगम लगातार घाटा उठा रहा है। पिछले साल 9 करोड़ साठ लाखका उसे घाटा हुआ और आगे भी होगा क्योंकि नई-नई बसें नीलाम करदी जा रही है जिसमें मंत्री जी के रिश्तेदारों ने भी खरीदा है। मंत्री जी का मौखिक आदेश होता है। . . . . . (व्यवधान)

एक सदस्य--

व्यवस्था का प्रश्न है। इनको किसी ने लिखकर दिया है। क्या यहां पर लिखित भाषण पढ़ा जा सकता है। . . . (व्यवधान)

श्रीमती गौरी देवी--

मंत्री जी के मौखिक आदेश है कि 82 बसें बिना परमिट के चलायी जा रही है जिनको 30 हजार सालाना मंत्री जी को देना पड़ता है. . . . (व्यवधान)

श्री प्रभू नारायण सिंह--

मैं व्यवस्था चाहता हूं। क्या माननीय सदस्या अपना पूरा-पूरा लिखा हुआ भाषण पढ़ सकती है ? लिखित वक्तव्य को पढ़ सकती है ? . . . (व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, अगर उनको कोई जानकारी न हो तो दूसरों पर आरोप न लगायें। वे भ्रष्टाचार खुद करती हैं औरभ्रष्टाचार करवाने का काम करती हैं। यदि इनका काम नहीं किया जाता है तो ये शिकायत करती हैं। यह इनका धन्धा हो गया है। मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन कहना पड़ता है कि इन्होंने यह धन्धा बना रखा है। ब्लैक मेल करती हैं अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्लैक मेल करती हैं। मान्यवर, यदि इनकी एक भी बात सही हो जाय तो मैं इस हाउस से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मंत्री जी ने चार्ज लगाया है। मैं पचासों ऐसे केस दे सकता हूं. . . . (व्यवधान)

(बहुत से सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे।)

श्री अधिष्ठाता--

यदि कोई सदस्य बिना आज्ञा के बोलेगा तो मैं उसको प्रोसीडिंग में नहीं आने दूंगी।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, मैं पढ़ नहीं रही हूं। प्वाइंट देख रही हूं। प्वाइन्ट तो देखे ही जा सकते हैं।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपना भाषण समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्रीमती गौरी देवी--

30 हजार सालाना मंत्री जी को देना पड़ता है। सन् 76 के बाद 105 बसें नीलाम हुई हैं। कुम्भ मेले में जो बसों की व्यवस्था की गई थीं उनमें पन्द्रह सौ बसें अव्यवस्था के कारण खड़ी रहीं, 3 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। चौरी चौरा में 6 फरवरी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सुविधा के नाम पर प्रधान मंत्री जी की सभा में भीड़ जुटाने के लिये 200 बसें चलाई गई जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता ढोये गये, कई सौ एकड़ फसल बरबाद हुई किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया।

श्री हरदेव--

इनकी बस का लाइसेन्स नहीं दिया गया, इनके कार्यकर्त्ताओं को नहीं दिया गया है इस लिये ऐसा कह रही हैं .... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्रीमती गौरी देवी--

दो वर्षों में जितनी नियुक्तियां हुई उसमें बिना रुपया लिये नहीं किया गया चाहे कन्डेक्टर की हो या चालक की हो या क्लर्क की हो। दो हजार से पांच हजार तक रेट बंधा है। मंत्री जी की अलग सूची पहले ही बन जाती है .... (व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता--

माननीया सदस्या कृपया बैठें। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्रीमती गौरी देवी--

अधिकारी नहीं करते है तो प्रताड़ित हो और परीक्षा देने वाले तथा आवेदन कर्ता बेरोजगार लोगों को अनियमितता का शिकार होना पड़ता है।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया आप बैठें। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है। जहां तक हो सके माननीय सदस्य पुराने भी हैं और अनुभवी भी हैं। पढ़कर भाषण यहां नहीं सुनाना चाहिए। कोई बात कोट करनी हो, तब तो दूसरी बात है लेकिन पूरा भाषण पढ़ना ठीक नहीं है।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

प्वाइन्ट देख रही थी। भाषण नहीं पढ़ रही थी।

श्री मुईद अहमद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज परिवहन विभाग का जो बजट रखा गया है। उसके समर्थन में बोलते हुए मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करता हूं। परिवहन विभाग के बजट का समर्थन कुछ आंकड़ों कुछ मुद्दों और उसके द्वारा की गयी प्रगति के आधार पर कर रहा हूं केवल ऐसे ही नहीं कर रहा हूं कि यहां पर मैं बैठा हूं और फारमल तरीके से बजट पेश हुआ है और मैं उसका समर्थन कर रहा हूं।

श्री हरदेव—

मान्यवर, श्री गोरी भैया महिलाओं को सामने लाकर बात करते हैं अपना सामने नहीं आते हैं ।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, यह जो बजट रखा गया है इसको मैं गौर से पढ़ रहा था और जो यहां भाषण हुआ उसको ध्यान से सुन रहा था । यह जो किताब मिली है उसमें भी आंकड़े दिये हुये हैं उनको देखने से लगता है कि परिवहन विभाग प्रगति की तरफ काम कर रहा है । यह सही है कि कारपोरेशनभ्रष्टाचार का अड्डा था मगर जब कोई आदमी किसी विभाग में रहता है तो उसका नैतिक दायित्व होता है कि वह उसमें सुधार करें तो इसमें सुधार आया है इसलिये मैं इसे समर्थन दे रहा हूं । मान्यवर, एक बात आई जैसे 90 लाख की वसूली होगी और इन्होंने दिसम्बर महीन तक 76 लाख रु0 वसूल लिया है । तो इस तरह से रेवेन्यू में प्रगति हुई है जब कि पिछले वर्षों में वसूली का परसेंटेज बहुत कम था । इसके अतिरिक्त मैजिस्टीरियल चैकिंग की व्यवस्था की है और बेटिकट लोगों को पकड़ने की व्यवस्था की है । इसके साथ-साथ एक हजार बसों को जो खराब थी हटा दिया है उनके सुधार का इंतजाम नहीं हो रहा है इससे असुविधा भी होती रही है, चैसिस नहीं मिल रही है ।

एक बात की तरफ मैं जरूर कहूंगा कि आपने चैकिंग के द्वारा प्राइवेट बसेज को पकड़ा है और उससे रेवेन्यू वसूल किया गया है लेकिन अब भी बहुत सी प्राइवेट बसेज चल रही है । कारपोरेशन के अधिकारियों का डायरेक्ट अंकुश नहीं है और जिले के अंदर बहुत सी प्राइवेट बसेज बगैर परमिट के, बगैर रोड टैक्स दिये चल रही है । तो इसके लिए इस किस्म की व्यवस्था होनी चाहिये कि जिस स्थान के सामने से ऐसी प्राइवेट बस गुजर रही है और अगर वह बस नहीं पकड़ी जाती है तो थानेदार सस्पेंड हो जाना चाहिये । अगर ऐसी व्यवस्था हो जाय तो शायद यह रुक सकता है । जब तक डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जायगा तब तक प्राइवेट बसों का चलना नहीं रुकेगा । इसकी शुरुआत कब हुई जब जनता पार्टी सरकार में आई इसी समय प्राइवेट बसों का चलना शुरू हुआ और आज उनका मनोबल इतना ऊंचा है कि वे बसों को चलाते जा रहे हैं (लालबत्ती होने पर) मेरा तो अभी तीन मिनट और है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य ज्यादा समय लेंगे तो बाकी लोग कैसे बोल पायेगें । आप एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री मुईद अहमद—

एक बात और कहना चाहता हूं कि यू0 पी0एस0आर0टी0सी0 की बहुत सी बसें निकाली गयी हैं जिससे थोड़ा सा यात्रियों में संकट पैदा हो गया है । मगर एस0आर0टी0सी0 की बसों से कारपोरेशन को कुछ लाभ ही हुआ है । यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 की बसेज को व्यवस्थित तरीके से चलायें । राज्य कर्मचारियों का उन पर अंकुश रहे । यू0 पी0 एस0 आर0 टी0सी0 किस रोड पर कितना कि0मी0पर कितनी कितनी बस आवंटित कर सकते हैं । इसका एक नियमित तरीका होना चाहिये अगर वह न्याय के साथ लगायेंगे तो जरूर लाभ होगा ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि अब इस कारपोरेशन में एयर कूल बसें चलाई गई हैं, जिसके लिए आल इंडिया इंजीनियर्स एसोसियेशन ने इसको पहला इनाम दिया है,यानी इस कारपोरेशन को दिया है और भारत वर्ष के सारे परिवहन निगमों के मुकाबले में यह सबसे कम घाटे पर चलकर सबसे अच्छा काम कर रहा है । इसलिये मैं इनको बधाई देना चाहता हू । इसके साथ ही मैं परिवहन बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री राधेश्याम पटेल—

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं.....
(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

पटेल जी एक मिनट। माननीय सदस्य आप ही लोगों की तरफ से, पार्टी की तरफ से हमारे पास लिस्ट आई है और कुछ प्रायरिटी के आधार पर मैं समय देती हूं। यह नहीं है कि आपका यहां किसी का नाम आया है और मैं किसी को बुला रही हूं।

श्री राधेश्याम पटेल—

मान्यवर, परिवहन विभाग आज की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन मुझ बड़े खद क साथ कहना पड़ता है कि इस विभाग में जितना भ्रष्टाचार है, उतना शायद ही किसी अन्य विभाग में हो। इनकी पूरी बस की बस बिना टिकट चली जाती है और वहां कहने पर, हम लोगों के हस्तक्षेप करने के बावजूद कुछ रोक नहीं होती है, वहां पर कमीशन की बात चल जाती है और हमारे कहने पर कन्डक्टर और ड्राइवर कहते हैं कि इस तरह से आमदनी करक हम अपने बड़े साहबों को कमीशन पूरा करके नहीं देंगे तो हमारी नौकरी नहीं रहेगी। अब मैं इलाहाबाद से फाफामऊ को जाने वाली बसों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, वहां पर झूसी में आपने एक डिपो खोल दिया है लेकिन उसके खुलने से कोई फायदा नहीं हुआ है। वहां पर अनायास विभाग बड़े-बड़ लोगों को बड़ी-बड़ी तनख्वाहें दे रहा है। वहां से 15/16 किलोमीटर दूर से बिना किसी कारण बसें आती हैं जबकि इलाहाबाद डिपो पहले से काम कर रहा है। वहां पर बसे खराब हो जाती हैं, लेकिन वहां व्यवस्था न होने के कारण वह दो-दो, तीन-तीन दिन तक ठीक नहीं हो पाती हैं। जिससे वहां पर बस अनियमित रूप से चलती हैं इसका परिणाम यह होता है कि प्राइवेट बसों पर लोग ज्यादा चलना पसन्द करते हैं, क्योंकि आपकी बसों में कोई निश्चितता नहीं रहती है कि वह आएगी या नहीं आएगी और आएगी तो किस समय आएगी।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यह जो टोल टैक्स के रूप में 50 पैसा प्रति यात्री लिया जाता है, लेकिन पुलों पर 10 रुपया ही जमा करके शेष धन नहीं जमा किया जाता है। इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि यात्रियों से ज्यादा पैसा लिया जाता है तो वह विभाग को जाना चाहिए, अन्यथा यात्री को राहत मिलनी चाहिये, उससे कम पैसा ही लिया जाना चाहिए। अब मैं अपने क्षत्र के बारे में मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, फाफामऊ से बहरिया तक सिटी बस चलती है, उसके बाद दादूपुर पिच रोड बनी हुई है, उसके सम्बन्ध में मंत्री जी से कहा था कि वहां तक रोडवज की या सिटी बस का एक्सटेंशन हो जाय। उसके लिए मंत्री जी ने अधिकारियों से सर्वे भी कराया था, लेकिन अफसोस है कि अब तक उस पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण वहां की जनता बहुत परेशान होती है।

आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे सुझावों के बावजूद कुछ नहीं किया जाता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो यह प्राइवेट बसें चलती हैं, इनके साथ सरकारी विभागों के कर्मचारियों की बराबर सांठ-गांठ रहती है, जिससे प्राइवेट बस वाले कुछ कम पैसे पर सारे यात्रियों को उठा लेते हैं और आपकी बसें खाली चलती हैं, जिससे निगम को रेवेन्यू का बड़ा नुकसान होता है और यह लोग नाजायज ढंग से प्राइवेट बसों के मालिकों का फायदा कराते ह। इस ओर मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करके मैं निवेदन करूंगा कि यदि इस प्रकार की शिकायतों पर आप कड़ा रुख अपनाकर प्रभावी कार्यवाही नहीं करेंगे तो इनका घाटा दिन प्रति दिन बढ़ता जाएगा और विभाग में भ्रष्टाचार का वातावरण व्याप्त रहेगा।

*श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

माननीया अधिष्ठाता महोदया, आज हमारे परिवहन मंत्री जी ने परिवहन का बजट रखा है, उसके सम्बन्ध में आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका शुक्र-गुजार हूं ।

माननीय मंत्री जी ने जो अपने विभाग के बजट मे जो व्यवस्था की है उसकी मैं अवश्य प्रशंसा करूंगा । इसमें हमारे माननीय मंत्री जी ने यह कोशिश की है कि परिवहन निगम जो एक सफेद हाथी की तरह घूम रहा था उस पर कुछ अंकुश लगे और यह कहने में, मैं न हिचकूंगा कि परिवहन निगम जो पिछले 3–4 साल से सफेद कपड़ों में है उसके अन्दर के कपड़े काले हैं । इसमें जरूर भ्रष्टाचार बढ़ा है ।

श्री खैरुल बशर—

आपने कितने कपड़ों में देखा है ?

श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

आप अपने को खुद देख लें ।

अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने कुछ सुझावों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से चाहता हूं कि उन पर वे कृपया गौर करें (व्यवधान) पहला मेरा सुझाव यह है कि परिवहन निगम में 3–4 चीजें ऐसी हैं । ..... (व्यवधान) इस बजट में जो व्यवस्था दी गयी है, उनके सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि टाइम टेबिल जो लगाया जाता है उसके आधार पर हमारी बसें नहीं चलायी जाती है, बल्कि उनका कर्टेलमेन्ट ज्यादा होता है । जितनी बसें हमारे पास हैं, इस समय, उन्हीं के आधार पर हम अपना टाइम टेबिल बनायें और उसका कड़ाई से पालन कराये और बसें उसी के अनुसार समय से चलें और अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचे ।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि इस विभाग में एक वर्कशाप डिपार्टमेन्ट है जिसके कारण यह अवश्य कहूंगा कि यह निगम नीचे की ओर आ रहा है । यहां इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है । इसमें फोरमैन टहलते रहते हैं और जो ड्राइवर और कन्डक्टर्स रात्रि में बसों को लाकर खड़ी कर देते हैं और शिकायत करते हैं । सुबह को जब वे गाड़ी लेने के लिये जाते हैं उनको वैसी ही खड़ी पाते हैं । वर्कशाप वाले उनकी ठीक से मरम्मत नहीं करते हैं जिसके कारण जनता को और भी असुविधा का सामना करना पड़ता है ।

एक मेरा और सुझाव है और वह यह है कि इनके विभाग में एक आर0 टी0 ओ0 का कार्यालय है और एक रीजनल आफिस है जगह जगह पर हैं जहां पर आपके प्राइवेट आपरेटर्स जो इतनी संख्या में टैक्स देते हैं, उनके बैठने तक के लिए वहां पर कोई प्रबन्ध नहीं है । मैं चाहूंगा कि इन कार्यालयों में ऐसी व्यवस्था अवश्य करा दें जिससे जो लोग अपनी बसों के परमिट लेने और टैक्स जमा करने के लिए जाते हैं, उनको बैठने की सुविधा और पीने के पानी की सुविधा प्राप्त हो सके । कुछ स्कीम ऐसी हैं जो सन् 62 से लागू हैं और वे बहुत पुरानी हो गयी हैं, उन स्कीमों में कोई दम अब नहीं रह गया है, उनको या तो बदला जाय या उनमें अमेन्डमेंट किया जाये ताकि वे आज के समय क मुताबिक बन सकें । उनके कारण ही आज राष्ट्रीयकरण क काम में देरी लग रही है इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री लल्लू सिंह चौहान––

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे परिवहन अनुदानों पर बोलने का अवसर दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

माननीय मन्त्री जी इस मंत्रिमण्डल में अभिमन्यु हैं, और आज की युवा पीढ़ी के प्रतीक हैं, परन्तु इनका यह परिवहन विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस विभाग में जो वर्कशाप्स हैं उनके अन्दर भी बड़ा ही भ्रष्टाचार व्याप्त है। लाखों-करोड़ों का वहां घोटाला है। अगर आप इस भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर पाये तो यकीनन आप अपने पूरे टर्म में असफल रहेंगे और जनता को कोई फायदा आप नहीं पहुंचा पायेंगे। जो आपके डिपो सेन्टर्स हैं तथा केन्द्रीय वर्कशाप है कानपुर में, इनमें बहुत भ्रष्टाचार है और उसके अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं। रोडवेज विभाग के सभी अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि इसमें बहुत भ्रष्टाचार है। जी0 टी0 रोड पर एटा से मैनपुरी के बीच में जो होटल हैं वे इस बात के गवाह हैं कि किस प्रकार से आपकी गाड़ियों के पुर्जे वहां पर बिकते हैं। आपने विजिलेन्स से जांच करवायी, उनकी रिपोर्ट भी आयी, पर उस सब का कोई नतीजा नहीं निकला। किसी को भी सजा नहीं मिली। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। इसी तरह से छिबरामऊ और एटा के बीच में भी जो 10 होटल हैं, वहां इन गाड़ियों के पुर्जों की बिक्री होती है। यह पुर्जे निकाले जाते हैं और बेचे जाते हैं।

इसी तरह से एक और उदाहरण भ्रष्टाचार का दे रहा हूं। हमारे यहां भोगांव स्टेशन पर फर्जी टिकटों की बिक्री होती है। एक क्लर्क को इस जुर्म में सस्पेंड भी किया गया। वहां पर फर्जी टिकटों की बिक्री को पकड़ा भी गया। बाद में वह बहाल हो गया। बीसों हजार रुपये के फर्जी टिकटों की बिक्री होती है। इस बात की सफाई होना चाहिये कि यह शिकायत सही है या नहीं। फर्जी टिकटों की बिक्री एक गम्भीर और अहम मसला है। अगर सड़क परिवहन निगम के अन्तर्गत इस तरह से टिकटों की बिक्री होती है तो यह एक कलंक की बात है। जनता का कैसे कल्याण होगा? मंत्री जी तो युवा पीढ़ी के प्रतीक हैं, उनके लिये भी यह बड़े ही शर्म की बात है। शर्म से डूब मरने की बात है। एक बस कानपुर से आगरा के लिये आपकी मेल बस जाती है, मगर उसमें यात्री नहीं जाते, वहीं से प्राइवेट अन्डरटेकिंग की जो बस जाती है, उसमें सारे यात्री जाते हैं। आपकी बस खाली रह जाती है। मैनपुरी बेबर जाने वाली बस में भी यही हालत है। ये लोग अन्डरटेकिंग की बस में जाना पसन्द करते हैं। आपकी बस में नहीं। इससे पता लगता है कि सरकारी बसों का क्या महत्व है। उनको जनता क्या समझती है।

आज जमीनों की कीमतें बढ़ रही हैं। तहसील लेविल पर, ब्लाक लेबिल पर, जिला लेविल पर, कम से कम मेन रोड्स पर ही आपके बस स्टेशन होना चाहिये, वरना चोरी, राहजनी और डकैती आदि की घटनाओं को आप रोक नहीं पायेंगे। बस स्टशन बनाइये, शाम को अगर अखिरी बस नहीं मिलती किसी यात्री को, किसी स्त्री या पुरुष को, किसी बहू को बेटी को, तो वह बस-स्टेशन पर रुक सके। कोई चौकीदार वगैरह रखिये ताकि 10–20 आदमी वहां रहेंगे, तो वहां पर चोरी नहीं होगी। घिरोर टाउन एरिया, सिरसागंज नगरपालिका है, 50 सौ बसें वहां से पास होती है, लेकिन कोई बस स्टेशन वहां पर नहीं है। एक छोटी सी कोठरी 10 रुपये माहवार पर ले रखा है। सारी बसें सड़क पर खड़ी हो जाती हैं वहां पर ट्रेफिक जाम हो जाता है। अगर ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर भी आपने बस स्टेशन नहीं बनाया और 20–25 साल की जो आपकी बसों की जिन्दगी हो गयी, अगर अब भी नहीं बनाया, तो कब बनायेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो 2–4 साल के बाद एक बीघा जमीन भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी कीमत 1 लाख रुपया तक हो जायगी। किसी जमीन पर कब्जा कर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लल्लू सिंह चौहान]

लीजिये, ताकि वह जमीन सुरक्षित हो जाय । मैनपुरी जिला मुख्यालय पर 7 साल हो गया, एक डिपो मंजूर हो गया था, लेकिन आज तक उस डिपो पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । फाइल इधर से उधर चली जाती है । कई जमीनें हम लोगों ने प्रस्तावित किये हैं । यदि आप उन जमीनों में से किसी एक भू-खण्ड को नहीं लेते और आप वहां के लोगों को सुविधा नहीं दे सकते तो जनता का आपसे विश्वास उठ जायगा ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय लल्लू सिंह 1 मिनट में खत्म करें ।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

2 मिनट मान्यवर । ए0 आर0 एम0 की पोस्ट आपने जो बना दिया है, ये लोग कोई उपयोगी काम नहीं करते हैं । आर0 टी0 ओ0 और आर0 एम0 ये दोनों अलग-अलग स्तर के विभागीय अधिकारी ह । जब ए0 आर0 एम0 हैं तो आर0 एम0 क्या करेगा । जैसे कमिश्नर ह्वाइट एलीफेंट है, वैसे ही आर0 एम0 और आर0 टी0 ओ0 हैं । इनके काम का डिवीजन करिये और अलग-अलग जिम्मेदारियां दीजिये । टिहरी और उत्तरकाशी 300 किलोमीटर रोडवेज बसें चलती हैं लेकिन कोई पसेंजर शेड, बुक स्टाल या कोई पेशाब घर आदि की सुविधायें नहीं हैं और वहां पर कोई कैन्टीन वगैरह भी नहीं है ।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि इससे कई विभाग का लाभ होगा । यह केंटीन का आक्शन आप बन्द कीजिये । अगर आपको अपनी प्रतिष्ठा और सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा बचाना है, तो केंटीन का आक्शन बन्द कराइये । केंटीन खुद चलाइये । नो-प्राफिट, नो-लास पर चलाइये । एक-एक केंटीन तो 50-50 हजार रुपये में आसानी से नीलाम होती है और 50 हजार रुपया रिश्वत लगता है । जब ऐसा होता है तो केंटीन लेने वाला चीजो को तेज बेचता है। 25-30 पैसे की चाय 50-60 पैसे में मिलती है । यह केंटीन की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है । एक सर्वेक्षण कराइये, चाहे उसमें इस सम्मानित सदन के सदस्य रहें कि बस स्टेशन कहां-कहां बनने ह, डिपो कहां-कहां बनने हैं। यह जानकारी आप कराइये । अगर आप यह नहीं करायेंगे तो फिर जनता का विश्वास आप नहीं प्राप्त कर सकते । रोडवेज जब आपने लिया था, उस समय सरकार ने यह विश्वास दिलाया था कि आप यातायात की समुचित व्यवस्था करेंगे और जनता ने उसका स्वागत भी किया था, परन्तु आप ऐसा नहीं कर सके । अब आप ऐसा अवश्य करिये । मान्यवर, इन शब्दों केसाथ जो कुछ आपने कियाहै, उसके लिये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं । लेकिन जो कुछ आपने किया है वह शून्य है । बहुत कुछ करना बकाया है ।

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी--

माननीया अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । इसके पूर्व कि मैं इस बजट पर कुछ कहूं, मैं एक बात के लिये माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से अर्धकुम्भ के मेले पर इलाहाबाद में बसों की व्यवस्था सुचारु रूप से किया था उसी तरह से 27 फरवरी से 1 मार्च तक आजमगढ़ में लालगंज तहसील में ग्राम वहरीडीह में 5 लाख मुस्लिम धर्मावलम्बियों का जो एक सम्मेलन हुआ है वहां पर भी माननीय मंत्री जी ने, मेरे अनुरोध पर 100 से भी अधिक बसों की व्यवस्था कराकर वहां पर आये हुए लोगों को जो सुविधा दी है, उसके लिये यह बधाई के पात्र हैं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं इसमें दो राय नहीं है कि परिवहन विभाग के बारे में जो घोषणायें किताबों में की गई है और जो माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले बजट भाषण में कहा है उसके अनुसार विभाग में बहुत कुछ सुधार हुआ है । मैं एक खास बात की तरफ माननीय

मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं। वर्ष 81--82 में 927 बसों की प्रतिस्थापना का लक्ष्य रखा गया था और आपको मालूम है. कि केवल 5 सौ बसों की ही व्यवस्था कर सकें। अगले वर्ष 1 हजार बसों का प्राविधान किया है। माननीया, जब आप बसों की व्यवस्था बढ़ती हुई आबादी का देखते हुये नहीं कर पायेंगे, जैसा कि पिछले साल 55 प्रतिशत ही कर पाये तो अगले वर्ष आप कितना कर पायेंगे हमें तो सन्देह है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि परिवहन विभाग चाहे जितनी भी कोशिश कर रहा है परन्तु अगर सड़क पर एक ओर प्राइवेट बस और दूसरी ओर आपकी बस खड़ी हों तो यात्री पहले प्राइवेट बस पर चढ़ना चाहेगा बाद में आपकी बस पर। इसका कारण यह है कि आपकी बसों की स्थिति ठीक नहीं है। वह एक तरह की माल डिब्बा बनाई है, वह भी बिगड़ी हुई शक्लों में उनका रख-रखाव ठीक नहीं है, न शीट ठीक है, न बाडी ही ठीक है। आदमी के खड़े होने की जगह ठीक नहीं है। गाड़ियों के पावदान तक टूटे पड़े हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा मंत्री जी ने कहा, कि एक हजार बसें बेकार हालत में पड़ी है। यदि एक हजार बसें बेकार हालत में पड़ी है तो इनकी बहुत कीमत होती है, क्या यह आपके अधिकारियों का नाकारापन नहीं है? अगर यह बस सड़कों पर चलती होती तो कितनी आमदनी होती और यात्रियों में कितनी सुविधा होती।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं। बनारस में स्ट्रीट फील्ड रोड पर पीली कोठी के पास प्राईवेट बस अड्डा. कायम किया गया है। इसके पूर्व में एक बहुत बड़ा जामिया अस्पताल है और पश्चिम में नेशनल इण्टर कालेज तथा प्राइमरी स्कूल है। मान्यवर, सड़क पर जगह कम होने के कारण हर साल 2--4 मौतें होती है। इतनी घनी आबादी में बस अड्डा बनाने से सड़क जाम रहती है। हर समय यहां दुर्घटनायें होती है। मेरा अनुरोध है कि इसका परीक्षण कराकर गोल गड्डा सरकारी बस अड्डा के पीछे बहुत जमीन पड़ी है। उसको लेकर वहां पर प्राइवेट बस अड्डा बनाया जाय। मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्राइवेट लोग बसें चला रहे हैं वह मुनाफे में चला रहे हैं उनकी कोठियां और महल बन रहे हैं, और जो बसें सरकार चलाती हैं तो 50 सौ करोड़ के घाटे पर चलाती है। यह कैसी व्यवस्था है? मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे अधिकारियों व कर्मचारियों में ईमान की कमी आ गई है। अगर हम यह समझे कि रोडवेज की संपत्ति देश की चीज जनता की अमानत है, इसकी रक्षा करना है, क्षति नहीं होने देना है, तो यह परिवहन निगम घाटे में नहीं मुनाफे में चल सकता है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय परिवहन मंत्रीजी द्वारा रखे गये बजट का हृदय से समर्थन करता हूं और विरोधी दल के कटौती क प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी की असहाय स्थिति में सहायता करने के लिये कुछ उपयोगी सुझाव देने के लिये मैं खड़ा हो गया हूं। मान्यवर, सामान्य धारणा हो गयी है कि परिवहन विभाग भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है और जो आय इसमें होनी चाहिये वह नहीं हो रही है बल्कि घाटा हो रहा है। अच्छा होगा कि इस घाटे की स्थिति को समाप्त करने के लिये और इसको लाभ में बदलने के लिये अब इसकी जांच पड़ताल और छानबीन का काम मंत्री जी और बड़े अफसरों तक सीमित न होकर एक कमेटी द्वारा यह काम हो तो हो सकता है कि कुछ लाभ हो। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी अपनी इस स्थिति से उभरने के लिये आज जब जवाब देंगे तो इसकी घोषणा करेंगे। मैं चाहूंगा कि मा0 सदस्यों की एक कमेटी बना दें जो छान बीन करे। मान्यवर, पता नहीं मंत्री जी ने मंत्री होने के पहले विधायक की स्थिति से बसों में सफर किया है कि नहीं। यदि किया हो तो क्या यह बात गलत है कि बसों में कोई भी शीशा इस प्रकार का नहीं है जिसको बन्द कर दिया जाय किन्तु जो आटोमेटिक खुल न जाय

[श्री मोतीलाल देहलवी---]

इससे हर मौसम में तकलीफ होती है। मान्यवर, दुख है कि अधिकारी लोग मा0 मंत्री जी का आदेश न तो मानते हैं और न स्वयं वह भ्रष्टाचार को दूर करने का या उपयोगी काम करने का काम ही करते हैं। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि कानपुर में मेरे सामने एक अधिकारी ने कहा कि मंत्री लोगों के साथ [***] रहते हैं।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी इन्होंने कहा कि [***] तो यह शब्द अशोभनीय और असंसदीय है जिनको कार्यवाही में नहीं आना चाहिये।

श्री हरदेव---

मान्यवर, मुझे जानकारी है कि इनके साथ 13-13 [***] रहते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

मा0 देहलवी ने किसी अधिकारी की बात को कोट किया है मंत्री जी का काम है कि वह देखें कि ऐसा कौन अधिकारी है।

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

मान्यवर, सारे मंत्री पर आरोप लगाये हैं, उन्होंने कहा है कि मंत्रियों के साथ [***] रहते हैं, इसलिये इन शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाय।

(व्यवधान)

श्री हरदेव---

माननीया, आप इन शब्दों को कार्यवाही से निकलवा दें। मंत्री जी के साथ हम विधायक लोग रहते हैं, सब लोग रहते हैं। इन शब्दों को निकलवा दीजिये।

श्री खैरुल बशर---

मान्यवर, इन कानों का इलाज कराइये, सुन नहीं पा रहे हैं।

श्री मोती लाल देहलवी---

मैं अपने शब्दों को फिर दोहरा रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता---

आप रिपीट मत कीजिये। आवश्यकता होगी तो प्रोसीडिंग निकाल कर देख लिया जायगा।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, इस संबंध में मैंने दूसरे दिन मंत्री जी को लिखकर दिया कि आपके अफसर मंत्रियों के बारे में यह राय रखते हैं और सार्वजनकि रुप से ऐसी बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी उस पर कोई एक्शन लेंगे। लेकिन मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया कि अफसर के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है।

श्री अधिष्ठाता---

आप थोड़े से समय में ऐसे विचार व्यक्त करें जिससे सरकार कुछ कार्य कर सके।

नोटः--[***] यह अंश माननीय अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मोती लाल देहलवी––

मान्यवर, कानपुर के एक विधायक हैं, वह मंत्री भी रहे हैं उनको यह पता नहीं है कि कलक्टरगंज बस स्टेशन की क्या हालत है। वहां पर कोई जगह नहीं है ट्रैफिक जाम हो जाता है और गिरहकट आ जाते हैं। ड्राइवर बाहर से गाड़ी ले जाते हैं उनको गाड़ी खड़ी करने और निकालने में असुविधा होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इस पर अवश्य ध्यान देंगे। मान्यवर, माननीय मंत्री जी न आदश किया था कांग्रेस क संसद सदस्य का एक पत्रआया था, कि बिल्हौर जिला कानपुर के अन्तर्गत तमाम बसें रुकेंगीं। इस संबंध में मैंने प्रश्न दिया था और मंत्री जी ने जवाब दिया कि बसें रुक रही हैं। लेकिन बसें रुकती नहीं हैं और इनके आदेश की अवहेलना हो रही है। मैंने आग्रह किया था और प्रश्न किया था कि रावतपुर में लंबे रूट की गाड़ियां रुकती हैं और बुकिंग होती है। वहां पर जो बाबू बिचारे हैं उनके बैठने के लिये जगह नहीं है। एक चाय की दूकान में जाड़े बरसात गर्मी लू में बचारे बैठकर काम करते हैं। तो उस जगह पर कृपा करके एक छांवदार, बैठने की जगह बनवा दें ताकि आमदनी न घटे और लोगों को सुविधा रहे। लेकिन मुझे दुख है कि मंत्रीजी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। मै मंत्री जी से पुनः आग्रह करुंगा कि कानपुर में जो बस स्टेशन की दुर्दशा हो रही है कभी जाकर देख लें, मैं नहीं कहता कि मेरी बात मान लें। कानपुर के जो विधायक हैं उनसे जानकारी कर लें। मैं अपेक्षा करुंगा कि जल्दी से जल्दी वहां पर अच्छा सा स्टेशन बना देंगे ताकि जनता को ट्राफिक की असुविधा और परेशानी न हो।

श्री अधिष्ठाता––

अब आप बैठें।

[समय 2 बजकर 25 मिनट]

श्री रिजवानुर्रहमान किदवाई––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय परिवहन मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत किये हुए बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। साथ ही, मुझे कुछ बातों की तरफ उनका ध्यान भी आकर्षित कराना है। बाराबंकी में एक डिपो खुल गयी है बस की जिसमें जितनी भी बसें हैं, उन सब बसों का यह हाल है कि कोई भी बस अपने निश्चित समय से नहीं चलती है, इसलिये कि वे ठीक हालत में नहीं हैं। डिपो खोल देने के बाद न तो कोई मेकेनिक है न कोई पंक्चर बनाने व ला है। एक बस में अगर हवा निकल जाती है तो बाराबंकी बस स्टेशन पर जो डिपो आपने खोली है, उसमें हवा भरने की व्यवस्था तक नहीं है न स्टशन पर बस के खड़े होने की कोई जगह है। मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी जल्द से जल्द बाराबंकी में कोई बस स्टेशन बनाने की कृपा करें।

मान्यवर, यह भी देखने में आ रहा है कि जितनी भी बसें चलती है "ओवरलोड" होकर चलती हैं। कोई भी बस ऐसी नहीं है जिसमें यात्री को ढंग से जगह मिल जाय। इसके दो कारण है। एक तो यह है कि ज्यादातर पब्लिक वाले जाकर बस पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और विण्डों पर टिकट नहीं लेते हैं। मैं यह चाहूंगा कि यह जो कण्डक्टर क पास बुक रहती है, और वह टिकट बस में ही बना देता है, यह व्यवस्था खत्म करके सीधे विण्डो से टिकट बनाने की ही व्यवस्था की जाय जिससे कि जितनी जगह है, उतने ही पैसेंजर उसमें बैठें। होता यह कि जो लोग विण्डो से टिकट लेकर आते हैं, उनको बैठने की जगह नहीं मिलती है और जो लोग पहले से ही बस में बैठे रहते हैं, वे सारी जगह घेर लेते हैं और बाद में उनका टिकट भी आराम से बन जाता है।

एक बात और है जो कि हमारे क्षेत्र की है। हमारे यहां बड़े गांव से एक बस चलती थी, जो कि अब बन्द हो गयी है, उससे लोगों को बड़ी सुविधा थी। मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसको चलाने की व्यवस्था करें।

[श्री रिजवानुर्रहमान किदवाई—]

आपकी जो बसें हैं, वह स्टेशन्स पर रुकती नहीं है । बाराबंकी बस स्टशन पर मेन रुट की बसें—गोरखपुर, बलिया, बस्ती आदि की कोई भी बस स्टेशन से नहीं जाती है । इसकी व्यवस्था करें और जांच करें कि बसें वहां क्यों नहीं रुकती हैं । लखनऊ, बिस्वां चले जांय कोई बस रुकती नहीं है । पुनः इसके साथ ही म बजट का समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं ।

*श्री राम स्वरुप वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने अवसर दिया । इस छोट से समय में मैं दो बातें कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ हो या न हो, उन्हें ध्यान होगा कि यहां वर्ष 1981 में उन्होंने आश्वास दिया था कि जून, 1981में "समय सारिणी" बन जायगी और लम्बे रूट की बसें चलने लगेंगीं और कोशिश यह होगी कि वे बसें कैन्सिल न हों और समय पर चलें । आज तक "समय सारिणी" नहीं बन पायी है । इससे ज्यादा विभाग की अयोग्यता क्या होगी । अब भी वे आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है कि "समय सारिणी" के हिसाब से बसें चलवा सकेंगे । हर आदमी को पता होना चाहिये कि मुख्य रुट की बसें कहां से कहां तक जानी हैं । तो उससे ज्यादा यात्रियों का आवागमन होगा । लेकिन माननीय मंत्री जी यह काम नहीं कर सके । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जिससे कि माननीय सदस्य निश्चित रूप से समझ जायेंगे कि इस विभाग में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है नहीं । 1972 में जो पहले सड़क परिवहन था तब वेतन और भत्ते पर 35,30,616 रु0 खर्च हुए थे और 1980 में 4,71,15,262 रु0 वेतन भत्ते पर खर्च हुए हैं यानी 13 गुना वेतन-भत्ता बढ़ गया है । इसी तरह से स्पेयर पार्ट्स और ट्यूब टायर्स पर 1972 में खर्चा हुआ था 78,36,566 रु0 और इसी पर अब खर्चा आया है 10,00,69,431 रु0 यानी 8 सालों में साढ़े तेरह गुना खर्च बढ़ गया । तो मान्यवर, यह दो बातें संक्षेप में मैंने कह दी हैं । आपका इतना बड़ा विभाग है जिसने साढ़े तेरह गुना खर्च कर दिया है और व्यवस्था के नाम पर स्थाई बसों का मूल्य दूना बढ़ा है परन्तु आपका व्यय साढ़े तेरह गुना ज्यादा हुआ है । तो यह भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है तो और क्या हो रहा है ?

मैं समाजवादी व्यवस्था पर पुनः बल देता हूं । समाजवादी व्यवस्था लाइये जिससे कि आपका हर कर्मचारी चाहे ड्राइवर हो या चाहे बस का कंडक्टर हो, वह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से कर सकेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

माननीया अधिष्ठाता महोदया, अपने जो मुझे परिवहन के बजट पर बोलने का समय दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और आपका आभारी हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपनी बात को एक मिनट में समाप्त करें ।

डाक्टर श्री बृज किशोर मिश्र—

मैं एक मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं और कहता हूं कि :—"यहां हाल बेकसी का कोई सुनेगा क्या बेकल, यहां सब के सब फरिश्ते हैं, कोई आदमी नहीं ।"

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कहां प्रगति हुयी है इसके लिये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे विपक्ष के सम्मानित सदस्यों ने जिन अशोभनीय शब्दों का प्रयोग अपने भाषणों में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया है या कर रहे थे उसे सुन कर बड़ा दुख हुआ। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर आक्षेप करना यह बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिये।

मान्यवर, 1947 में सड़क परिवहन निगम का जन्म हुआ और इतने तक पहुंच गया यह तरक्की के रास्ते पर अग्रसर होता रहा। यह बात नहीं है कि कोई अधिकारी ईमानदार नहीं है। इसमें कुछ अधिकारी बहुत अच्छे हैं और ईमानदार हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा पडरौना एक व्यवसायिक नगरी है जो कि कानपुर, इलाहाबाद तथा वाराणसी से जुड़ती है। मान्यवर, हमारे मंत्री जी समाजवादी हैं और प्रगतिशील विचारधारा के हैं। मैं चाहूंगा कि निश्चित रुप से वहां पर बस की व्यवस्था की जाय जिससे कि व्यापारियों को तथा साधारण यात्रियों को आवागमन की सुख सुविधा उपलब्ध हो सके। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्यों से मैं क्षमा चाहूंगी क्योंकि ढ़ाई बज गया है, समय कम है। इसलिये कटौती का प्रस्ताव जिस सदस्य ने पेश किया है, उनको मैं बोलने के लिये समय देती हूं।

श्री खैरुल बशर––

माननीया, मैं दो दिन से बराबर खड़ा हो रहा हूं पर मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता––

तो यहां पर आप संशोधन करा देते।

(व्यवधान के मध्य)

श्री मसरुर जाफरी––

केवल 2–3 सुझाव देना चाहता हूं। गोंडा के बारे में, यह पूर्वांचल का जिला है और पूर्वी प्रदेश के लोग ही इसे अपना नहीं मानते। जितनी खराब बसें वहां चलती हैं, गोरखपुर से उतरौला होते हुये, कोई रुकने की जगह नहीं है, इसलिये वहां एक स्टाप बना दिया जाये, तथा उतरौला बस स्टेशन में छोटा वर्कशाप खोल दिया जाय।

(व्यवधान)

जिन गरीबों ने टिकट ले लिये और बस छूट गई तो कम से कम उनका पैसा वापस करने की व्यवस्था करें। तीसरा सुझाव यह है कि एयरकंडीशन्ड बसों को निकाल दें क्योंकि एक बस जितने में आती है उतने में तीन साधारण बसें आ जायेंगी.....

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्रीमती पुष्पा चौहान––

मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे परिवहन मंत्री वीर बहादुर सिंह द्वारा प्रस्तुत, बड़ी सूझ-बूझ द्वारा बनाये गये बजट के विषय पर बोलने का अवसर दिया।

परिवहन विभाग की सेवाओं से राज्य के सभी भागों को विकास की ओर अग्रसर करने वाले इस बजट का मैं प्रबल समर्थन करती हूं, जोरदार समर्थन करती हूं। वक्त बहुत कम है और काफी लोग उस पर बोल चुके हैं। सिर्फ एक बात का जवाब देना चाहती हूं कि इस सत्ता

[श्रीमती पुष्पा चौहान—]

पक्ष की सरकार कोई आंधी के झोंके की तरह नहीं जो आता है और चला जाता है । इसे तो धरातल से गुजर कर जाना पड़ता है । मैं वह बात नहीं कहती इन लोगों की तरह कि कोई किताब ले आता है, तो कोई अखबार ले आता है, चाय पीते हुए पढ़ते हुए अखबार की कटिंग ले आता है कि फलाने मंत्री की फोटो है कि फलाने मंत्री का बयान है । माननीया सदस्या ने किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाया । मैं भी उस जनपद से हूं जहां के विरोधी दल के नेता हैं जो जहां बसों में खून बहे तो भी सोने के सिंहासन से उतर कर दस कदम नहीं चल सकते ।

श्रीमती गौरी देवी—

मैं सही आरोप लगायी हूं । कोई गलत नहीं । एक-एक कण्डक्टर की 5-5 हजार रुपये ले कर नियुक्ति हुई है । (व्यवधान) अगर मेरी बात गलत हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगी. . . .

(व्यवधान)

श्रीमती पुष्पा चौहान—

यह मैं किसी कागज से नहीं पढ़ रही हूं, आंखों देखी बात बतला रही हूं । भिन्न-भिन्न आरोप लगाये गये, दोषारोपण ऐसा करते हैं जैसे बच्चे साबुन के घोल से एक नली द्वारा रंगीन गुब्बारे बनाते हैं और खुश हो जाते हैं, यदि इनको अपनी आवाज में दम लाना हो तो इन्हें अपनी चलनी के 72 छेद बन्द करने होंगे । अन्त में मैं इसका समर्थन करती हूं ।

श्री खैरुल बशर—

सारे दल के लोग बोल चुके हैं और हमारे दल के एक भी लोग नहीं बोले, एक मिनट दे दें ।

श्री अधिष्ठाता—

इन लोगो के नाम हमारे पास थे, इन्हीं में से किसी को प्राथमिकता के आधार पर और किसी को बाद में अवसर दिया है । आप कृपया बैठें ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

माननीय अधिष्ठाता जी, दोनों पक्ष की ओर माननीय सदस्यों ने बहुत ही उपयोगी और बहुमूल्य सुझाव इस महत्वपूर्ण बजट पर दिये । मैं उनका आभारी हूं तथा लगभग बहुत से सदस्यों ने इस विभाग की दयनीय स्थिति और कुव्यवस्था को देखते हुये सुझाव दिये, अन्य लोग भी बोलना चाहते थे लेकिन समय कम था, इस महत्वपूर्ण बजट पर पूरा एक दिन चर्चा के लिये होना चाहियें परन्तु खेद है कि इतना कम समय मिला ।

मान्यवर, जनता पार्टी के शासन ने वर्ष 78-79 में एक करोड़ 13 लाख 5 हजार का शुद्ध लाभ हुआ था । जब से इनकी सरकार आयी है तब से घाटा ही घाटा हो रहा है । मंत्री जी को देखना चाहिये कि क्या इसमें कमी है और उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिये ।

जिला स्तर पर, मण्डल स्तर पर विधायकों और संसद सदस्यों की एक परिवहन सलाहकार समिति बनानी चाहिये जैसे अन्य विभागों में है । ये समितियां आप को सलाह देंगीं कि वहां क्या कठिनाइयां हैं, जो खराबियां हैं, उनको दूर करने में काम करेंगे ।

जब से यह सरकार आयी है, प्रजातंत्र की हर इकाई पर कुठाराघात किया है । पिछली सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों के लिये पर्वतीय यातायात समिति का गठन किया और जब से यह सरकार आयी इस प्रकार की किसी समिति का गठन नहीं किया गया है । समाजवाद की बात यह सरकार करती है परन्तु आज कुछ लोगों ने, कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने परिवहन में एकाधिकार

कायम कर दिया है । मेरा सुझाव है कि ऐसा कानून बनायें कि एक परिवार को एक से अधिक बस के परमिट न मिलें । जिनके पास अधिक संख्या में गाड़ियां हैं उन पर सीलिंग लगायेंगे । इन ट्रांसपोर्टर्स ने सारे परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार फैला दिया है । यदि आप समाजवाद की बात करते हैं तो प्रत्येक गरीब आदमी को अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लोगों को यह सुविधा मिलनी चाहिये कि सरकार द्वारा उन्हें बैंक से ऋण दिलाया जाये । बड़े खेद की बात है कि कोई गरीब आदमी बस, ट्रक खरीदना चाहता है उसे बैंक से ऋण नहीं दिया जा रहा है । कोटद्वार, गढ़वाल से हमारे पास खबर आयी है वहां स्टेट बैंक कह रहा कि 50 हजार रुपये फिक्स्ड डिपाजिट में जमा करिये पहले ।

(इस समय 2 बजकर 44 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

एक गरीब आदमी, एक मामूली ड्राइवर, उसकी क्या हैसियत है कि वह 50 हजार रु0 फिक्स डिपाजिट में जमा करे । इसका मतलब यह है कि एक गरीब आदमी बस खरीद ही नहीं सकता है । इसके लिये आपको प्राविधान करना चाहिये । माननीय वर्मा जी ने एक सुझाव दिया कि परिवहन निगम के प्रबन्ध में आपको वहां के सेवारत मजदूरों को समुचित प्रतिनिधित्व देना चाहिये । मंत्री जी ने घोषणा की है कि उन्होंने मजदूरों को प्रबन्ध व्यवस्था में प्रतिनिधित्व दिया है परन्तु उनका प्रतिशत बहुत कम है उनको समुचित अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और आपके विभाग में परमिट दिये जाने में बहुत धांधली होती है बहुत भ्रष्टाचार है उसके लिये यह सुझाव है कि प्राइवेट बसों की परमिट प्रणाली को खत्म करके राष्ट्रीय कृत मार्गों पर चलाने के लिये केवल रजिस्ट्रेशन ही अनिवार्य हो तो मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो यहां मा0 विधायकों ने परिवहन संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिये अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं उन पर अमल करें और इस व्यवस्था को ठीक करें । इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं । धन्यवाद ।

*श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, अभी जो सुझाव दोनों पक्षों से आये हैं इसमें बहुत से सुझाव हैं बहुत ही अच्छे हैं लेकिन मान्यवर, यह भी बात सही है और मैंने पहले भी कहा था कि परिवहन निगम की जो स्थिति है, हम खुद कहते हैं कि अभी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि होनी चाहिये । अभी हमारे पास 1000 गाड़ियां खराब हैं और 82-83 में हम एक हजार गाड़ियां खरीदकर इसको रिप्लेस करेंगे तब आपकी जो शिकायत है कि बस खराब हैं, टूटी हैं, तब आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा । मान्यवर, कोई चीज छूमंतर से नहीं हो सकती है, उसके लिये साधन जुटाने पड़ेंगे । जैसा कि मा0 सदस्यों ने अभी कहा कि जहां पर बस स्टेशन नहीं हैं वहां पर बस स्टेशन बनायें वहां पर मुसाफिरों के रहने की व्यवस्था की जाय, कैन्टीन ठीक रखी जाय तो यह व्यवस्था साथ ही साथ हम कर रहे हैं हम चाहते हैं कि साथ ही साथ डेवलपमेंट के काम को बढ़ाया जाय और हम उधर काफी बढ़ रहे हैं ।

मान्यवर, अभी कुंवर सिंह नेगी जी ने कई बातों की ओर इशारा किया कि विभाग में भ्रष्टाचार है तो मान्यवर, यह कौन कह सकता है कि कहां भ्रष्टाचार नहीं है लेकिन जो भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति हैं, कर्मचारी या अधिकारी हैं, जिस किसी को जब दोषी पाया जाता है तो किसी को छोड़ा नहीं जाता है । मैं यह भी कह सकता हूं कि जो मामले कई वर्षों तक रखे गये थे, उनकी फाइलें मंगाकर तमाम लोगों को और लगभग 200 अफसरों के खिलाफ ऐक्शन लिया गया । यह कोई आसान काम नहीं था । यह सख्ती की गई और कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि सख्ती नहीं की गई । अभी भी अगर किसी के प्रति कोई शिकायत मिलती है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री वीर बहादुर सिंह--]
और उसका दोष सिद्ध हो जाता है तो किसी को छोड़ा नहीं जाता है और यह कहने वाला कोई भी व्यक्ति या सदस्य हाउस में नहीं मिलेगा कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाती ।

मान्यवर, यह भी बात आई है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, मैंने पहले भी कहा था कि पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन के साधन रोड ट्रान्सपोर्ट के अलावा और कोई नहीं हैं, उसमें हमको सुधार करना है । वहां हमको देखना है कि वहां पर निगम की बसें चलाई जांय या प्राइवेट बसें चलाई जांय, कोई न कोई व्यवस्था करनी है । तो हम यह प्रयास कर रहें हैं कि जहां प्राइवेट ओनर्स हैं उनको भी चलाने का मौका दें । एक तरफ तो माननीय सदस्य कहते हैं कि प्राइवेट बसों में यात्रा करने में सुविधा मिलती है और दूसरी तरफ प्राइवेट बसों के संचालन पर पाबन्दी लगाने की बात भी करते हैं । तो ये दोनों बातें नहीं हो सकती । यह करना पड़ेगा कि हमारी जितनी क्षमता है, निगम के पास जितने रिसोर्सेज हैं उनको नेशनलाइज करके उनकी बसें चलावें लेकिन जहां ऐसा नहीं कर सकते वहां प्राइवेट ओनर्स को बस पर परमिट दें ताकि बसें आसानी से चलायी जा सकें । जैसे ट्रकों के लिये परमिट फ्री है उसी तरह से गत वर्ष बसों के लिये भी हमने फ्री कर दिया था लेकिन कोर्ट से स्टे होने के कारण वह काम ठीक से हो नहीं सका हम भी चाहते हैं कि जहां भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को खतम करने के लिये उसकी सारी जड़ों को ही समाप्त कर दिया जाय हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो सके और उस पर अमल किया जाय । जहां तक पहाड़ की बात है, मैं कोटद्वारा खुद गया था और मैंने वहां घोषणा की थी कि एक रिजनल वर्कशाप बनाया जायेगा । उस पर कार्यवाही शुरु हो गयी है और जमीन मिल जाने पर जल्द ही वर्कशाप बनवा दिया जायगा । यह सही है कि श्रीनगर में बद्रीनाथ जाने वाली बसों के लिये कोई डिपो होना चाहिये । इसका आदेश हो गया है और वर्कशाप बनते ही आपकी सारी शिकायतें दूर हो जायेगीं ।

पहाड़ के महत्व को देखते हुए हमने एक काम और किया है कि हम प्रदेश को चार रीजन में बांटने जा रहे हैं । जिससे सही ढंग से बसों का संचालन हो सके । इसके लिये पिथौरागढ़ में वर्कशाप हो तो ठीक से काम चल सकता है । जैसे रास्ते में कोई बस खराब हो जाय और वर्कशाप दूर हो तो बस को ठीक कराने में दिक्कत हो सकती है इसलिये हमने तय किया है कि परिवहन निगम के चार जोन होंगे । एक पूर्वी जोन, एक पश्चिमी जोन, एक मध्य जोन और एक पर्वतीय जोन । इस तरह चार जोन्स हो जाने से भ्रष्टाचार की जो शिकायतें आती हैं उनमें अधिक शिकायतें परचेज सम्बन्धी आती हैं । एक शिकायत यह कि नगर के लिये सामान परचेज करने में कमीशन लिया जाता है और उस पर किसी अधिकारी का कन्ट्रोल नहीं है । उस पर कन्ट्रोल करने के लिये केन्द्रीय क्रय समिति बना दी गयी है जिसमें 5 आफिसर्स रखे गये हैं । वे आफिसर्स एक साथ बैठ कर यह तय करेंगे कि कितना सामान खरीदना है और कहां से खरीदना है, रेट कन्ट्रेक्ट पर खरीदना है या कोटेशन पर खरीदना है । जो सही प्रासेस समझा जायेगा, उसके अनुसार काम होगा । इसकी व्यवस्था हो गयी है । उसी तरह से विकेन्द्रीकरण भी किया गया है । जोनल स्तर पर जो बड़े बड़े आफिसर हैं उनकी एक कमेटी बना दी गयी है एक साथ बैठकर किसी सामान को खरीदने का फैसला करेंगे जिससे जेनुइन सामान ही खरीदा जा सके । अथराइज्ड कम्पनी का जेनुइन सामान ही खरीदा जायगा । लोकल परचेज नहीं किया जायगा जिसकी बराबर शिकायत भ्रटाचार के नाम पर आती रही है । जो भी पार्ट खरीदा जायगा वह जेनुइन ही खरीदा जायगा । इसके साथ ही साथ टूल बाक्स खरीदने जा रहे हैं और इसे कम्पलसरी कर दिया जायगा कि हर गाड़ी में एक टूल बाक्स रहे जिससे गाड़ियों में कोई छोटी सी खराबी होने पर उसे वहां ठीक कर लिया जा सकेगा । साथ ही साथ अब हम यह भी करने जा रहे हैं कि स्टेपनी गाड़ियों में रखी रहे । अभी तक कोई स्टेपनी नहीं होने से गाड़ी को खड़ी कर देना पड़ता था लेकिन अब भविष्य में हर नयी गाड़ी में स्टेपनी रखी जाया करेगी ताकि रास्ते में खराब होने पर उसे बनाया जा सके ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी, आप अपनी गाड़ियों में स्टूल बाक्स रखेंगे या टूल्स बाक्स ? (हंसी)

श्री वीर बहादुर सिंह---

टूल्स बाक्स ।

एक चीज आप ने कही कि ट्रक आपरेटरों ने हड़ताल का नोटिस दिया है । इसमें मान्यवर टैक्स तो नहीं बढ़ाया गया है । इस में जो सन् 74 में गुड्स टैक्स था उस को बढ़ाया गया था । सन 74 से डीजल के दाम बढ़ गये हैं और सब चीजों के दाम बढ़ गये हैं । इन की बहुत जगहों से मांग थी कि ट्रकों का किराया बढ़ाया जाय जो 50 प्रतिशत बढ़ाया गया । जो हड़ताल की नोटिस थी वह पहली तारीख से हड़ताल होनी थी । कहीं दिखाई नहीं दे रही है । कोई कहीं ऐसी बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी, समय का ख्याल रखें ।

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, समय बहुत कम है, बहुत से माननीय सदस्यों ने बातें कहीं मैं एक दो बातें उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं ।

हमारे माननीय हरिवंश सहाय जी ने कहा था सेवा नियमावली नहीं बनी । परिवहन निगम के कर्मचारियों की सेवा नियमावली बन चुकी है ।

माननीय नश्तर साहब ने कहा कि कानपुर में बसों की व्यवस्था ठीक की जाय । बात सही है । कानपुर की आबादी बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए वहां बसों की कमी है । मैं कोशिश करूंगा कि बसें बढ़ाई जायं ।

माननीय वर्मा जी ने बस स्टेशन बनाने के लिए कहा । कलक्टरगंज में बस स्टेशन बनाया जायगा ।

अभी हमारे चौहान साहब ने कहा मैनपुरी में डिपो नहीं है । मैनपुरी में हमारा जिले का हेडक्वार्टर है । वहां पर डिपो अवश्य बनाया जायगा । साथ ही साथ यह भी कहा गया कि वहां पर फर्जी टिकटों का कारनामा हो चुका है । बात सही है । इस के पहले 77–78, 78–79 में फर्जी टिकटों की बहुत शिकायतें आईं । इसका कारण यह था कि एक प्राइवेट पार्टी इनको छपवाती थी । डुप्लीकेट टिकट छापे जाते थे । इन को हमने विदड्रा कर लिया । हमने यह किया है कि केवल सरकारी प्रेस में टिकट छापे जायं । सरकारी प्रेस में टिकट छप रहे हैं, प्राइवेट प्रेस में नहीं छप रहे हैं ।

मान्यवर, और ऐसी बहुत सही बातें हैं । अब मैं क्या कहूं । एक हमारी सदस्या गौरी देवी हैं । यह तो बार-बार छोटी मोटी सिफारिश ले कर चौबीसों घंटे आती हैं । इस चीज को हम पसन्द नहीं करते हैं । नहीं आना चाहिये । हमारे जिले की हैं । मैं उन का सम्मान करता हूं । महिला हैं । लेकिन वह ऐसा काम करती हैं जो किसी आदमी को पसन्द नहीं आता है । यह बार-बार उल्टी सीधी बातें करती हैं । धन्धा हो गया है कुछ न कुछ बात कहें । किसी ने कुछ लिख कर दे दिया तो उसको यहां पर पढ़ देती हैं ।

श्रीमती गौरी देवी --

माननीय मंत्री जी सुनिये, व्यवस्था का प्रश्न है..... (शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, मा0 सदस्या ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है ।

श्रीमती गौरी देवी--

माननीय मंत्री जी आप सच बतायें दो साल के अन्दर हमने आप से कौन से अधिकारी की सिफारिश की है और हमारा कौन काम किया है । आज तक हमने परिवहन विभाग से, सिंचाई विभाग से, आप से एक काम नहीं लिया । एक बस स्टेशन आप ने नहीं खुलवाया । आप ने बड़ा आरोप लगाया है.....

श्री उपाध्यक्ष--

विराजें । यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है.....

श्रीमती गौरी देवी--

सुन लीजिये....

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं चाहता तो नहीं था (व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिये...

श्री उपाध्यक्ष --

आप अपनी बात किस नियम....

श्री रियासत हुसैन --

मैं आप से निवेदन कर रहा हूं । मैं एक पार्टी का इस माननीय सदन के अन्दर नेता हूं । इस आधार पर मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि गोरखपुर से ही माननीय मंत्री जी और गोरखपुर से ही माननीया सदस्या आती हैं इनका आपस में क्या है इससे हमारा कोई मतलब नहीं (व्यवधान)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र --

मान्यवर, इस सम्बन्ध में कोई बात करने का औचित्य नहीं है जब यह विषय खतम हो गया है । (व्यवधान) ।

श्री रियासत हुसैन---

माननीय मंत्री जी ने एक शब्द कहा जिस पर मुझे आपत्ति है उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य का यह धंधा है इस चीज पर मुझे आपत्ति है माननीय मंत्री जी सीनियर हैं, सूझ-बूझ के आदमी हैं उनका यह नहीं कहना चाहिये । यह धंधा है इस पर मुझे घोर आपत्ति है इसको प्रोसीडिंग से निकाल देने की कृपा करें ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मेरा इसी संबंध में निवेदन सुन लें । जैसा हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं (व्यवधान)

श्रीमती गौरी देवी---

मान्यवर, मुझे सुन लें

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष --

आप विराजे माननीया ।

श्री रियासत हुसैन --

जो मैंने निवेदन किया था उस पर कोई व्यवस्था नहीं दी । मैंने तो सिर्फ एक बात पर आपत्ति जाहिर की थी गोरखपुर का उससे कोई ताल्लुक नहीं है यह इन दोनों का आपसी मामला होगा । लेकिन माननीय मंत्री जी के जुबान से एक शब्द निकला कि माननीया सदस्या का यह धंधा है यह आक्षेप है उस पर मुझे आपत्ति है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर आप मुझ से क्या व्यवस्था चाहते हैं ?

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमान्, यहां पर जो शब्द कहा उस पर आपत्ति है उसको निकाल दिया जाय । यह माननीय सदस्यों के ऊपर आक्षेप है अगर इसे कार्यवाही से नहीं निकालेंगे तो कोई भी मंत्री खड़ा होकर कह देगा । आज माननीय वीर बहादुर सिंह जी ने कहा कल किसी भी सदस्य के लिए दूसरे मंत्री जी कह सकते हैं कि यह माननीय सदस्य का धंधा है । तो किसी माननीय सदस्य का प्रोफेसन नहीं है जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने आपत्ति उठाई है, अक्षेपात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिये ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैं मान्यवर, किसी की आलोचना करना पसन्द नहीं करता और न आलोचना में विश्वास करता हूं । जो बात यहां कही जाय सही कही जाय झूठे-मूठे किसी पर आरोप न लगाये जायं और न मैं किसी पर झूठे-मूठे आरोप लगाना पसन्द करता हूं । अगर कोई बात एक पैसा भी सही हो तो कहनी चाहिये मगर उटपटांग बात कर देना और बाहर जाकर कहना कोई अच्छा काम नहीं है । हाऊस की स्वच्छ परम्परा बनाने की जरूरत है । हाऊस में सही बात कहें और सुझाव दें . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय परिवहन मंत्री जी अपनी बात समाप्त करें ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, परिवहन निगम में हर संभव सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है । मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आज देश के जाने माने 4, 5 निगमों में अपना स्थान रखता है । अभी हम दौरे में गये थे रिजर्व बैंक के चेयरमैन ने कहा कि उ0 प्र0 परिवहन निगम को पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं आती है उसकी फाइनेन्शियल पोजीशन साउंड है चाहे सरकारी पैसा हो, चाहे बैंक का पैसा हो वह अदा करता है ।

मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ,जिन जिन माननीय सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिये हैं, उन सबका मैं शुक्रगुजार हूं और इन सुझावों को लेकर मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में परिवहन विभाग और ठीक तरह से काम करे और वह मजबूत बने । हम हर तरह से इस दिशा में प्रयास करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

क्या नेगी जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री कुवर सिंह नेगी—

नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31—परिवहन विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31--परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,05,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 46---वन विभाग

वन एवं जन्तु उद्यान राज्य मंत्री (श्री निर्भय नारायण सिंह)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46---वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,56,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(सदन में सदस्यों के उठने से अव्यवस्था पैदा होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

यहां वन विभाग का बजट अवश्य पेश हो रहा है, लेकिन माननीय सदस्य यहां वन का सीन क्रियेट न करें । हाउस को चलने दें ।

श्री कुबेर भण्डारी---

मान्यवर, इन लोगों की छुट्टी हो गई ।

श्री निर्भय नारायण सिंह---

मान्यवर, वन विभाग के बारे में केवल आधा दिन का समय दिया गया है । इसमें हमें दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी और उनके सुझाव मिलेंगे । ऐसी स्थिति में मैं अपनी बात बहुत थोड़े में कहकर उनके बहुमूल्य विचारों से अवगत होना चाहता हूं इस समय वनों का महत्व तो सब पहचानने लगे हैं, खास तौर से उद्योग विभाग, गृह उद्योग में, जलाने की लकड़ी के रूप में और पर्यावरण की दृष्टि से भी लोग इसकी उपयोगिता समझने लगे हैं । राष्ट्रीय नीति के अनुकूल हमारी प्रदेश सरकार अपना आचरण करते हुए बहुत तेजी से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वृक्षारोपण और वन सुरक्षा के तमाम अच्छे-अच्छे उपाय कर रही है । इस सम्बन्ध में मैं अपने माननीय सदस्यों का थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । भूमि संरक्षण, जल संरक्षण, शुद्ध वायु तथा वायु प्रदूषण को कम करने के लिये अपनी राष्ट्रीय नीति के अनुसार हमारी जो जरूरतें हैं, उनकी पूर्ति की दिशा में हम बहुत तेजी से अग्रसर हो रहे हैं ।

यह हमारे लिए गौरव की बात है कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम भारत सरकार का उत्तर-प्रदेश सरकार ने अपनाया है, उसमें एक सूत्री हमारे वन विभाग का भी है । राष्ट्रीय नीति के अनुसार जो नीति निर्धारित की गई है---पर्यावरण के लिए और आवश्यक चीजों की उपलब्धता के लिए वनों का क्या रेश्यो होना चाहिए, उसमें उपलब्ध भूमि का एक तिहाई वन होना चाहिये यानी एक-तिहाई में वन होने चाहिये, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में यह नहीं हो पाया है, केवल एक बटा छः भाग में ही यह है । इसमें भी सब में जंगल नहीं हैं और बहुत सी जमीन पठार है और यह ऐसी है जिसमें पेड़ नहीं हैं । अब हम इस सब में पेड़ रखने के लिए कोशिश में हैं । जितनी हमारी योजनायें हैं, उसमें से डेढ़ प्रतिशत हम वनों के विकास पर खर्च कर रहे हैं । 81-82 वर्ष के लिए राज्य आयोजनागत एवं केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित वानिकी एवं भू-क्षरण योजनाओं पर 22 करोड़ रुपये के व्यय का हमारा अनुमान है और 82-83 में 29 करोड़ से

अधिक रुपया रखा गया है और इस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पौधों का आरोपण कर रहे हैं। औद्योगिक प्रजातियों का वृक्षारोपण कर रहे हैं जो कि दियासलाई, प्लाईवुड पैकिंग और खेलकूद का सामान तैयार हो सके। इस साल हिमालय में भूमि संरक्षण तथा पर्यावरण संतुलन हेतु संवेदनशील क्षेत्रों में हरे वृक्षों के कटान के नियंत्रण पर विशेष बल दिया जा रहा है। हमने 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हरे पेड़ों का व्यवसायिक कटान बन्द कर दिया है। इसके लिए एक एक्सपर्टस की कमेटी का गठन किया गया है। जिसकी रिपोर्ट आने तक कटाई के लिय रोक लगा दी गयी ताकि हमारे पेड़ बच सकें और वातावरण में शुद्धता बनाये रखें।

इसी प्रकार से हम मैदानी क्षेत्र में सामाजिक वानिकी में हम बहुत जोरों से वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। इस साल हमें 20 करोड़ पौधों को जिन्दा रखना है। इसके लिये प्रत्येक ब्लाक में 2 हैक्टेयर भूमि पौधशाला (नर्सरी) हेतु उपलब्ध कराने के आदेश दिये जा चुके हैं। हमारा लक्ष्य 30 करोड़ पौधे लगाने का है ताकि उनको लगाकर 20 करोड़ पौधों को हम जिन्दा रखकर जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। केवल पेड़ लगाने से ही काम नहीं चलेगा उनकी सुरक्षा और उनको नष्ट होने से बचाने के लिए हमारा कर्तव्य है और इसके लिए भी काफी कार्यक्रम बनाये गये हैं। यह सौभाग्य की बात है कि हमारे यहां पर नौकरियों में 75 प्रतिशत प्रोमोशन्स से हैं। इसमें नीचे के लोगों को रखा गया है या नीचे से प्रोमोशन्स कर दिये गये हैं। विभागीय प्रोन्नति में या उनको स्थायी करने में यह देखा जाता है कि किस क क्षेत्र में पिछले सालों म जा प्लान्टेशन हुआ है, वह सुरक्षित है और अगर कम प्लान्टेशन देखने को मिलेगा तो उसको ध्यान में रखा जायेगा।

वनों की सुरक्षा के लिए हम बहुत चिन्तित हैं और बढ़ती हुई अबादी के प्रेशर और अवैध कटान को रोकने के लिए हमने वर्ष 1981–82 तक कुल 31 सशस्त्र दल स्वीकृत किये थे और इस वर्ष 6 नये सशस्त्र गश्ती सुरक्षा दल बनाने का प्रस्ताव है। और जिस प्रकार से पुलिस में किसी जवान के मरने पर उसके परिवार वालों को सुविधा दी जाती है, उसी प्रकार से हम यहां भी कर रहे हैं कि यदि किसी की ड्युटी पर रहते हुए कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी भी उसी प्रकार से सहायता करेंगे।

जो हमारे वाइल्ड लाइफ के गार्ड हैं उनको पहले ही हम बन्दूक दे चुके हैं। इसी प्रकार से जो अवैध कटान को रोकने के लिए अलग से सशस्त्र दल हम तैयार कर रहे हैं और उनमें बढ़ोत्तरी करने का भी प्रस्ताव है। आज तक के जो हमारे सशस्त्र लोग हैं उनके रखने के जो परिणाम हमारे सामने आये हैं वे बहुत अच्छे हैं।

जहां तक वन्य जन्तु संरक्षण का प्रश्न है हमारे यहां पर घड़ियाल जाति लुप्त हो रही थी। इसके लिए हमने 800 घड़ियाल और मगर के बच्चों को कृत्रिम रूप से प्रजनन करवाकर पलवा रहे हैं। लगभग 677 घड़ियाल के बच्चों को चम्बल तथा गेरुदा नदियों तथा कार्बेट नेशनल पार्क स्थित गंगा नदी में छोड़ा जा चुका है। जो चीज हमारे यहां पर दुर्लभ हो रही है उसको बचाने में हम कामयाब रहे हैं। इसी तरह से बारासिंहा जो पूरी दुनिया में विलुप्त होने लगा है उनको बहुत हद तक हमने बचाया है।

हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक गांव में किस प्रजातियों के पेड़ लगाये जायं, उसके लिए सलाह ली जा रही है। हमने यह भी किया है कि हमारे जो नवयुवक गरीब हरिजन हैं, बरोजगार व्यक्ति हैं तथा भूमिहीन परिवार हैं, उनके द्वारा सड़कों के किनारे, बन्धों के किनारे और नहरों के किनारे वृक्षारोपण करा रहे हैं ताकि हमें पर्याप्त मात्रा में जलाने वाली लकड़ी और उद्योगों में काम आने वाली लकड़ी मिल सके। हम केवल काटने के लिये परमिट देंगे और काटने के बाद लकड़ी उन्हीं की हो जायेगी। इस समय वन विभाग का यह वन निगम बड़ जोरों से काम कर रहा है और हमारा प्रयास यह है कि हम फेसेज में सन् 84 तक इस

[श्री निर्भय नारायण सिंह—]
विभाग के सारे कामों को वन निगम द्वारा करायेंगे। इन वन निगम के कार्यों का रेजल्ट भी बढ़िया आ रहा है। हम फेसेज में एक-एक चीज को टेक ओवर करते जा रहे ह। यह बताते हुए भी मुझे हर्ष है कि हमारा यह वन निगम शुद्ध लाभ पर चल रहा है और हम इसको और भी कामर्शियालाइज्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने प्रदेश की आवश्यकताओं क अनुरूप, अपनी प्लानिंग के अनुसार हमारी सरकार वन विभाग के महत्व को समझती है और उसी के अनुसार भविष्य में कार्य करने जा रही है। चूंकि समय कम है, मैं अधिक न कह कर, माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने बहुमूल्य सुझावों से हमें लाभान्वित करें और इस बजट को पास करें।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46—वन विभाग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि को घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, वनों का हमारे राष्ट्रीय जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, यह बात कहना बिलकुल ऐसा हो गया है जैसे कि किसी भी छात्र से चाहे वह किसी कक्षा का हो, कृषि पर निबन्ध लिखन के लिये कहा जाये तो वह सबसे पहले यही लिखेगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की प्रधान मंत्री से लेकर आम नागरिक तक आज इस बात से चिन्तित है कि हमारे प्रदेश के अन्दर वनों का भारी पैमाने पर विनाश हो रहा है। मने प्रधान मन्त्री का नाम शुरू में ही इसलिये लिया है कि मैं दो बार माननीया प्रधान मंत्री से सन् 1981 में मिला हूं और मैंने उत्तर प्रदेश के वन विभाग के बारे में स्थिति से उनको अवगत कराया है (व्यवधान) और मैंने यह पाया कि इसके बारे में जितनी चिन्ता मुझको है उससे कई गुना ज्यादा चिन्ता इस देश की प्रधान मंत्री को है। लेकिन उत्तर प्रदेश का वन विभाग इस देश की प्रधान मन्त्री को कभी यह अवसर नहीं देगा कि वे अपनी नीति को इस विभाग में लागू करवा सकें।

मान्यवर, हमारी यह जो वन नीति है यह अंग्रेजों ने बनायी थी। उन्होंने वनों का पूरा-पूरा उपयोग अपने व्यवसायिक हितों के लिये किया था। आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल गयीं हैं, पर उनके अनुसार हमारी वन-नीति नहीं बदली, वह वही पुरानी चली आ रही है। मैं माननीय मंत्री जी के इरादों पर कतई शक नहीं करता। मुझे पूरा भरोसा है कि मंत्री जी इस प्रदेश की धरती के ऊपर से वनों का संरक्षण समाप्त न करने के लिए कटिबद्ध होंगे। लेकिन मंत्री जी को कुछ हो रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारा निवेदन सुनें, तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। आपके वनों का अधिकांश भाग पर्वतीय क्षेत्र में है और इस पर्वतीय क्षेत्र के वन विभाग के द्वारा अपनाई गयी नीतियों के अन्तर्गत आज जो स्थिति पैदा हो गयी है, उससे न केवल मैदानी अथवा पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले, बल्कि सम्पूर्ण देश के निवासियों को खतरा पैदा हो गया है। इन वनों को लगाने का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिये कि केवल थोड़े से लोगों को काम मिल जाय, इसलिये नहीं किया जाना चाहिये कि थोड़े से लोगों को पैसा मिल जाय। इन वनों को लगाने का काम इसलिये किया जाना चाहिये कि हमारा देश मजबूत हो। मान्यवर, देश की अर्थ-व्यवस्था मजबूत हो। मान्यवर, ये वन जो हैं, इनके द्वारा हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। अगर वन खत्म हो जायगा; तो जल समाप्त हो जायगा। हम यह बात कई वर्षों से कहते आ रहे हैं। लेकिन वन विभाग इस बात को नहीं मानता।

81 के अन्दर 50 लाख से ज्यादा पेड़ चीड़ के पर्वतीय क्षेत्र के 8 जिलों के अन्दर लीसा गढ़ान गलत नीतियों के कारण ढल गये। 50 लाख पेड़ जो ढले हैं, इनमें से लाखों पेड़ आज भी ऐसे हैं जिनकी निकासी यह सरकार, यह योग्यतम सरकार उत्तर प्रदेश की, नहीं कर सकती। इस सरकार ने आजकल एक नया आदेश निकाला है कि केवल वन निगम के द्वारा पेड़ों का

कटान किया जायगा और कोई नहीं करेगा। यह मेरी समझ में नहीं आता कि वन विकास निगम जिसका नाम दिया गया, उसका काम है केवल वृक्षों का कटान करना। इस तरह से यह कैसे विकास होगा। अनेक क्षत्र ऐसे हैं जहां से वन विकास निगम उन वृक्षों को ला नहीं सकता उनका ढुलान नहीं कर सकता। सहकारी संस्थायें कई बार आग्रह कर चुकी हैं, लेकिन उन सहकारी संस्थानों को आपका विभाग अनुमति नहीं देता कि वह उन पेड़ों को निकाले। आज श्रीमन् इन्हीं वनों के खत्म होने की वजह से इस प्रदेश के अन्दर बाढ़ आती है और वह बाढ़ सिर्फ यहां नहीं, वह दिल्ली को भी प्रभावित करती है, उत्तर प्रदेश से आगे जाकर बिहार को प्रभावित करती है और पूरा देश जो है डावाडोल हो जाता है। इन बाढ़ों के बाद रस्मीतौर पर सिंचाई मंत्री जी आ जाते हैं और वह कहते हैं कि इतना रुपया बाढ़ के बचाव के लिये दे दिया जाय, यदि सई का पुल बचाना है या ताजमहल बचाना है तो हिमालय में वनों को बचाना पड़ेगा, मेरा यह निश्चित मत है। हमारे पेड़ों के जो बड़े-बड़े जंगल हैं फूलों की घाटी है, वहां पर वन विभाग की ओर से गूजर भेजे जाते हैं। 15 हजार फीट की ऊंचाई पर जब चरान होता है, तो वहां पर भैंस जहां पर गोबर करती है, तो वनस्पति सूख जाती है और जब पानी बरसता है, जो वहां चलने वाला कंकड़ गिरता है, तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें 1 लाख किलो वाट की ताकत है। वन विभाग को बैठकर इस बारे में सोचना चाहिये। वह इसलिये नहीं सोच सकता कि आज भी वन विभाग के अन्दर निहित स्वार्थों का बहुत बड़ा जमाव है। वन विभाग पिछले 10 वर्षों से केवल यूकलिप्टस लगा रहा है। यह यूकलिप्टस किसके कहने से लगाया गया? यह किस विधायक ने कहा? यह भारत का पेड़ नहीं है यह बिड़ला ने कहा। यह वर्ल्ड बैंक ने कहा। हर जगह बिड़ला जी के चमचे रहते हैं। यह बिड़ला के चमचों ने कहा। आज कल जो बिन्दूखेड़ा में हो रहा है, वही सरकार की नाकाबिलियत है।

बिन्दुखेड़ा नैनीताल जिले में है। वन विभाग की जो रिपोर्ट है, कुमायूं मण्डल ननीताल में जो रिपोर्ट दी गई है उसके अनुसार मान्यवर, वर्ष 81 के अन्त तक 1 हजार 104 हेक्टेयर भूमि के पेड़ों को काटकर 1144 परिवारों के नाजायज ढंग से कब्जा कर लिया है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अतिक्रमणों की शुरूआत 1980 के पार्लियामेन्ट्री चुनावों के दौरान हुई थी। पार्लियामेन्ट का चुनाव पूरा होने के बाद एसेम्बली का चुनाव आ गया और यह उनको नहीं हटा पाये चूंकि जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 8-5-80 द्वारा निर्देश दिये गये थे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही विधान सभा चुनावों तक स्थगित रखी जाय। अब मान्यवर, डेढ़ हजार एकड़ भूमि पर गांव वालों ने कब्जा कर लिया। 100–100 और 2–2 सौ साल के दरख्तों को वे काट रहे हैं। वहां पर खेती करने की योजना बन रही है और खेती की जाने लगी है। पेड़ों पर लाउड स्पीकर लगा है जब वन विभाग का कोई आदमी जाता है तो उसको जान बचाना मुश्किल हो जाता है। लाउड स्पीकर से कहा जाता है कि कोई आ गया है।

मान्यवर, बिन्दुखेड़ा में ग्रामवासियों के अतिक्रमण के पड़ोस में बिड़ला की सेन्चूरी मिल बन रही है। मान्यवर, उस मिल के लिये 5 सौ एकड़ में बड़े बड़े पेड़ों को काट कर उनको दिया जा रहा है। मैं मिल के अन्दर गया और चीफ इंजीनियर से पूछा कि आपके मकान जो मजदूरों के लिये कर्मचारियों के लिये बनेंगे उनका नक्शा कैसा होगा, कितनी मंजिल के बनेंगे? तो चीफ इंजीनियर ने मान्यवर बताया कि इसके बारे में अभी मैं कुछ डिटेल नहीं दे सकता हूं। क्योंकि अभी इस विषय में सोचा नहीं है कि कितने मजदूर रहेंगे। मान्यवर, मैंने कहा कि एक मंजिल के बजाय आप 5 और 6 मंजिल के भवन क्यों नहीं बनाते ताकि कुछ जमीन बच सके। मान्यवर, वन विभाग द्वारा वनों की हजामत हो रही है। मान्यवर, एक

[विद्यासागर नौटियाल---]

मोटर सड़क है उसके दाहिने हाथ की तरफ गांव वाले पेड़ों को काट रहे हैं और बायें हाथ की तरफ जंगलात विभाग स्वयं काट रहा है ताकि बिडला को दे सके। मान्यवर, मंत्री जी इस देश की अर्थव्यवस्था को कहां ले जा रहे हैं ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग के अन्दर नये-नये डिवीजन और सर्किल खोले जा रहे हैं। इस पर मुझे घोर आपत्ति है। टेहरी और उत्तरकाशी कई-कई हजार मिलों तक फैले हुए हैं। कई हजार किलोमीटर तक वन विभाग की जीपें दौड़ती रहती हैं, भूमि संरक्षण विभाग जो वन विभाग का है उसकी जीपें दौड़ती है, सिविल एवं सोशल डिवीजन की जीपें दौड़ती है। मान्यवर, वन विभाग के फारेस्ट गार्ड की व्यवस्था की गई है। 32-32 मील तक के एरिये में एक फायर गार्ड रहता है। गांव धुत्तू से भीलांगना तक 30 मील के एरिये में केवल एक फारेस्ट गार्ड है। मन्यवर, यहां पर जो वन सम्पदा की दुर्लभ प्रजातियां हैं उनको वन विभाग खो रहा है। इनकी रक्षा श्रीमन् कौन कर रहा है ? गांव की जनता गांव के रहने वाले लोग डरते हैं कि कोई कागज न चला जाय उनके खिलाफ। मेरा निवेदन है कि वन विभाग छोटे-छोटे डिवीजन बनाये जायें और जो एक रेगुलर डिवीजन है उसमें छोटे-छोटे कर्मचारियों को बढ़ायें।

श्रीमन् स्थित यह है कि गौरव के साथ आपने घोषणा की कि वन विभाग 127 साल पुराना विभाग है। मैं कहना चाहता हूं कि 127 वर्ष पहले जो फारेस्ट गार्ड थे, उनके बाद उनका लड़का और फिर पोता फारेस्ट गार्ड होते चले गये लेकिन वह 6 महीने तनख्वाह पाता है और 6 महीने नहीं पाता जबकि सेवा 12 महीने करता है। वह छोटा आदमी है, लेकिन आप उसको रिगुलर क्यों नहीं करते हैं। इसी तरह वन विभाग में कई कर्मचारी ऐसे हैं जो आजीवन सेवा आपकी करते हैं लेकिन वह अस्थायी रहते हैं। इन्होंने आजकल नया आदेश निकाल दिया। अधीनस्थ वन सेवा कर्मचारी नियमावली के अनुसार वन रक्षक हाई स्कूल विज्ञान और कृषि से होना चाहिये और जुलाई 1980 से पूर्व जो काम करते आ रहे हैं, 5-7 साल पुराने हैं, उन पर भी यह लागू हो रहा है। तो भविष्य के लिये लागू हो जाय, लेकिन जो लम्बे समय से काम करते आ रहे हैं क्या उन पर भी लागू करेंगे, तो यह ठीक नहीं है। मान्यवर, जैसे रेन्जर्स एक श्रेणी हैं जो उस पद से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उनके रास्ते बन्द हैं, इसलिये उनकी रुचि समाप्त हो जाती है और इंसेंटिव समाप्त होने से आगे जब वह अनुभवी होते हैं तो काम करने के बजाय काम नहीं करते हैं, इसलिये निवेदन है कि इनके बारे में आप सोचें।

मान्यवर, वाइल्ड लाइफ वारडेन देहरादून में रहते हैं। टेहरी और उत्तरकाशी में वन प्राणियों पर क्या हो रहा है, उसको हम कैसे बतायें। सरकारी अधिकारियों के गिरोह संगठित होकर रक्षित सेन्चुरी में जाकर पशुओं का विनाश करने लगे हैं। हमारे यहां जब तक आप इन वन जन्तुओं और पशुओं की रक्षा नहीं करेंगे तब तक कोई सुधार नहीं होगा।

मान्यवर, हमारे यहां जड़ी बूटियां उगाई जा सकती हैं जिसके बारे में वन विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिये निवेदन है कि 2,000 फीट से 10,000 फीट तथा उससे भी ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहां अलग-अलग ऊंचाई के क्षेत्रों में यदि वन औषधियों और उनकी प्रजातियों को उगाना आप शुरू करेंगे, तो हमारे दिल में एक बात होगी कि आपने हमारी एक बात को मान लिया। श्रीमन, पंत नगर यूनिवर्सिटी ने चम्बा रानोचौरी में अपना कैम्पस खोला है, उनको 2,000 फुट से लेकर 5,500 फुट का क्षेत्र शोध कार्य के लिये चाहिये। लेकिन उनको जमीन देने में वन विभाग आज तक हीला हवाली करता आ रहा है। पूरा पहाड़ खाली है और सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च करके इस संस्था खोला है जो पहाड़ में किस तरह की प्रजातियां होती हैं उसमें रिसर्च करे जिससे देश और प्रदेश को फायदा हो। किन्तु उनको जमीन देने में वन विभाग हीला हवाली और ढील कर रहा है, जिससे अभी तक जमीन नहीं मिल सकी है।

मान्यवर, समय कम है इसलिये मैं मांग करता हूं कि सरकार अगले 10 वर्षों के लिये वनों का कटान पूरी तरह से रोके और एक बार धरती को आराम दे। 10 साल के अन्दर जो आपका नुकसान होगा, प्रधान मंत्री जी कहती हैं कि वनों को न काटे जाने से जो राजस्व की हानि होगी केन्द्रीय सरकार उसको पूरा करने के लिये तैयार है। लेकिन प्रधान मंत्री जी केवल खजाने की पूर्ति कर सकती हैं, अधिकारियों की जेब की पूर्ति नहीं कर सकती हैं। तो मैं यह मांग करता हूं कि 10 साल के लिये आप वनों के कटान पर प्रतिबन्ध लगा दें और जो हमारे नदी नाले हैं उन सबसे बिजली पैदा करने के लिये लघु जल विद्युत योजनायें बड़े पैमाने पर चालू की जायं। तो मान्यवर, मैं इस समय यह चाहूंगा कि अन्य माननीय सदस्यों के विचारों को सुनूं। अन्त में एक छोटी सी कविता और उसका अनुवाद सुनाना चाहता हूं--

मोर दैन विद न्यू डिजायर्स
फार व्हेयर वी यूज्ड टू बिल्ड एन्ड लव
इज नो मैन्स हैन्ड एण्ड ओनली,
घोस्ट कैन लिव बिटवीन टू फायर्स।

मान्यवर, इसका अनुवाद इस तरह से है--
तो फिर बढ चलें नई हविश के साथ
चूंकि वह धरती जहां करते थे हम प्यार और निर्माण,
बदल गयी, बन गयी मात्र एक श्मशान,
और केवल बस पायेंगे प्रेत अग्नि की दो लपटों के बीच।

मैं अपनी ओर से यह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री राम कुमार भार्गव---

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद है कि आपने बोलने का मौका दिया। मैं मंत्री जी द्वारा रखे गये इस बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सर्वप्रथम तो मैं बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश सरकार को और मंत्री जी को और कर्मचारियों को कि वन विभाग जो कि आम जनता की जरूरतों से जुड़ा हुआ है और महत्वपूर्ण विभाग है इस विभाग में आम जनता का फिर से विश्वास जागृत हुआ है। यह जो बजट रखा गया है यह अपने आप में सम्पूर्ण है। मैं सामाजिक वानिकी के बारे में कहना चाहता हूं कि क्योंकि मेरा इलाका मैदानी है वहां पर सामाजिक वानिकी की योजना है। वृक्षारोपण कार्यक्रम तो और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे नेता स्वर्गीय संजय गांधी के 4 सूत्री कार्यक्रम में एक कार्यक्रम वृक्षारोपण का था। यह सामाजिक वानिकी की योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से चालू की गयी थी। यह योजना सही योजना थी कि 8 करोड़ जनता जो मैदानी क्षेत्र में रहती है उस जनता को वन विभाग के द्वारा कुछ मिलना था। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में सतत रोजगार हो सकता है वहां पर कुटीर उद्योगों को हम बढ़ावा दे सकते हैं और ग्रामीण अंचल की आर्थिक व्यवस्था हम इस योजना से सुदृढ़ कर सकते हैं।

इस बजट के पृष्ठ 23 पर सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने की बात कही गयी है। मैं निवेदन करूंगा कि इस योजना में हमें उन विभागों का योगदान लेना चाहिये जहां-जहां नयी सड़कें बन रही हैं। इन सड़कों के बनाते वक्त ही दोनों तरफ पेड़ लगाये जायं। पेज 25 पर नगर में प्रदूषण दूर करने वाली बात की गयी जो औद्योगीकरण के कारण और बड़ी-बड़ी मिलें लगने से प्रदूषण हो रहा है और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम से प्रदूषण दूर करने की बात कही गयी है। मैं आपके द्वारा इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आजकल जो वृक्षों की कटाई हो रही है उसमें एक तो चीज यह है कि इसका लाइसेंस कई व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है और दूसरा मुद्दा यह है कि यह कटाई सक्षम व्यक्तियों द्वारा की जाती है या

[श्री राम कुमार भार्गव--]

जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है या जिन पर प्रशासन का वश नहीं चलता है उनके द्वारा अवैध कटाई की जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके मन में खौफ नहीं है। अगर बिना लाइसेंस के काटते हुए कोई पकड़ा जाता है तो कंपाउंडिंग केस में 100 रुपये के अन्दर जुर्माना हो जाता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि फूड और सिविल सप्लाईज विभाग में, जहां मिलावट की सजा 6 महीने तक कैद और 1000 रु0 जुर्माना है, उसी तरह से अगर कोई दो वृक्ष भी बिना इजाजत के कटवाता है तो उसकी भी वही सजा मुकर्रर कर दी जाय। "कम्पाउंडिंग केस" की व्यवस्था को खत्म होना चाहिये। इसके बजाय 6 महीने की कैद और 1000 रु0 जुर्माने की व्यवस्था करें।

इस विभाग पर थोड़ा बोझा भी है और लक्ष्य भी काफी ऊपर है। श्रीमती गांधी ने 20 करोड़ वृक्ष लगाने का जो कार्यक्रम बनाया है, तो 13 करोड़ वृक्ष "सामाजिक वानिकी" के मैदान में ही लगाने हैं। इतना बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, केवल 24 करोड़ का बजट है, वह पूर्ण नहीं है। फिर भी ध्येय यह होना चाहिये कि जो आपकी योजना है, जहां पर गलत ढंग से पैसा खर्च हो रहा है उसे रोकें, जैसे फिल्म विभाग में तीन-तीन मूवी कैमरे हैं। बड़े-बड़े जो अधिकारीगण, राजनीतिक लोग सपरिवार वहां जंगल में मंगल करने के लिये जाते थे और उनके मूवी कैमरे से जो फोटो लिये जाते थे, वे फिल्म कलकत्ता लेबोरेटरी में चली जाती है ठीक होने के लिये। कलकत्ता से जब वे लौटकर आते थे तो रिजेक्ट दिखा देते थ, यानी रिजेक्ट करके वे उन सम्बन्धित अधिकारियों के पास पहुंच जाते थे और पैसे का दुरुपयोग इसके कारण होता था। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि या तो वे फोटो फेंक दी जायं या उनका पैसा लेकर तब दी जायं। डी0 एफ0 ओ0 के बारे में कहना है कि उसके एकाउण्ट्स की कभी-कभी "सरप्राइज चेकिंग" कर लिया करिये।

वन्य जन्तुओं की रक्षा करना एक सर्वोपरि लक्ष्य है। मगर उन किसानों की तरफ भी ध्यान आकर्षित कराता हूं, जिनकी रोजी-रोटी खेत और खलिहान होता है, जो कि वन्य जन्तुओं द्वारा अक्सर नष्ट कर दिया जाता है। उसकी तरफ भी आप ध्यान दीजिये, मुआवजा दीजिये।

इस बजट का जो भी पैसा है, आपके ही ध्येय और लक्ष्य पर खर्च होगा, यह मुझे विश्वास है मन्त्री जी पर। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

(समय 3 बजकर 44 मिनट)

श्री रियासत हुसैन--

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को और कोई बधाई दूं न दूं एक बात की बधाई जरूर दूंगा कि.....

श्री उपाध्यक्ष--

एक अर्ज है, समय कम है। वैसे नेताओं को समय ज्यादा दिया जाता है, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा।

श्री रियासत हुसैन--

ठीक है मान्यवर, मैं 5 मिनट में समाप्त कर दूंगा।

तो मै मा0 मुख्य मन्त्री जी को एक बात की बधाई जरूर दूंगा कि उन्होंने वनों की रक्षा के लिये बड़ा अच्छा मन्त्री चुना है, जो "निर्भय" भी हैं, "नारायण" भी ह "सिंह" भी हैं। अब यह इनके ऊपर है कि यह गीदड़ से शेर तक की रक्षा कर पायेंगे या नहीं, यह तो भविष्य ही बतलायेगा।

आज मंत्री जी ने कहा कि 1/3 वनों की जरूरत है और 1/6 हैं। कमी काहे से पूरी कर रहे ह, कमी पूरी कर रहे हैं "यूक्लिप्टिस" से। मेरी समझ में बात नहीं आयी। अगर आबोहवा को ही ठीक करना है,हरियाली को ही फलाना है, तो आप लोगों की जो सत्ता पार्टी है, जैसी बेहयाई की कमर आपने बांधी है, अगर "बेहया" घास को ही लगवा दिया जाय तो एक ही साल में सब हरा-हरा हो जाय और जलकुंडरी घास लगवा दीजिये सारे तालाबों में तो सब जगह हरा ही हरा हो जायेगा। दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि क्या आप यही समझते हैं कि वनों के साथ उसकी सम्पत्ति की क्या कीमत है और इसको बढ़ाना पड़ेगा। सागौन एक स्टैण्डर्ड लकड़ी है, चीड़ और देवदार की कीमत होती है। क्या आपने यह सोचा है कि आपके वनों की सम्पत्ति साल, सागौन, देवदार, चीड़ सबकी पहले के मुकाबले में 600 टाइम्स बढ़ गयी है। परन्तु इनके पेड़ कहीं नहीं लगाये जा रहे हैं। इससे मुझे सन्देह होता है कि इस प्रदेश में 1957-58 में बिड़ला जी ने एक फैक्टरी खोलने की बात की थी कागज और पट्ठों की, तो उन्हें यूकिलिप्टस की लकड़ी की इसके लिये जरूरत थी। उस समय प्रति पेड़ यूकिलिप्टस का डेढ़ रुपये के हिसाब से बिकता था। तो जितने पेड़ यूकिलिप्टस के उस समय अवेलेबिल थे, वह दे दिये गये। फिर उन्होंने कलकुलेट किया कि जितने पेड़ अवेलेबिल हैं यू0 पी0 में उससे कारखाने को कितने दिन चलायेंगे। तो पता चला कि इससे तो डेढ़ साल तक ही चल पायेगा। तो कहीं ऐसा न हो कि यूकिलिप्टस की कमी के कारण बिड़ला जी का कारखाना रुक जाय तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यूकिलिप्टस के वन लगाये जा रहे हैं। इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है कि कहीं शीशम के, सागौन के, चीड़ के पेड़ जिससे कि लासा बनता है और काफी आमदनी का जरिया है, उसे आप क्यों नहीं लगवाते हैं, केवल यूकिलिप्टस की ओर ही आपका ध्यान क्यों है ?

अभी कल ही की बात मैं बताना चाहता हूं मुरादाबाद की कि वहां पर एक मीटिंग हो रही थी तो उसमें एक प्रश्न यह भी उठा कि यह बड़ी भ्रमात्मक रिपोर्ट है कि यूकिलिप्टस पानी को सोख लेता है। तो इसका उत्तर दिया गया कि आस्ट्रेलिया का यूकिलिप्टस पानी को सोख लेता है, यहां का नहीं, यह वन विभाग वालों का कहना था। फिर मैंने वन विभाग वालों से पूछा कि क्या आपको इसकी सही जानकारी है कि यूकिलिप्टस पानी को सोखता है या नहीं क्योंकि यह तो किसानों के लिये घबराहट की बात हो गयी है कि जब यूकिलिप्टस एक सूत पानी जमीन का सोख लेगा तो फिर क्या होगा। कल ही मैंने वन विभाग वालों से इस बात को पूछा तो वह बता नहीं सके कि सही पोजीशन क्या है। उन्होंने कहा कि हमने पंत नगर यूनिवर्सिटी को लिखा है, जब वहां से उनका उत्तर आ जायेगा तभी सही पोजीशन बता सकेंगे। तो मान्यवर, यह हालत है कि सही पोजीशन का तो पता ही नहीं है।

श्रीमन्, मैं फिर कहता हूं कि आपने वन के ऊपर देसी आम के बाग कटाने की परमीशन दे दी है लेकिन यह बात नहीं की कि आपको स्टैण्डर्ड एरियाज के अन्दर आपने उन पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली है कि वन विभाग की जिम्मेदारी यह भी है कि परमिटों के आधार पर जब वे उस एरिया के बागान कटवायेंगे तो फिर उसमें समय से पेड़ लगाने की जिम्मेदारी भी उसी कर्मचारी या अधिकारी की होगी। उसकी जिम्मेदारी किसी पर लायें। जब आप परमिट देते हैं कटवाने का तो उसको लगवाने की भी जिम्मेदारी दीजिये। यह जिम्मेदारी आपके विभाग के आदमियों को डालनी चाहिए।

एक बात और कहूंगा कि ग्राम सभाओं में भी कुछ प्लाट्स होने हैं। आपने सड़कों के किनारे दे दिया ठीक है लेकिन कोशिश कीजिए कि वहां लगे। जैसे कि इमारतों आदि में इस्तेमाल हो रहा है तो वह न हो। मिसाल के तौर पर बलिया में ही एक गांव है बछईपुर उसके अन्दर जो जमीन है वहां हरिजन हैं, गिरे हुए लोग हैं,गरीब लोग हैं तो आप यह मत बताइये कि जहां भी आप चाहें वहां की जमीन को ले लें। जहां आप देखिए कि लोगों की आवश्यकता है तो उस जमीन को मत लीजिए। लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर आप

[श्री रियासत हुसैन—]

इसको करें अगर वह जमीन बचती है तो जरूर आप उसको लीजिए। श्रीमन्, यह मैंने एक-दो सुझाव दिये हैं और मुझे आशा है कि मंत्री जी वन का वैल्यूएशन बढ़ाने की बात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नौटियाल जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं वन विभाग के अनुदानों का समर्थन करने और कुछ सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं पर्वतीय क्षेत्र का रहन वाला हूं। पर्वतीय क्षेत्र वनों से आच्छादित है। इस प्रदेश में जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 68 प्रतिशत जंगल पहाड़ों में है और सिर्फ 7 प्रतिशत मैदानों में बताया गया है, आपकी किताबों में लिखा है कि मदानों में है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां का हर एक गांव वनों से घिरा हुआ है और वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति वनों पर ही आधारित है। म एक बार जब कमेटी का चेयरमैन था तो स्वर्गीय गोविन्द बल्लभ पंत केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्री थे तो मैंने कहा कि उस काम को करने से पहले उनका आशीर्वाद ले लिया जाय तो मैंने जब उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि पहाड़ की आर्थिक स्थिति वनों पर आधारित है। यह सेन्टेन्स उन्होंने कहा, वह रिपोर्ट में भी अंकित है।

मान्यवर, हम चाहते हैं कि वनों का कटान कम हो और खास तौर से ऊंचे पहाड़ों का कटान बिल्कुल रोक दिया जाय। ऊंची जगहों पर कटान के कारण इरोजन होने का बराबर खतरा पैदा होता रहता है और उससे खाली पहाड़ों के लोगों को ही नहीं बल्कि मदानी इलाके के लोगों को भी जैसे गोरखपुर, देवरिया और पूर्वी जिलों के जो हमारे भाई हैं उनको अच्छी तरह से इसका अनुभव है। इसलिए मेरा कहना है कि पेड़ों का कटान रोकना चाहिये लेकिन एक बात और म आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वनों का विकास हो। वन अधिक हो। वन नीति के मुताबिक पूरे प्रदेश में पेड़ अधिक लगें। यह वन पहाड़ी क्षेत्रों में 60 प्रतिशत और 20 प्रतिशत मदानी क्षेत्रों में होना चाहिये, लेकिन अभी तक उस दिशा में जो प्रयास हो रहा है आगे चलकर सम्भव है कि उसमें कामयाबी मिले। वहां के गांवों के विकास में वनों का अवरोध नहीं होना चाहिए। गांवों के विकास को आगे बढ़ाने में वन विभाग को मदद करनी चाहिये।

आज कल जो सड़कों की स्वीकृति हुई है अगर सड़कें वहां पर बन गई हैं या बन रही हैं, बिजली की लाइन या तो बन गई है या बन रही है, अगर नहर निकालने की बात है तो जब तक नहर वन से होकर नहीं निकालेंगे तब तक गांव पानी नहीं आ सकता है और सड़क भी तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक वन के अन्दर होकर वह दूसरी जगह के लिये न जाय। इसी तरह से बिजली के तारों की लाइन है, या और जो विकास के काम है जिनसे तररकी होती है, वे काम तो होने चाहियें। और आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे भारत सरकार से कह कि इन कामों में सुविधा मिल ताकि लोगों को यह न लगे कि हम बनों के अन्दर सदियों से रहते हुए वन का रक्षा करते आये हैं और उन्हीं से हमारी रोजी-रोटी भी चलती है, वे रुष्ट न हो जायं। कई बार ऐसे आन्दोलन बड़े हुए हैं। तो इस प्रश्न के ऊपर जरूर विचार होना चाहिये ताकि विकास के काम जो कम से कम वन से होकर बनाये जाते हैं या सड़कें बनायी जाती ह या बिजली की लाइन लगती है वह नहीं हो सकेगा। इस पर वन विभाग को सुविधा देनी चाहिय।

अब मैं कुछ सुझाव वन विभाग द्वारा जो बनीकरण का काम हो रहा है, उस संबंध में देना चाहता हूं। अभी हाल ही में 20—21 फरवरी को नैनीताल गया था। दौरे पर गया तो वहां पर मुझे कुछ नर्सरीज को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां पर जो मजदूर काम करते हैं उनकी मिनिमम वेज ऐक्ट के मुताबिक मजदूरी मिलती है। महिला को 5 रुपये, पुरुष को

6 रुपये। इसी तरह का मुझे वहां के सारे मजदूरों ने बतलाया और फारेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी भी जो मेरे साथ में थे, उन्होंने भी यही बतलाया। लेकिन एक बात है कि ये मजदूर 15 दिन और एक महीने के लिये नहीं हैं बल्कि 15–15 और 20–20 सालों से हैं। एक आदमी चोरगलिया में मुझे मिला जिसने बतलाया कि मैं 81 वर्ष का हूं और मुझे यहीं पर इसी नर्सरी में काम करते हुए 30–35 वर्ष हो गये। तो ऐसे काम करने वालों को जरूर सुविधा मिलनी चाहिये। उनके बच्चे भी उनके साथ ही रहते हैं लेकिन उनके बच्चों की शिक्षा के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। उनके लिये मूविंग स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे उनके बच्चे पढ़ सकें और हमेशा उसी काम को न करें। एक आदमी मिला जिसने कहा कि मेरे दो भाई यहीं मजदूरी करते करते मर गये और मुझ भी यहां मजदूरी करते-करते मरने की आशा है। उनके अन्दर इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिये। वहां उनके रहने के लिये फारेस्ट डिपार्टमेंट ने छोटी-छोटी जो झोपड़ियां बनवा दी हैं लेकिन उनको रहन के लिये अच्छी जगह होनी चाहिये। प्राइवट दूकानों स उनको आटा 2 रुपय किलो, चावल ढाई रुपये किलो, चीनी 8 रुपये किलो और 6 रुपये किलो दाल मिलती है। वहां की यह स्थिति है। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वहां कंट्रोल की दूकानें होनी चाहिय। जब सारे प्रदेश के गांवों में हम कंट्रोल का सामान देते हैं, मिट्टी का तेल देते हैं, चीनी देते हैं, तो जो बनों क अन्दर रहने वाले मजदूर हैं उनको भी इस व्यवस्था से लाभ पहुंचाया जा सकता है। ताकि ऐसा न हो कि जो मजदूरी उनको मिलती है वह सारी की सारी दूकानदार ही ले ल। अगर एसी व्यवस्था कर दी जाय तो व भी अपनी मजदूरी में से बचा कर पूंजी उनके पास हो जाय और वे कोई दूसरा काम करना चाह तो उस काम को करने की सुविधा उनको मिलनी चाहिये।

उनके लिये वहां चिकित्सा की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिये वहां मूविंग डिस्पेंसरीज होनी चाहिये ताकि कहीं तत्काल आवश्यकता पड़ने पर उनकी वहां चिकित्सा हो सके। जितने दिनों बीमार होते हैं उतने दिनों की मजदूरी मिलन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है लेकिन जो सालों से काम कर रहे हैं उनको कुछ न कुछ चिकित्सा की सुविधा सरकार की ओर से उनको मिलनी चाहिये आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे इस चीज को भी देख।

श्रम संविदा का भी जिक्र किया गया है। पहाड़ों में भी कुछ श्रम संविदा सहकारी समिति बनी है। श्रम संविदा को कुछ काम मिलता है। वन निगम द्वारा जो काम बड़े-बड़े होते हैं उनका मुनाफा जो होता है वह जन हित में लगाया जाता है। जनता के लाभ के लिये लेकिन वन निगम छोटे-छोटे ठेके देता है। मैंने दो-तीन लाट जाकर देखे। मजदूरों की क्या स्थिति है। उन्होंन कहा हम तो 15 आदमी मिलकर ढुलाई का काम करते हैं, ट्रकों में लादते है, ट्रकों से नीचे उतारते है और जो कुछ हमको मिलता है उसे आपस में बांट लेते है। इसी तरह से कटान वालों की बात है। वन निगम ऐसे लोगों के काम का अनुमान लगा ले कि इस वर्ष कितने लोगों को रखा जाय, कितने ढुलाई में भर्ती किये जायं, कितने कटान में भर्ती किये जायं। इस तरह से मजदूरों की ट्रेनिंग भी हो जायगी। मंत्री जी ऐसा मेरा सुझाव है। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से ठेकेदारी प्रथा जिसे सरकार ने पिछली दिनों खत्म किया वह ठेकेदारी प्रथा छोटे-छोटे ठेकों में न बंटे उसको हम दूसरी तरह से काम में लायें और मजदूरी का ठीक तरह से वितरण हो। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

मैं एक दो सुझाव और आप के सम्मुख रखना चाहता हूं। मुझे क्षमा कीजिएगा कि मैं थोड़ा अधिक समय ले रहा हूं।

लीसा निकालने से पेड़ कमजोर हो जाता है। गत गर्मियों में बहुत बड़ा तूफान चला और उस तूफान से लाखों पेड़ गिर गये। वे पेड़ अभी तक ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। वन निगम व्यवस्था नहीं कर पाता। कुछ श्रम संविदा सहकारी समितियां वह काम करना चाहती हैं कुछ को तो वन विभाग के अधिकारियों ने काम दिया है और वे काम कर रही हैं

[श्री बल्देव सिंह आर्य---]

लेकिन और सहकारी समितियां वैसी ही पड़ी हुई हैं। सहकारी आन्दोलन भी सरकार ने चलाया है। हमने चलाया है। उसको भी जिन्दा रखने की आवश्यकता है।

अन्त में एक बात यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और मैं वन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वन विभाग के अधिकारियों का स्टैन्डर्ड जो पहले कुछ वर्षों में मैंने देखा था वह आज भी ज्यों का त्यों है। अधिकाश अधिकारियों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। बहुत निष्ठा से काम करत हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं।

तो माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में जो बात कहीं हैं उन पर अमल करने की आवश्यकता है और कुछ सुझाव जो मेरे दिये हैं उन पर सहानुभूति के साथ विचार करने की कृपा करें, यह मेरा उनमें अनुरोध है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने वन विभाग पर बोलने का मौका दिया।

मान्यवर, वन सम्पदा राष्ट्र की, प्रदेश की, आय पर बहुत अच्छा असर डालती है। हम देखते हैंकि आज वनों का कटान बड़ी तेजी से हो रहा है। साथ ही साथ सरकार ने सामाजिक वानिकी चला रखी उसमें तो हम इस राय के हैं कि गांवों में और जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं या सरकारी विद्यालय हैं उनकी जो भूमि है उस पर वृक्ष लगाय जा रह हैं। लेकिन, मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो सड़कें पहले बनायी जा चुकी हैं और जिनको आपने लिया है इन पर छोटे-छोटे पौधे आप लगवा रहे हैं गरमी का मौसम आयेगा उनको पानी देना पड़ेगा तो कहीं भी सड़कों के किनारे आपकी तरफ से अभी तक उन पौधों को जीवित रखने के लिये पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। साथ ही साथ, उपाध्यक्ष जी, जहां-जहां वन चौकियां खोली गयी हैं देखने में यह आ रहा है कि ये लोग नाजायज ढंग से लकड़ी लादने की अव्यवस्था पैदा करके परेशान कर रहे हैं इतना ही नहीं मान्यवर, मेरे क्षेत्र की बात है आप भी जानते हैं कि लड़कियों की शादी के समय आम के वृक्षों की डालियां काट कर पीड़े बनाते हैं। तो जहां वन कर्मियों का किसी के साथ मनमुटाव होता है और वह डाली काटता है तो उसको पकड़ लिया जाता है और उसको परेशान किया जाता है। तो इसके लिये कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि ऐसे मौकों पर वे परेशान न करें।

मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि जंगल के आस-पास जो खेत होते हैं उनको जंगल के जानवर निकल कर नुकसान पहुंचाते हैं अगर कोई किसान रात में कहीं पर किसी जानवर हिरन को मार देता है और मर जाता है तो वन विभाग वाले उसके साथ निर्दयता का व्यवहार करते हैं और जंतु से बढ़ कर उस पर दंड लगाते हैं तो इसके लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये। अगर कोई किसान खेतों की रक्षा करने के लिये कहीं दो एक डालियां लगाता है तो उस पर वन विभाग जुर्माना लगा देता है। हमारे महाराजगंज में इस समय बड़ी परेशानी है। वन विभाग के आस-पास जो किसान रहते हैं उनको पी0 डी0 में पहले पेड़ दिये जाते थे उसे भी देन में परेशान किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब नहीं दिया जाता है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

पहले दिया जाता था। जो जंगल के जंतु हैं विशेष तौर पर हमारे यहां महाराजगंज क्षेत्र में, तिनकुनियां, मघबालिया, चौक, पकड़ी फरेंदा आदि जगहों में काफी इनसे परेशानी बढ़ गयी है। उनके लिये विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था होनी चाहिये जिससे खेतों को नुकसान न हो।

इसी तरह से टांडिया मजदूर जो जंगल लगाते हैं उनका कोई इंतजाम नहीं है। उनके आवास की व्यवस्था नहीं है। मैंने वन विभाग वालों से कहा था उनके रहने का इंतजाम होना चाहिये वह कहते हैं कि यह एक जगह नहीं रहते हैं। एक जगह पेड़ लगाते हैं फिर कुछ सालों बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए उनके घर उनके कंधों पर रहते हैं, उनकी दवादारू का प्रबंध होना चाहिये। उनको घर बनाने के लिये लकड़ी मिलनी चाहिये। तो उन टांडिया मजदूरों की घर द्वार की कोई व्यवस्था होनी चाहिये। यह मांग बहुत दिनों से चली आ रही है। टांडिया मजदूर जिसमें हरिजन और दूसरी जनजातिक लोग हैं उनका एक समूह बन जाता उनके लिए माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि कोई व्यवस्था कर दें।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 24, 25 नवम्बर, 81 को हमारे पकड़ी रेंज में एक रावत जो महराजगंज का थानेदार रहा है उसका लड़का कैप्टन है, उसने अपनी बंदूक से हिरनी को मारा जो गर्भिणी थी उसको जो जुर्माना किया गया वह 11 सौ रु0 मात्र किया गया। मुझे पता है कि जब कोई इस प्रकार से जानवर मारता है जो नियमानुसार उस पर राइफल और जो सामग्री प्रयोग होते हैं के मूल्य के बराबर जुर्माना होता है। जिसे जुर्माना लगाना था, उसने इस मामले को समाप्त करवा दिया। अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले एक प्रश्न के द्वारा इस बात की जानकारी की। तो जो इनके स्टेट मिनिस्टर हैं, उनको फोटो के साथ--जीप पर हिरनियों के लदे हुए, एक पत्र के साथ अभी शनिवार को भेजा है। मैं आपसे मांग करता हूं कि आप इस विषय में पूर्ण रूप से जांच करवा लें। जितने वन काटे जा रहे हैं, उनमे 500 रुपया फी लाट के दर से लोगों से लेते हैं और जो वृक्ष तूफान व तेज हवा से गिरते हैं, उनकी अवैध बिक्री कराते रहते हैं। अन्त में मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सुजान सिंह बुन्देला---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया है, उसके लिये अत्यन्त आभारी हूं। अभी जो बात आई है कि जंगलों का कटान रोका जाए, कुछ वर्षों के लिए, तो प्रत्येक वृक्ष या पौधे की एक आयु होती है, उसको जब पेड़ पार कर जाता है तोवह निश्चित रूप से खोखला होने लगता है, जिससे कुछ समय बाद तमाम पेड़ गिर जाते हैं, वह जड़ से बिलकुल गिर जाते हैं और उसका ठूठ तक नहीं रह जाता है। तो उस ठूठ की रक्षा के लिये आवश्यकता होती है कि उस वृक्ष को उसकी आयु के पहले काट दिया जाए, उसकी कल्चर कर देना चाहिए, ताकि वह ठूठ आगे समय में कल्ला दे सके और वह पुनः पेड़ के रूप में नये रूप में तैयार हो सके। वृक्षों का काटने से यदि रोक दिया गया तो पेड़ अपनी उम्र पार करके ठूठ सहित खोखले होकर गिर जाएंगे, जिससे वनों का बहुत बड़ा लास हो जाएगा।

आज रेवेन्यू का सवाल नहीं है, प्रश्न केवल इतना है कि वनों की कैसे रक्षा की जाय जैसा वन मंत्री जी ने कहा है बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए वनों का ह्रास हो रहा है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं--ललितपुर का महरौनी क्षेत्र, वह पूरा का पूरा वनों से आच्छादित है। विन्ध्याचल श्रेणी के ऊपर गांव के गांव जंगलों से घिरे हुए हैं। दुर्भाग्य से वह ललितपुर जिला सीमावर्ती मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। जितनी अवैध कटान हमारे यहां होती है, मध्य प्रदेश में जो कुछ विशेष [illegible] हैं, जिनका जातियां धन्धा ही अवैध कटान करने का होता है, यही लोग उसे करते हैं। यह लोग मध्य प्रदेश के गुना जिले के होते हैं जो जंगलों का अवैध कटान करके लकड़ी को बेतवा में बहाकर ले जाते हैं। यह हमारे जंगलों का बहुत ही नुकसान करते हैं। यही नहीं वह ऐसे आसामाजिक तत्व हैं, जिनको कंजड़ और बागड़ियां जातियों का कहा जाता है, जो समूह में और असलहों के साथ आते हैं। यह इनकी मदद से प्रदेश के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुजान सिंह बुन्देला--]

वन विभाग के अधिकारियों को डराते धमकाते हैं और उनको आतंकित करके बेतवा नदी में बहाकर ले जाते हैं। देखना यह है कि सरकार इस अवैध कटान को रोकने के लिये कैसे व्यवस्था करती है। इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि आपके जो अधिकारी और कर्मचारी इनको रोकने के लिये हैं उनके लिये आप असलहे की व्यवस्था करें, पुलिस की व्यवस्था तो है ही, जिससे वह उनका मुकाबला कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप उनको कैसे असलहा दिलाने की बात करते हैं ?

श्री सुजान सिंह बुन्देला--

बन्दूक से मतलब है।

श्री उपाध्यक्ष--

जो अनकामन पिस्तौल चलती है उससे आपका मतलब है।

श्री सुजान सिंह बुन्देला--

हमारे यहां विन्ध्याचल पर्वत के नीचे जमीन से पत्थर निकलते हैं, जिसको स्लैब स्टोन कहते हैं। हमारे यहां पत्थर की खदानें हैं, जो वन विभाग के अन्तर्गत आती हैं, अभी उनको लीज के द्वारा दिया जाता रहा है, अब नीलाम के द्वारा दिया जाता है।उनसे उस क्षेत्र के तमाम मजदूरों का भरण-पोषण होता है, आज उन खदानों की नीलामी प्रथा से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आप उन खदानों के लिए लीज प्रथा चालू कर दें, क्योंकि वहां के 10 हजार मजदूर जो केवल पत्थर की कारीगरी का काम जानते हैं, उनके भरण-पोषण का सवाल है। इससे न तो वन विभाग का कोई नुकसान है और न शासन को कोई लाभ है। और हमारे यहां पर मजदूरों को खदान के लीज खोल दिए जायं जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और उनके मकानों की समस्या हल हो सके।

हमारे यहां पर तेंदू पत्ती का काम वर्ष में केवल 1 माह के लिए होता है। वे शायद पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा नहीं होती है केवल हमारे यहां पर हुई तेंदु पत्ती की बात है। अगर इसकी व्यवस्था को हमारा वन निगम ठीक स कर दे तो वह फायदे में हो सकता है वरना बहुत लम्बे चौड़े घाटे में जा सकता है। एक बात मुझे यह कहनी है किस प्रकार से ठकेदारों के गोदाम वहां पर होते थे उसी प्रकार से जब तक हमारे कारपोरेशन के वहां पर गोदाम नहीं होंगे उनके रख रखाव का ठीक से प्रबन्ध नहीं होगा तब तक यह कार्य वन निगम को नहीं देना चाहिए अन्यथा शासन के राजस्व की क्षति हो जायेगी। इसलिये वन निगम को तेंदू पत्ती का काम देने के पूर्व चाहिए कि वह अपने गोदाम व ढुलाई का प्रबन्ध करने को कहा जाय।

हमारे यहां पर खैर के पेड़ों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। मैं चाहता हूं कि उन पर से यह प्रतिबन्ध न लगाया जाय जिससे वहां क लोगों को काम मिले और जो पेड़ खराब हो रहे हैं, वे खराब न हों।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करता हूं।

*श्री श्याम नारायण तिवारी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से जंगल में काम करने वाले उन कर्मचारियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिनका जीवन पूर्णत: जंगल पर ही निर्भर करता है। हमारे गोरखपुर डिवीजन में पूरे उत्तर प्रदेश के 3/4 हिस्सा टोंगिया मजदूरों की आबादी है। माननीय आर्य जी ने कहा कि उन्होंने नैनीताल की नर्सरियों को दखा है तो मैं निवेदन करूंगा कि.....

श्री उपाध्यक्ष--

आर्य जी उधर के हिस्से को भी देखे हैं।

श्री श्याम नारायण तिवारी--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि गोरखपुर डिवीजन में नर्सरियों में काम करने वाले उन मजदूरों की ओर भी शासन का ध्यान जाय जो पुश्त दर पुश्त जंगलों में काम करते आये हैं। उनकी छोटी-मोटी झोपड़ियां हैं, उनको वेतन के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। उनको जमीन क टुकड़ मिलते हैं और हर वर्ष वे कम और बेस कर दिए जाते हैं जंगल विभाग के अधिकारियों के अच्छ और बुरे मूड पर। उन मजदूरों को झोपड़ियां बनाने के लिये भी जो लकड़ी दी जाती है वह भी समय से नहीं दी जाती है। उनको इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है जिस प्रकार से सामंती लोगों के समय में उनकी प्रताड़ना होती थी। तो मेरी प्रार्थना है कि इन मजदूरों को भी श्रम संविदा के दायरे में लिया जाये। इसके अतिरिक्त उनकी झोपड़ियों के लिए कहीं पर जमीन देकर उन के स्थायी अवास क व्यवस्था की जाय दवा-दारू के लिये भी एक मौबाईल अस्पताल, जैसा कि आर्य जी ने कहा, कि व्यवस्था की जाय और उनको वोट देने का अधिकार भी दिया जाय जो इस समय नहीं है। वहां पर कोई दुकान भी नहीं है क्योंकि यह उनका रेवेन्यू विलेज नहीं है, इसलिए उनके लिए कोई निश्चित दुकान नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके लिए दुकान आदि क प्रबन्ध किया जाय और उनकी वोटर्स लिस्ट का प्रबन्ध किया जाय ताकि वे आम जनता की तरह से अपना जीवन बिता सकें। इन नरसरीज में काम करने वालों के लिये पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इस ओर भी सरकार को पानी की व्यवस्था करना चाहिये।

जंगल विभाग में काम करने वाले कुछ छोटे कर्मचारी ठूठ लिपिक अर्थात् स्टैम्प मोहर्रिर कहलाते हैं जिनको करीब 187 रुपये मासिक वेतन मिलता है। इनकी सेवायें नियमित नहीं हैं। जहां आप वन निगम को संगठित कर रहे हैं, वहां इनकी सर्विसेज को भी आप नियमित करें, इनकी सर्विसज की गारन्टी हो और दूसरे विभाग के कर्मचारियों को न लकर इस विभाग क कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर लना चाहिये।

इस विभाग से हमारे प्रदेश को रेवैन्यू भी अच्छा मिलता है। पहले इसको आमोद प्रमोद का, शिकारगाह की जगह समझा जाता था और उसी दृष्टि से इस वन विभाग को देखा जाता था। अब हमारी दृष्टि वैज्ञानिक हो गयी है और हम वैज्ञानिक दृष्टि से इसको देखने लग गये हैं। यह एक अच्छी बात है। पर जिनकी मेहनत के कारण हमको इतना रेवेन्यू मिलता है उन लोगों की तरफ हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। भूत की तरह से यदि भविष्य में भी इस विभाग को ठेकेदारों और बड़े बड़े लोगों के धनोपार्जन के लिये इस विभाग को समझा गया तो यह अच्छी बात न होगी। यह दुर्भाग्य की बात होगी। इसलिये नरसरी में काम करने वाले कर्मचारियों, मजदूरों और ठूठ लिपिकों की सर्विसेज नियमित करने आदि प्रश्नों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। अगर आप ऐसा नहीं करते को आपकी वैज्ञानिक दृष्टि वैज्ञानिक नहीं कही जायेगी। इन शब्दों के साथ आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आभार प्रकट करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती बेनी बाई--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आप ने मुझे इस वन विभाग के बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया। मैं वन विभाग के माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं।

मान्यवर, हमारे देश और प्रदेश में वन एक राष्ट्र की सम्पत्ति है और इनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। बुन्देलखंड में झांसी जिले में, मऊरानपुर तहसील में एक सपरार डैम बना था। उसमें उस क्षेत्र के कुछ गांव की जमीनें ली गयी थीं। उस समय शर्तनामा यह था कि जब डैम बन जायगा और भरेगा तो उसके किनारे की जो जमीन होगी वह वहीं के गांव के लोगों के पट्टे पर दी जायेगी कुछ वर्षों तक तो यही होता रहा, लेकिन गत दो वर्ष से वह जमीन वन विभाग ने ले ली है और उस पर नर्सरी वह लगाता है और उस पर लाखों रुपया वह विभाग खर्च करता है, पर उसमें लगे सारे पेड़ सड़ जाते हैं और एक भी पौधा ठीक नहीं बच पाता है और लाखों रुपया इस तरह से सरकार का बरबाद चला जाता है। मेरा सुझाव है कि उस जमीन को वापस सिंचाई विभाग को ही दे दिया जाये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि वन विभाग की बुन्देलखंड में सड़क की बहुत बुरी हालत है। वे सड़कें कागज पर तो बनी हुई है पर वास्तव में बनी नहीं हैं। न पुल ही बनते हैं, पर कागज पर बने हुए दिखाये गये हैं। इस विभाग को नर्सरी लगाने का काम सड़कों के किनारे की जमीन पर करना चाहिये, तालाबों, नदियों और डैम आदि के किनारे पर लगाने से वे पेड़ सड़ जाते हैं और रुपया बरबाद चला जाता है। इसके अलावा एक एक रेन्जर एक जगह पर 10-10 साल से पड़ा हुआ है, शिकायतें होने पर भी उसे हटाया नहीं जाता। अनुशासनहीनता वहां तक इस विभाग में बन गयी है कि अभी परसों अखबार में पढ़ा था कि बांदा के एक रेन्जर ने डी0एफ0ओ0 का घिराव किया। उसको कई दिन तक अन्दर से बाहर नहीं निकलने दिया। जब पुलिस ने रक्षा की तब उसको निकाला गया। इस तरह से अनुशासनहीनता विभाग में नहीं बरदास्त किया जाना चाहिए उन कर्मचारियों को बरखास्त किया जाना चाहिये। मान्यवर, एक निवेदन और करूंगी। जिस प्रकार से मैदानी एरिया और पहाड़ी एरिया में वन निगम बने हैं, उसी तरह से बुन्देलखंड में भी वन निगम बनने चाहिए। इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो अपना बजट रखा है, उसका मैं हृदय से समर्थन करती हूं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे जंगल पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह बजट ऐसा दिखाई दे रहा है, बल्कि यह बजट ही नहीं, सरकार भी, मुझे एक गाना याद आया, "हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे।"

(हंसी)

मान्यवर, अंग्रेजों के जमाने में हमने अंग्रेज शासन भी देखा और उस समय वन व्यवस्था भी देखी और उस समय जितने जंगल हमने अपने पर्वतीय अंचल में देखा, आज रोना आता है, जब हम उन नंगे पहाड़ों को देखते हैं। पहाड़ी नंगे, जंगल नंगे और आंसू बहाना पड़ता है। मान्यवर, इन 34 वर्षों में इस अधिकारियों की ओर बैठे हुए मंत्री लोग हैं इन लोगों ने जंगलों का शोषण किया। इन्होंने हमको एक-एक लकड़ी के तिनके से मोहताज किया। मान्यवर, इनके विभाग को बढ़ा दिया गया और अधिकारियों को बढ़ा दिया गया और यह कहा गया कि जंगलों की ज्यादा एरिया की कटाई ठेकेदार करते हैं। मान्यवर, सदस्यों, विधायकों को बरगलाकर वन निगम बनाने का प्रस्ताव लाया और वन निगम बना दिया। यह खाने-पीने का तरीका अच्छा बन गया है। आप इसकी जांच करें। ऊंचे-ऊंचे अधिकारी जो हैं, उनकी जांच करें कि उनकी कहां से कोठियां बनीं। जैसा हमारे माननीय बलदेव सिंह आर्य जी ने कहा कि हमारी आमदनी, हमारी जीविका जंगलों से है वह हमारी जीविका भी छीन ली गयी।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

जंगल के जानवर कहां चले गये, वह भी तो बता दें।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट---

मान्यवर, हम आदमी थे, लेकिन जानवर बनाकर रख दिया आप लोगों ने। बांज एक पेड़ होता है पहाड़ में, जिनकी पत्तियों का चारा गाय-बछड़ों को देते थे और उसकी फावड़ा, कुदाल बेंट वगैरह तमाम चीजें बनती थीं और खाद के भी काम उसकी पत्तियां आती थीं। आज वह बांज के जंगल कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। रानीखेत, नैनीताल कौशानी में जो कुछ ठंडी हवा मिलती है, वह बांज के पेड़ की देन है। हमने बार-बार निवेदन किया कि इसकी आप व्यवस्था करें। लेकिन ये कौन सी नर्सरी लगाते हैं, चीड़ की नर्सरी लगा रहे हैं। हमने कई बार निवेदन किया कि चीड़ की नर्सरी मत लगाइये। यह चीड़ जो ऊपर को उठता है तो दो-दो सौ, तीन-तीन सौ, चार सौ फीट उठता है। लेकिन यह उसकी नर्सरी लगा रहे हैं। मान्यवर, उस नर्सरी को लगाने में बहुत खर्च पड़ता है पहले पोलीथिन में उसके पैदा करते हैं, फिर आदमियों और खच्चरों से ढुलाई करते हैं और वहां गड्ढा भी खोदना पड़ता है तो वह बड़ा खर्चीला पड़ता है। मैंने सुझाव दिया कि आप चीड़ के बीज बो दीजिये शिर्फ और बांज का बीज बो दीजिये। तो इससे शुद्ध हवा मिलेगी और पानी मिलेगा। देश और प्रदेश को मिलेगा तथा पहाड़ पर रहने वालों लोगों को मिलेगा और पशुओं को चारा भी मिलेगा। लेकिन मान्यवर, इनके कान में जूं नहीं रेंगी इन्होंने नहीं माना।

मान्यवर, पिरुल का एक पेड़ होता है। मान्यवर पिरुल का प्रयोग अगर किसी उद्योग के लिये करें तो बड़ा काम हो सकता है। मुझे बताया गया कि बीड़ी का पिटारा बनता है, ऐसा बताया गया है मुझे जानकारी नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा और मेरा सुझाव है कि सरकार को इसका प्रयोग करना चाहिये कि यह किस काम में आ सकता है। काफी मात्रा में यह गर्मियों में बनों में गिरता है और अगर मान्यवर बीड़ी का एक टुकड़ा कहीं गिर गया तो जंगल में आग लग जाती है और जंगल खत्म हो जाते हैं चारा सूख जाता है और सारा जंगल जल जाता है। मैंने सुना है कि कश्मीर में इसका प्रयोग हुआ है। मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार पता करें। मान्यवर, इन्होंने कहा था कि वन निगम में ईमानदार लोगों को रखेंगे लेकिन इन्होंने वन विभाग के लोगों को रखा जिन्हें विशेष एलाउन्स मिलता है और डिपुटेशन पर लिया है।

मान्यवर, इन्होंने कहा था कि वन निगम वैज्ञानिक तरीके से बनों को काटेगा लेकिन वह विधि भी समाप्त हो गई और आज यह भी ठेका देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से आप इस देश की जनता को न ठगिये बात करिये उस पर अमल करिये। आपके खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। जैसा हमारे भाई रियासत हुसैन साहब ने कहा निर्भय नारायणसिंह तीन शब्द यह तभी सही हो सकते हैं जब आप खरे उतर सकते हैं जंगल विभाग के फारेस्टगार्ड से लेकर चीफ तक एक भी आदमी को सही बता दे तो मैं आपका आभारी हूंगा। इन शब्दों के साथ मैं मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय---

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे वन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। वन विभाग का तीन मुख्य कार्य हैं वृक्षारोपण, वन के जीव जन्तुओं की रक्षा करना और बनों की रक्षा करना। मान्यवर, वृक्षारोपण के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय संजय गांधी के चार सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आने के बाद वन महोत्सव के रूप में नहीं वास्तव में वृक्षारोपण कार्य हुआ है श्रीमन्, 80--81 में 10 हजार के पेड़ों के

[श्री रघुराज प्रसाद उपध्याय]

वृक्षारोपण हुआ था 82-83 में 20 हजार का लक्ष्य है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह पूरा होगा। मान्यवर, यह ऐसी चीज है जो जमीन पर होती है जेबो में रखन की चीज नहीं है। हमारे विरोधी पक्ष के भाई देखते होंगे सड़कों क किनारे दिखाई पड़ता है कि कितनी प्रगति हुई है। यह जरूर है कि जहां यह सब हुआ वहीं चोरी स कटाई भी हुई है। इस संबंध में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि फारेस्ट गार्ड को आवश्यक अस्त्र दीजिये क्योंकि बनों की चोरी करने वाले इतने प्रभावी और सक्षम लोग होत हैं उनको रोकने के लिये यह जरूरी है कि फ्लाइंग स्कैवेड या कोई सशस्त्र टीम बनायी जाय जो उड़ने दस्ते के रूप में जंगलों की चेकिंग कर सके। हमारा जनपद गोंडा है जो नेपाल सीमा से मिला हुआ है। वहां पर लकड़ी की कटान के जरिये चोरी होती है और विशेष रुप से खैर का जंगल है जहां लकड़ी की रातों रात चोरी होती है और भट्टी बनाकर उसमें लकड़ी को उबालकर कत्था रातों रात बनाया जाता है। इस संबंध में वन अधिकारियों को सक्षम और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ नपाल क लोग हमारे जंगलों में आकर जंगली जानवरों को मारकर नेपाल में ले जाते हैं, इसलिये उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है और इसके लिये सरकार को सक्षम कदम उठाना चाहिये।

मान्यवर, जहां तक लकड़ी कटाई की बात है तो मैं निवेदन करूंगा कि जलौनी लकड़ी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। जलौनी लकड़ी दिन पर दिन मंहगी होती जा रही है और साधारण जनता गैस के चूल्हे और गोबर गैस से काम नहीं चला पायगी, इसलिये जलौनी लकड़ी जनता को उपलब्ध होती रहे इसके लिये ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण होना चाहिये और इसकी कटाई में परमिट की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे खाना बनाने के लिए जलौनी लकड़ी मिलने में सुविधा हो। इसलिये मैं चाहूंगा कि सार्वजनिक वानकी योजना क अन्तर्गत जलौनी लकड़ी की व्यवस्था की जाय।

मान्यवर, श्री रियासत हुसैन ने यूकीलिप्टस के बारे में कहा कि यह बहुत लगाया जा रहा है, इसलिये इसमें क्या इनकी नीयत दूसरी है। इसलिये मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यूकीलिप्टस ऐसी लकड़ी है जो जल्दी तैयार होती है और जलाने भी प्रचुर मात्रा में मिलती है। मान्यवर, हमारे यहां बबूल खेतों में अधिक होता है और गरीब के लिये रोजी-रोटी का साधन है। हमारे यहां कटराव करनैलगंज में जो परमिट लागू है उसको या तो सुविधाजनक कर दिया जाय या उसको हटा दिया जाय।

मान्यवर, अंत में वन मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए पूर्ण आस्था रखते हुए कि जिस हालत में बजट रखा है और जिस तरह का प्रयास किया है उसमें हम सभी माननीय सदस्यों का जो अनुभव प्राप्त हुआ उसके आधार पर कहना चाहता हूं कि जिस काम को वन मन्त्री जी आगे रखते हैं उसको करने में हर अधिकारी, कर्मचारी और विधायकों को मजा आता है और वह अपने लक्ष्य को, मैं आशा करता हूं कि, पूरा करेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, जिस तरह बजट की चर्चा की गयी उससे समस्या ही खड़ी होती है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतर लोग जंगलों में ही रहते हैं और जंगलों में रहने वाले दयनीय स्थिति में हैं। मान्यवर, मिर्जापुर में जब बड़े-बड़े लोग आये जैसे बिरला और कनौडिया केमिकल्स आये तो जंगल ही नहीं उजड़े खरवार, बैगा, कोल आदि जातियों को भी उजाड़ा गया।

दूसरी तरफ मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सड़कों के किनारे जो यूकिलिप्टस के पेड़ लगाये लगाये जा रहे है तो वह इ ाके इ ाके कारण ऊसर बनते जा रहे है। इसलिये यूकिलिप्टस की जगह पर दूसरे पेड़ लगाये जायं। दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि नदियों के किनारे

वृक्षारोपण किया जाय आजतक वन मंत्री ने कभी इस संबंध में कोई योजना नहीं बनायी है। जो वन्य जीव हैं आज भी मैं दखता हूं कि रेंज अफसर और उनके ऊपर के अफसर अपने आमोद-प्रमोद के लिये उनका शिकार करते हैं तथा जो लोग जंगल के आस-पास रहत हैं उन लोगों को सताया जाता है। मिर्जापुर, गोरखपुर रेंज में और पर्वतीय अंचलों में देखा जाता है कि जो जंगलों के पास रहने वाले व्यक्ति हैं उनको जंगल विभाग के अधिकारियों द्वारा डराया, धमकाया और सताया जाता है। वनों के आधार पर हमारी बहुत बड़ी संपदा है, लेकिन उसके अर्जित करने का कोई उपाय नहीं होता। बड़े-बड़े ठकेदार जो हैं वह उसका फायदा उठाते हैं।

विद्यासागर नौटियाल जी की इस बात स मैं सहमत हूं कि 10 साल के लिये जो कटाई ठेकेदारों द्वारा की जाती है उसको खत्म कर दें। वन में रहने वाले लोगों द्वारा उपजीवी जनता द्वारा जलौनी से वनों को कोई नुकसान नहीं होता है। मल्लाह मछली मारने में दया करता है। उसी तरह से जंगलों के बीच रहने वाले जो 2 करोड़ लोग हैं, जो जंगल उपजीवी हैं उनसे जंगलों को कोई नुकसान नहीं होता बल्कि उनको जंगलों से मोहब्बत है। जंगलों से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाय और कटान 10 साल के लिये रोग दी जाय तो निश्चित रुप से स्वर्गीय संजय गांधी ने जो कार्यक्रम चलाया था, वह कहीं न कहीं सफल हो सकता है।

जगलों में जो सम्पत्ति है, लकड़ी के रूप में, सागौन क रूप में, वन औषधियों क रूप में उसका उपयोग ठीक स नहीं होता है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी स्वास्थ्य के बजट में आयुर्वेदिक औषधियों के रिसर्च सेंटर्स की कोई चीज नहीं है जिससे जंगल के विकास का कोई उपक्रम चलाया जा सके। मैं चाहता हूं कि इसका अच्छी तरह से सर्वेक्षण किया जाय, पर्वतीय अंचल मिर्जापुर, विंध्याचल, बुन्देलखंड, गोरखपुर रेंज में और जहां जहां भी वन औषधियां होती हैं उन औषधियों के निर्माण के सेंटर्स की स्थापना की जाय। पंतनगर विश्वविद्यालय, फैजाबाद, कृषि विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय जंगल वालों की जमीन लना चाहत हैं अनुसंधान के लिये तो वन विभाग को देने क लिय हीला हवाला नहीं करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(समय 4 बजकर 43 मिनट)

श्री शिवनारायन सिंह नेगी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपन बन विभाग क बजट पर बोलने के लिये मुझे अवसर दिया। मैं आपके विभाग से वन मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि 20 करोड़ पेड़ लगाने के लिये उनकी सुरक्षा और भूमि संरक्षण के लिय जो उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, यह देखने में आया है कि सन् 1977 से 1979 के मध्य मे पर्वतीय क्षेत्रों में जनता पार्टी कार्यकाल के दिनों में जनता पार्टी की सरकार ने श्रम संविदा समितियों का गठन करवाया और उनके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र के वनों का विनाश करवाया गया। वैसे तो प्रदेश में जो कि आपके मैदानी क्षेत्र मे जैसा व्यक्ति है पर्वतीय क्षेत्र में भी है लेकिन यह उससे भी अधिक था बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि उस कार्यकाल में पर्वतीय क्षेत्र का जिस तरह से विनाश किया गया उसकी वजह से 20 करोड़ पौधे लगाने की आवश्यकता पड़ी। पर्वतीय क्षेत्र में जहां भी यह पौध लगाये जायं वह नदी और घाटी के किनारों में ऐसे पौधे लगाये जाये कि जो भूमि की सुरक्षा कर सकें और जानवरों के चारे और जलाने के लिए लकड़ी जिनसे प्राप्त हो सके। यह देखने में आ रहा है कि जैसा श्री नौटियाल साहब ने अपने सुझाव में बताया कि पर्वतीय क्षेत्र मे नदी और नालों के कटाव और बहाव के कारण यहां मैदानी क्षेत्र में बड़ा नुकसान होता है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र की नदी और घाटियों में ऐसे पौधे लगाये जायं कि वहां पर जलाने के लिये लकड़ी का जो कोई प्रबन्ध नहीं है, उसका प्रबन्ध किया जाय।

[श्री शिवनारायण सिंह नेगी]

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सन् 1947 के बाद पर्वतीय क्षेत्र के तराई और भावर के जो मैदानी भाग थे जिसमें जाड़ों में आकर पर्वतीय लोग अपने मवेशियों की और अपनी गुजर-बसर किया करते थे। दुर्भाग्य है कि सन् 47 के पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बंटवारे में पाकिस्तान से आये हुऐ शरणार्थियों को वहां इतनी भूमि दे दी गई और यह नहीं देखा गया कि इनको कितनी भूमि दी जाय। तराई और भावर में एक-एक फार्मर के पास 5 हजार से लेकर 7 हजार, 10 हजार और 15 हजार एकड़ तक भूमि है। यों तो अब सीलिंग की जा रही है। उनकी देखा-देखी पर्वतीय क्षेत्र के भूमिहीन वहां आकर बस रहे हैं, अगर उनको नहीं रोका गया तो मैं समझता हूं कि और भी अतिक्रमण होगा। तराई और भावर के जो बड़े-बड़े फार्मर्स हैं, उनसे जमीन लेकर सीलिंग करके उनको बसाया जाय। यह भी सुझाव है कि आप जो प्लान्टेशन के लिये भूमि नीलाम कर देते हैं उनको न देकर इन भूमिहीनों को 5 साल के पट्टे पर दे दीजिये, जिससे यह अतिक्रमण रोका जा सके।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री शिव नारायण सिंह नेगी--

बस मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं। पर्वतीय क्षेत्र में या तराई और भावर में जो भी फारेस्ट गार्डों का एरिया है वह बहुत ज्यादा है, जिससे वह उसकी रक्षा नही कर सकते और न उनके पास साधन ही हैं इनकी संख्या बढ़ायी जाय और इनको आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित किया जाय जिससे कि नाजायज कटान को रोका जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं पक्ष विपक्ष के उन तमाम मा0 सदस्यों के प्रति आधार प्रगट करता हूं जिन्होंने अपने अमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए। इस विभाग को सरकार कितना ज्यादा महत्वपूर्ण समझती है यह आपकी इस बात से साफ है कि अपना भाषण देने के बाद मा0 वन मन्त्री जी यहां से चले गये और वह शायद वन में गये होंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

यदि वे वन में गये होते तो आपकी वहां उनसे मुलाकात तो हो ही जाती।

(हंसी)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं एक चीज जिस पर बहुत ज्यादा पक्ष के और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने बात कही है, वह पेड़ों के काटने की बात है। जब हम कहते हैं कि 10 साल के लिये पेड़ों को काटना बन्द कर दिया जाय, तो एक बात उठती है कि खाना पकाने के लिये फिर लकड़ी कहां से आयेगी और खाना पकाने के लिये कौन सी लकड़ी का फिर इस्तेमाल किया जायेगा। मेरी पेड़ों के कटान को रोकने के लिये केवल यह मांग है कि व्यवसाय के तौर पर वनों के पेड़ों का कटान न हो।

टेहरी और उत्तरकाशी में अभी तक फारेस्ट का सेटिलमेन्ट नहीं हुआ है। कई बार सदन में यह बात उठाई गयी कि कानूनी तौर पर वनों का बन्दोबस्त कर दिया जाय, परन्तु अभी तक यह बात नहीं हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी सरकार की ओर से जो उत्तर आयेगा उसमें इस ओर जरुर इंगित किया गया होगा क्योंकि टेहरी और उत्तरकाशी के अन्दर वनों की

सीमा निर्धारित नहीं हो पायी है और इसके कारण आपसी झगड़े होते रहते हैं। वन विभाग के पास कई आथेन्टिक या प्रमाणित नक्शे इत्यादि नहीं है।

श्रीमन्, अभी दो एकड़ की नर्सरी बनाने को बात कही गयी। पर्वतीय क्षेत्र में एक-एक ब्लाक इतना लम्बा है कि उसमें 2 एकड़ की नर्सरी तो कुछ भी नहीं होगी इसलिये पवतीय क्षेत्र में नर्सरी को 2 एकड़ से ज्यादा होना चाहिये। उसके लिये मै माननीय बल्देव सिंह आर्य जी के सुझाव को मानता हूं और उस पर बल देता हूं कि बनों के रोपण और उसके रक्षण करने के लिये एक स्थायी संगठन बनाया जाना चाहिये।

माननीय जसवन्त सिंह बिष्ट जी के क्षेत्र में एक शेर ने आदमी को खा लिया, मार डाला। उन्होंने मरे हुए व्यक्ति के परिवार वालों की ओर से निवेदन किया कि उन लोगोंको मुआवजा दिया जाय। इस पर वन विभाग से उत्तर दिया गया कि वह शेर आदमखोर नहीं था इसलिये मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब श्रीमन्, वह शेर आदमखोर था या नहीं था, यह सब बातें तो आप ही निर्धारित करते हैं। परन्तु सब यह जानते हैं कि वह शेर आदमी को खा गया तो आदमखोर था या नहीं था, यह तो शासन ही जाने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

मान्यवर, यदि आप आज्ञा दें तो मैं उत्तर दे दूं?

श्री रियासत हुसैन--

यह कोई कन्वेशन तो है नहीं, वैसे आप मालिक हैं, जो चाहेंगे, वही होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रथा नहीं होगी। मंत्रीजी, आप किन परिस्थितियों में जवाब दे रहे हैं, यह भी बतला दीजिए।

श्री लोकपति--

माननीय वन मंत्री जी अस्वस्थ हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप यह बतायगे कि वह क्यों नहीं आये?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि वे अस्वस्थ हो गये हैं इसलिये मैं उत्तर दे रहा हूं।

मान्यवर, यह बड़े हर्ष की बात है कि 1977 में जब वह पक्ष इधर विराजमान था शासक दल के रूप में तो 1975-76 में एक आदेश हुआ था उत्तर प्रदेश में वनों की कटाई को रोकने का और सौभाग्य से या देश-प्रदेश के दुर्भाग्य से शासन इनके पास आ गया और इसका अंजाम यह हुआ कि म अपने नौटियाल जी को विशेष तौर से आगाह कराना चाहता हूं और बिष्ट जी को कि सौ-सवा सौ साल पहले से जो नैनीताल क्लब बना था वह इसीलिये जला दिया गया आक्रोश में कि वनों की कटाई का कार्य प्रारम्भ हो गया था और आज हर्ष की बात है कि विपक्ष ने और समूचे सदन ने इस बात की मांग की है कि वनों की कटाई का कार्य रोक दिया जाय हमारी आवश्यकतायें बढ़ती जा रही हैं। जिस गति से वनों का, वृक्षों का रोपण होता है, उसको बढ़ने में जितना समय लगता है, उसको नष्ट होने में या करने में उससे बहुत कम समय लगता है।

यह बात सत्य है कि विगत वर्षों में वनों का क्षय हुआ और यह भी सत्य है कि वनों की क्षति से सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, सिर्फ हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र का ही नहीं, पूरे गंगा

[श्री लोकपति]

जमुना क द्वार की, बंगाल तक की हानि हुई। जसा कि अभी रघुराज जी ने एक बात कही कि 76 से यह प्रयास प्रारम्भ हुआ कि वनों का रोपण हो। हमारा 20 करोड़ वृक्षों के रोपण का कार्यक्रम है। यह सही है कि जैसा कि नौटियाल जी ने कहा उनका सुझाव है कि यह आज्ञा दी जाय कि 15 सौ फीट के ऊपर वनों का कटान रोकें। अभी तीन हजार फीट तक की ऊँचाई के ऊपर कटान रोका गया है और एक समिति बनी जो समिति इस बात पर गई हुई हैकि किस स्तर पर, कहां तक वनों के कटान की आज्ञा दी जाय अथवा नहीं। यह जो आपने सुझाव दिया है यह शासन के अन्तर्गत है और इस पर कार्य चल रहा है हमारे रियासत भाई ने एक बात कही, यह सत्य है कि बहया और जलकुम्भी बाढ़ का काम करती है जलों का श्रोत रोककर बीमारियां फैला रही है और उसके लिये प्रयास आरम्भ किया जा रहा है और यह कई विभागों से मिलकर होगा लेकिन जो वन विभाग का दायित्व है वह वन विभाग करेगा। जो स्थिति वनीकरण की है उसके अन्दर 2–3 चीजें हैं। कई मा0 सदस्यों ने जलावनी लकड़ी की बात कही यदि इस बात पर ध्यान दिया जाय तो 200 लाख एकड़ भूमि चाहिये। जलावनी लकड़ी को चूल्हे में चलाने क लिये। इसी सन्दर्भ में एक छोटा सा आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 6 करोड़ व्यक्ति है। 1 करोड़ की आबादी में जिनको रोज दांत साफ करने की आवश्यकता है और श्रीमन् 9 इंच की दातून होती है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। एक बार इंसान दातून का इस्तेमाल कर लिया कर तो श्रीमन्, 45 करोड़ लकड़ी प्रतिदिन चाहिये। जलावन के लिये तो कोई नया उपाय ही सोचना चाहिये।

अनेक सदस्य––

पान खाने वालों को तो दांत साफ करने के लिये और भी अधिक जरुरत पड़ती है।

श्री लोकपति––

इसीलिये मैंने पान खाना छोड़ दिया श्रीमन्, आपकी आज्ञा से (हंसी) सामाजिक वनीकरण में जलावन की लकड़ी के लिये विवश किया जाता है लेकिन हमारा जो देश है, अभी अद्धकुम्भ आया था तो वहां रहने वाले तीर्थ यात्रियों के शीत निवारण के लिये लाखों टन लकड़ी की जरुरत पड़ी थी। सामाजिक वनीकरण के अन्तर्गत जलावन की करनी हो तो यह बहुत बड़ी बात होगी। जैसा कि श्री रियासत हुसैन साहब ने कहा, शीशम, सागौन, आम, जामुन, आदि के वृक्षारोपण का काम बन विभाग द्वारा होना चाहिये। इसी प्रकार फलदार वृक्ष जिसके खेत में लग होंगे या जो लगायगा वह उसी को सौप दिया जायेगा वही उसकी रक्षा करगा और उसका उपयोग भी कर सकेगा। केवल काटना होगा तब उसके कटान की आज्ञा बन विभाग से लेनी होगी। फिर उसकी जगह दूसरा वृक्ष लगाया जायगा। इस दृष्टि-कोण से वृक्षारोपण की उपयोगिता को समझ कर उनको पुर्नजीवित किया जाय। इसी तरह से वन क्षेत्र में, पर्वतों में चीड़, देवदार, साल आदि के प्लान्टशन हो रहे हैं। लेकिन यह सत्य है इसमें दो राय नहीं है कि यूकेलिप्टस का पड़ घास की श्रेणी में आता है। जहां दलदल हो या होता रहा हो, वहां उसके निवारण के लिये यूकेलिप्टस के पड़ लगाये जाते रह हैं। अनुसंधान के लिये इसका प्लान्टेशन हुआ है लेकिन हमारे प्रदेशमें इस तरह का यानी दलदल वाला कोई स्थान नहीं है लेकिन कुछ आवश्यकतायें हैं जिनकी आपूर्ति सिवा यूकेलिप्टस के पेड़ के और किसी चीज से नहीं हो सकता। जैसे यह कागज है, जिसकी बढ़ती हुई अवश्यकता की आपूर्ति करनी है, यह कागज ही है जिस पर बच्चा को पढ़ाने के लिये पुस्तिकायें छपती हैं, और उसका रोजमर्रा के जीवन मे आना आवश्यक है तो यूकेलिप्टस का पेड़ जरुर लगाना होगा। क्योंकि यह पेड़ जल्दी उगता है और अगर इसको काट दिया जाय तो पुनः जिन्दा होकर आगे बढ़ता जाता है। इसमें दो राय नहीं कि इसकी आवश्यकता है और इस पर अनुसंधान हो रहा है।

एक सदस्य––

बिड़ला जी के लिये तो ठीक ही है।

श्री लोकपति—

बिड़ला बिड़ला क्या कर रहे हैं। आखिर वह भी इसी देश का नागरिक है और कोई-इंटर नेशनल कैपिटलिस्ट नहीं है। श्रीमन्, बिड़ला का नाम बार बार आ चुका है। स्वतंत्रता के संग्राम में वही पहला उद्योगपति था जो खुलेआम इस देश के साथ था। (व्यवधान) विश्व के इतिहास में यह सत्य है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जहां से हजारों लोग स्नातक के रुप में निकल चुके हैं, हजारों स्नातक इजीनियर के रुप में निकल चुक हैं, उसमें अधिक से अधिक योगदान बिड़ला का ही रहा है।

एक सदस्य—

आपकी पार्टी उसी के बल पर जीतती है।

श्री लोकपति—

हमारी पार्टी आपके कुकृत्यों से जीतती है और अगर हम कुकृत्य करेंगे तभी आप जीत सकते हो लेकिन हम कोई कुकृत्य करने वाले नहीं हैं जिससे आप जीत सको। तो मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं उस भावना को दृष्टि में रखते हुये जो सदन ने व्यक्त किया है, इस प्रदेश को शीघ्र से शीघ्र आगे बढ़ा सकते हैं और वृक्षों को काटने से रोक सकते हैं। जब वनों के कटान पर सम्पूर्ण रोक लगा दी जायगी।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय नौटियाल जी से अनुरोध करुंगा कि अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस करके इस वन सम्पदा की रक्षा हेतु जो आपसे धन की मांग की गई है इसको स्वीकृति प्रदान करें।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब कोई शेर किसी आदमी को मार देता है और जब तक वह मानुषखोर, आदमखोर नहीं होता है तबतक उसके आश्रितों को कोई सहायता नहीं मिलती·····

श्री लोकपति—

शेर का स्वभाव, अगर क्षमा करेंगे, उसका स्वभाव आपसे मिलता है। वह कभी किसी को मारता नहीं है जब तक कोई छेड़खानी न करे (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

ऐसी बात नहीं है। मेरी निश्चित जानकारी है····· (शोर)

श्री धरमपाल—

मान्यवर····

श्री उपाध्यक्ष—

जो काम आपने मेरे जिम्मे किया है वह इस सदन को चलाने के लिये किया है बन को चलाने के लिये नहीं। इसे वन में बदल देंगे तो मैं नहीं चला सकूंगा····

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या- 46 ····

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

आप बिना आज्ञा से बोल रहे हैं कुछ लिखा नहीं जायगा····

नोट : [×××]यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री धरमपाल--

मान्यवर, आप की आज्ञा से एक स्पष्टीकरण · · · · ·

श्री उप ध्यक्ष---

मेरी आज्ञा से नियम का उल्लंघन नहीं हो सकता। प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46--वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46--वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,56,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

(समय 5 बजकर 5 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत चार सूचनायें प्राप्त हुई और श्री रियासत हुसैन, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री गौरी शंकर भैय्या द्वारा दी गई सूचना जो दिनांक 26/27 की रात में जनपद बदायूं के ग्राम मकरा में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फायरिंग किये जाने से 4 व्यक्तियों के मरने से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में हैं, स्वीकार की गई। माननीया गृह मंत्री जी कब बयान देंगी ?

एक सदस्य ---

गृह मंत्री नहीं हैं · · · ·

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, 4 तारीख को कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

4 तारीख को बयान लगा है।

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, कोई और तिथि जो भी मुनासिब समझें दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी, मैं यह समझता हूं कि 5 तारीख के बाद जो भी पहली बैठक हो, उस दिन वक्तव्य रख दिया जाय।

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। वही रख दें।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है। अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 7 मिनट पर अगले दिन 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
1 मार्च, 1982।

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या- 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 764 पर)

संलग्नक- - 1

3 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण करने वाले अनुसूचित जाति के आबकारी निरीक्षकों की सूची जिन्हें अब तक स्थाई नहीं घोषित किया गया है ।

क्रम सं0	नाम
	सर्वश्री
1	बाबूलाल वर्मा
2	चन्द्रभूषण लाल
3	रघुवीर सिंह
4	श्रवण कुमार
5	रामधनी राम
6	त्रिवेणी लाल
7	तिलक राम
8	मोहन लाल
9	लालचन्द्र बनौधा
10	एस0 के0 बावेशिया
11	प्यारे लाल
12	निधान लाल
13	रामअौतार
14	श्रीराम वर्मा
15	श्रीपाल
16	देवीरत्न
17	केशवराम सोनकर
18	रामदास
19	रामहर्ष राम
20	दिलावर सिंह
21	राम श्रृंगार
22	राम निहोरे सिंह
23	राम सूरत राम
24	राम बाबू दोहरे
25	हरी मोहन लाल

विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-16 का उत्तर पर पीछे पृष्ठ 765 पर।)

वर्ष 1980-81 में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय वर्ष 1980-81 में उपयोग किया गया धन

क्र0सं0	मद	धनराशि	मद	धनराशि
	क--निजी श्रोतों से आय			
1	लाईसन्स फीस	3,38,807.00	प्रशासन पर	2,92,582.00
2	कांजी हाउस	3,149.00	काजीं हाउस पर	10,37.00
3	जुबली स्कालर शिप	26.00	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर	82,253.00
4	चिकित्सा लेवी	81.00	मेले पर	12,121.00
5	तहबाजारी	41,250.00	भवन निर्माण मरम्मत	99,734.00
6	सम्पति	24,969.00	सड़क निर्माण मरम्मत	4,19,914.00
7	मेला	17,200.00	स्थानीय विकास एवं अन्त्योदय योजना	11,63,992.00
8	विद्यालय भूमि	119.00	शासकीय ऋणों का प्रतिदान	1,24,618.00
9	वृक्षों की बिक्री	15,215.00	विविध व्यय	13,862.00
	योग, निजी श्रोत	4,40,816.00		
	ब-शासकीय अनुदान	37,93,076.00		
	महायोग	42,33,892.00	योग व्यय	22,16,173.00